भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

20वीं वार्षिक रिपोर्ट
2014–15

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

125 स्थान जहाँ भरें भा.वि.प्रा. के संग उड़ान

125 Destinations to FLY with AAI

श्री पी. अशोक गजपति राजू, माननीय केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री, सिटी फोर्ट आडिटोरियम, नई दिल्ली में आयोजित भा.वि.प्रा. के 20वें वार्षिक दिवस के अवसर पर दीप प्रज्जवलित करते हुए। चित्र में डा. महेश शर्मा, केन्द्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री (बाएं) तथा श्री आर.के. श्रीवास्तव, भा.प्र.से., अध्यक्ष, भा.वि.प्रा. (दाएं) भी दिखाई दे रहे हैं।

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण •

125
हवाई अड्डों
का प्रबंधनकर्त्ता

श्री आर.के. श्रीवास्तव, भा.प्र.से., अध्यक्ष, भा.वि.प्रा. वर्ष 2014–15 हेतु ₹ 294.00 करोड़ के अंतरिम लाभांश का चैक श्री पी. अशोक गजपति राजू, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री एवं डा. महेश शर्मा, केन्द्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री को सौंपते हुए। इस अवसर पर श्री आर.एन. चौबे, सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भा.वि.प्रा. बोर्ड सदस्य तथा भा.वि.प्रा. एवं नागर विमानन मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India

उड़ानों का सुरक्षित, संरक्षित तथा प्रभावी ढंग से प्रबंधन

Manages flights in a safe secure and efficient manner

अत्याधुनिक हवाई अड्डों का विकास

Develops Modern State-of-the-art infrastructure

उच्च तकनीक एयर कार्गो टर्मिनलों का प्रबंधन

Manages Hi-tech Air Cargo terminals

तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे का सिटी साइड दृश्य

गोवा हवाई अड्डे का एयर साइड दृश्य

चण्डीगढ़ हवाई अड्डे का सिटी साइड दृश्य

विषय सूची

भा.वि.प्रा बोर्ड के सदस्य	2
सदस्य रिपोर्ट	3
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अशक्त कार्मिकों की संख्या	19
वित्तीय स्थिति	20
कार्य निष्पदान की झलक	22
तुलन पत्र	24
लाभ एवं हानि लेखा का विवरण	25
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	33
नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट	61
वर्ष 2014-15 के लिए चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का लेखा	68

बोर्ड के सदस्य

श्री आर. के. श्रीवास्तव
अध्यक्ष, भा.वि.प्रा.

श्रीमती एम. सत्यवती
महानिदेशक, नागर विमानन
एवं पदेन सदस्य

श्री अरुण कुमार
संयुक्त सचिव
नागर विमानन मंत्रालय

श्रीमती गार्गी कौल
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
नागर विमानन मंत्रालय

श्री एस. रहेजा
सदस्य (योजना)

श्री वी. सोमासुन्दरम
सदस्य (एएनएस)

श्री जी. के. चौकियाल
सदस्य (प्रचालन)

श्री एस. सुरेश
सदस्य (वित्त)

श्री अनुज अग्रवाल
सदस्य (मानव संसाधन)

वर्ष 2014–15 की सदस्य रिपोर्ट

परिचय

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) 1 अप्रैल, 1995 को अस्तित्व में आया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भा.वि.प्रा. अधिनियम, 1994 के अधीन सांविधिक प्राधिकरण के रूप गठित किया गया। इसका गठन भारतीय अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विलय करके देश के हवाई अड्डों पर विमान यातायात सेवाओं, यात्री टर्मिनलों, प्रचालनात्मक क्षेत्रों एवं कार्गो सुविधाओं के एकीकृत विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण के कार्य में गति लाने के प्रयोजन से किया गया था।

प्राधिकरण के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार से हैं :–

- इकाओ द्वारा स्वीकृत देश की भौगोलिक सीमाओं से परे भारतीय वायु क्षेत्र (विशेष यूजर वायु क्षेत्र को छोड़कर) का नियन्त्रण एवं प्रबंधन।
- संचार, दिक्चालन और निगरानी सुविधाओं का प्रावधान।
- धावनपथों, एप्रनों, टैक्सीपथों आदि प्रचालनात्मक क्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा प्रचालनात्मक क्षेत्र में ग्राउंड आधारित लैंडिंग का प्रावधान और विमानों व वाहन यातायात के लिए मूवमेंट नियन्त्रण सुविधाओं का प्रावधान।
- यात्री टर्मिनलों का डिजाइन, विकास, प्रचालन और रख–रखाव।
- अन्तरराष्ट्रीय और अंतर्देशीय हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनलों का विकास एवं प्रबंध।
- यात्री टर्मिनलों में यात्री सुविधाओं और सूचना प्रणालियों का प्रावधान।

भा.वि.प्रा. 125 हवाई अड्डों का रख–रखाव करता है जिसमें 69 प्रचालनात्मक हवाई अड्डे, 26 सिविल एन्कलेव अर्थात रक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसे नियंत्रित हवाई अड्डे, जहां भा.वि.प्रा. सिविल उड़ान प्रचालन हैण्डल करता है एवं 30 गैर–प्रचालनात्मक हवाई अड्डे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भा.वि.प्रा., देश में सभी सिविल हवाई अड्डों पर विमान दिक्चालन सेवा (ए एन एस) संबंधी सुविधाएं प्रदान करता है। भा.वि.प्रा., चिह्नित भारतीय विमान एयरस्पेएस 2.8 मिलियन वर्ग नॉटिकल मील का प्रबंध करता है जिसमें 1.05 मिलियन वर्ग नॉटिकल मील का भूमिक्षेत्र तथा 1.75 मिलियन वर्ग नॉटिकल मील का महासागरीय क्षेत्र शामिल है। भा.वि.प्रा. द्वारा उसके और संबंधित आपरेटर के बीच स्वीकृत की गई सी एन एस/ए टी एम करार की निबंधन व शर्तों के अनुसार संयुक्त उद्यम हवाई अड्डों (उदाहरणः दिल्ली, मुम्बई, नागपुर), ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों (उदाहरणः बेंगलुरू, शमशाबाद, कोचीन, दुर्गापुर), राज्य सरकार हवाई अड्डों (उदाहरणः लेंगपुई) तथा निजी हवाई अड्डों (उदाहरणः मुन्दरा, नान्देड) पर विमान दिक्चालन (ए एन एस) सेवाएं प्रदान की जाती है।

वर्ष के दौरान संपन्न कार्यों का विवरण निम्नलिखित है :–

- भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर भा.वि.प्रा. एवं डी जी सी ए हेतु एकीकृत कार्यालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण।
- भिलाई में नन्दिनी हवाई पट्टी की रिकारपेटिंग।
- चण्डीगढ़ में मोहाली साइड पर एप्रन तथा लिंक टैक्सी ट्रेक का निर्माण।
- कालीकट हवाई अड्डे पर एप्रन का विस्तार।
- देहरादून हवाई अड्डे पर वर्तमान एप्रन का विस्तार।
- जलगांव हवाई अड्डे पर ए टी सी टावर एवं फायर स्टेशन (सिविल कार्य) का निर्माण।
- कडप्पा हवाई अड्डे पर प्रीफैब्रिकेटिड टर्मिनल भवन, फायर स्टेशन, कन्ट्रोल टावर का निर्माण व सहायक कार्य।
- मैंगलोर हवाई अड्डे पर ए टी सी टावर और तकनीकी खण्ड का निर्माण।
- नागपुर हवाई अड्डे पर रनवे 14/32 की रिकारपेटिंग और बेसिक स्ट्रिप पर लेवल करेक्शन।
- पुणे हवाई अड्डे पर हेंगर तथा सी आई पी लाउंज सह प्रशासनिक खण्डों का निर्माण।

- विमानों पर चढ़ते और उतरते समय यात्रियों को सुविधा देने हेतु रांची, रायपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, इन्दौर, और विशाखापट्टनम हवाई अड्डों पर यात्री बोर्डिंग ब्रिज का संचालन शुरू किया गया।
- गोवा हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण।
- गोवा हवाई अड्डे के पूर्वी, उत्तरी एवं पश्चिमी दिशा में एप्रन का विस्तार।
- कांडला हवाई अड्डे पर रनवे और एप्रन टैक्सी वे का सुदृढ़ीकरण।
- नागपुर हवाई अड्डे पर रनवे 14X32 की रिकारपेटिंग और बेसिक स्ट्रिप पर लेवल करेक्शन।
- अमृतसर हवाई अड्डे पर भा.वि.प्रा. और बी सी ए एस के लिए एकीकृत कार्यालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण।
- पुणे हवाई अड्डे पर हैंगर एवं सी आई पी लाउंज सह प्रशासनिक खण्ड, टेनसाइल कैनोपी तथा विद्युत कार्यों सहित टर्मिनल भवन के सामने कन्सेशनरीज खण्ड का निर्माण।
- कालीकट हवाई अड्डे पर सी आई एस एफ बैरकों का निर्माण तथा सहायक कार्य।
- कालीकट हवाई अड्डे पर एप्रन का विस्तार तथा सहायक कार्य।
- हुबली हवाई अड्डे पर चारदीवारी का निर्माण।
- मैंगलोर हवाई अड्डे पर ए टी सी टावर तथा तकनीकी खण्ड का निर्माण।
- चेन्नई हवाई अड्डा, चेन्नई पर एयरपोर्ट मैट्रो स्टेशन का निर्माण।
- कोलकाता, चेन्नई, गोवा तथा श्रीनगर हवाई अड्डों पर विजुअल डॉकिंग निर्देशन प्रणाली युक्त ग्लास वाल एप्रन ड्राइव टाइप यात्री बोर्डिंग ब्रिज (पी बी बी) का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना जाँच तथा संचालन।

प्रगतिशील कार्य

- गुवाहाटी हवाई अड्डे पर भा.वि.प्रा. और बी सी ए एस के लिए एकीकृत कार्यालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण।
- अहमदाबाद हवाई अड्डे पर भा.वि.प्रा. और बी सी ए एस कार्यालयों के लिए एकीकृत कार्यालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण।
- वड़ोदरा हवाई अड्डे पर नए एक्सपेंडेबल मोड्यूलर एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण।
- वड़ोदरा हवाई अड्डे पर रनवे 04–22 व शोल्डर्स की रिसर्फेसिंग, बेसिक स्ट्रिप तथा ड्रेन में सुधार कार्य।
- सैनकोल गांव, डबलिन हवाई अड्डा, गोवा में नए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।
- मुंबई हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी सी ए एस) तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डी जी सी ए) के लिए आपरेशनल कार्यालय भवन का निर्माण।
- लखनऊ हवाई अड्डे पर भा.वि.प्रा. तथा डी जी सी ए के लिए एकीकृत कार्यालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण।
- हुबली हवाई अड्डे पर रनवे का विस्तार, चौड़ा करना तथा सुदृढ़ीकरण, नए टैक्सी वे, एप्रन, आइसोलेशन बे पेरिमीटर रोड़, नाली का निर्माण।
- हुबली हवाई अड्डे पर एन टी बी, ए टी सी टावर सह तकनीकी खण्ड सह फायर स्टेशन, सबस्टेशन तथा अन्य सहायक भवनों तथा सेवाओं का निर्माण।
- मेंगलोर हवाई अड्डे पर नए रनवे 06/24 हेतु दोनों ओर पार्ट पैरलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण, 06 रनवे हेतु 240मी.x90मी. रेसा का प्रावधान।
- बेलगाम हवाई अड्डे पर वर्तमान रनवे का विस्तार तथा सुदृढीकरण, नए एप्रन, टैक्सी वे एवं आइसोलेशन बे का निर्माण तथा सहायक कार्य।
- बेलगाम हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन, ए टी सी टावर सह तकनीकी खण्ड सह फायर स्टेशन, सब स्टेशन तथा अन्य सहायक भवनों तथा सेवाओं का निर्माण।

- तिरूपति में नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण (शेष कार्य)।
- चण्डीगढ़ हवाई अड्डे पर एस ई सी आई द्वारा रेस्को माडल के अंतर्गत 200 के डब्ल्यू पी सोलर फोटो वोल्टेयिक पावर प्लांट का संस्थापन।
- इग्नुआ, फुरसतगंज में राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय का निर्माण।
- राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय इग्नुआ, फुरसतगंज में प्रशासनिक खण्ड, होस्टल, सबस्टेशन भवनों का निर्माण तथा अन्य सहायक कार्य।
- इग्नुआ, फुरसतगंज में सीनियर फैकल्टी, जूनियर फैकल्टी तथा वरिष्ठ कार्यपालक आवासों का निर्माण तथा अन्य सहायक कार्य।
- इलाहाबाद (300 के डब्ल्यू पी) कालीकट हवाई अड्डा (500 के डब्ल्यू पी) कोलकाता (2000 के डब्ल्यू पी) तथा गुवाहाटी (250 के डब्ल्यू पी) हवाई अड्डों पर डिजाइन आधारित सोलर फोटो वोल्टेयिक पावर प्लांट का एस आई टी सी।
- इम्फाल हवाई अड्डे पर 3 ए बी–321, 1 ए बी–320 तथा 3 ए टी आर–72 श्रेणी विमानों के लिए लिंक टैक्सीवे सहित एप्रन का 175X130 मी. विस्तार।
- इम्फाल हवाई अड्डे पर नई अधिगृहित भूमि पर चारदीवारी का निर्माण।
- जम्मू हवाईअड्डे पर टर्मिनल भवन का विस्तार तथा रूपांतरण।
- जयपुर हवाईअड्डे पर कैट–।। लाइटिंग प्रणाली के प्रावधान सहित 'ई' श्रेणी चौड़े आकार के जेट विमान के संचालन हेतु रनवे का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण।
- अजमेर (किशनगढ़), राजस्थान में हवाईअड्डे का विकास।
- खजुराहो हवाईअड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण।
- वीएसआई हवाईअड्डा, पोर्टब्लेयर पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण।
- वीएसआई हवाईअड्डा, पोर्टब्लेयर पर रनवे 04 हेतु ग्लाइड पथ का प्रावधान।
- मदुरै, चण्डीगढ़, तिरूपति तथा सूरत हवाईअड्डों पर यात्री बोर्डिंग ब्रिज का संस्थापन प्रगति पर है।
- वसंत कुंज, नई दिल्ली में भारतीय विमानन अकादमी तथा होस्टल खण्ड का निर्माण।
- एनएससीबीआई हवाईअड्डा, कोलकाता पर वर्तमान मुख्य फायर स्टेशन का स्थानांतरण।
- त्रिवेन्द्रम हवाईअड्डे पर टर्निंग पैड का मानकीकरण–रनवे 14/32 के दोनों छोर को चौडा करना।
- कोलकाता हवाईअड्डे के टर्मिनल टी–2 के घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय प्रभागों के बैगेज मेकअप क्षेत्र में एकल केंद्र एल–3/एल–4 जाँच को सुगम बनाने हेतु 8वीं डिपार्चर कन्वेयर लाइन तथा कामन हैण्डलिंग लाइन हेतु अतिरिक्त डिपार्चर कन्वयेर उपलब्ध कराना।

उत्तर–पूर्व क्षेत्र में 2014–15 के दौरान हवाईअड्डों का विकास

दूरस्थ क्षेत्रों में वायु संपर्क बढ़ाने के लिए विमानपत्तन अवसंरचना विकसित करने हेतु भा.वि.प्रा. निरंतर प्रयासरत है। बहुत से कार्य शुरू किए गए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है :

गुवाहाटी हवाईअड्डा: नार्थ–ईस्ट काउंसिल के विजन 2020 के अनुसार, गुवाहाटी को अंतरक्षेत्रीय केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना है। इसके लिए 3 मैन्टेनेन्स हैंगर, जिसमें ए–321/एटीआर–72 टाइप विमान (एक ए–321+ चार एटीआर–72) खड़े हो सकते हैं, का निर्माण पूरा हो चुका है।

इम्फाल हवाईअड्डा: एप्रन (2बे) तथा लिंक टैक्सी वे का विस्तार, नए फायर स्टेशन तथा नवीन अधिगृहित भूमि पर चारदीवारी निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

जोरहाट हवाईअड्डा: एप्रन (ए–321 हेतु 2 अतिरिक्त सब बे) तथा एक टैक्सी ट्रैक का विस्तार कार्य पूर्ण हो चुका है और संचालन प्रारंभ होने की प्रक्रिया में है।

योजनाबद्ध कार्य

असम

गुवाहाटी (अंतरक्षेत्रीय केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना है)

योजनाबद्ध / प्रगतिशील कार्य :–

- दो पीबीबी सहित वर्तमान टर्मिनल भवन का विस्तार
- पैरलल टैक्सी–ट्रैक, नया एएसएसआर / एमएसएसआर
- 'ई' श्रेणी विमानों के लिए रनवे का सुदृढ़ीकरण तथा 550 मीटर तक विस्तारीकरण
- संरक्षा एवं सुरक्षा अवसंरचना का उन्नयन
- नए टर्मिनल भवन का निर्माण
- नए तकनीकी खण्ड एवं कन्ट्रोल टॉवर तथा फायर स्टेशन (कैट–IX) का निर्माण

डिबरूगढ़

(अंतरक्षेत्रीय केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना है)

योजनाबद्ध / प्रगतिशील कार्य :–

- रनवे का 6000' से 7500' विस्तार तथा आइसोलेशन बे। ग्रामीण सड़क को राज्य सरकार द्वारा विचलित किया जाना है।
- एक हैंगर हेतु डीपीआर तथा ए 321 हेतु एप्रन को सहायक अनुदान हेतु एनईसी को प्रस्तुत किया गया।
- नए कन्ट्रोल टॉवर सह तकनीकी खण्ड का निर्माण।
- प्रचालन क्षेत्र में संरक्षा व सुरक्षा अवसंरचना का उन्नयन

लीलाबाड़ी

योजनाबद्ध / प्रगतिशील कार्य :–

- आई एल एस संस्थापन (सभी मौसम प्रचालनों के लिए)

जोरहाट (सी.ई.)

योजनाबद्ध / प्रगतिशील कार्य :–

- 250 यात्रियों को संभालने हेतु नया घरेलू टर्मिनल भवन। राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के अतिक्रमणों से मुक्त 50 एकड़ भूमि अधिगृहित कर उपलब्ध कराई जानी है।

रूपसी (गैर प्रचालन हवाईअड्डा)

योजनाबद्ध / प्रगतिशील कार्य :–

- आईएएफ को एटीआर–72 प्रकार के विमानों के प्रचालन हेतु हवाईअड्डा विकसित करना है और भाविप्रा को एक सिविल एनक्लेव का निर्माण करना है। वन भूमि को गैर अधिसूचित किया जाना है।

नागालैंड

दीमापुर

योजनाबद्ध / प्रगतिशील कार्य :–

- संरक्षा एवं सुरक्षा अवसंरचना का उन्नयन

मणिपुर

इम्फाल (अंतः क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना है)

योजनाबद्ध / प्रगतिशील कार्य :–

- मांग के आधार पर बड़े विमानों को समायोजित करने हेतु रनवे का 11500 फीट तक विस्तारीकरण
- ए321 / एटीआर–72 हेतु एक हैंगर का निर्माण– सहायक अनुदान हेतु एनईसी को डीपीआर प्रस्तुत की गई।

मिजोरम

लेंगपुई (राज्य सरकार)

- राज्य सरकार से भाविप्रा द्वारा हवाईअड्डा लेने हेतु मसौदा एमओयू राज्य– सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया।

मेघालय

शिलांग (बारापानी)

योजनाबद्ध / प्रगतिशील कार्य :–

- ए321 प्रकार के विमानों हेतु हवाईअड्डे का उन्नयन
- 4 बे हेतु एप्रन का विस्तार
- रनवे का 7500 फीट तक विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण। एप्रन तथा रनवे विस्तार की डीपीआर एनईसी को सहायक अनुदान हेतु प्रस्तुत की गई।
- तकनीकी खण्ड एवं कन्ट्रोल टावर तथा फायर स्टेशन सहित संरक्षा व सुरक्षा अवसंरचना की अनुमानित लागत रु. 26.7 करोड़।
- आइसोलेशन बे तथा अन्य सहायक कार्य।

तूरा (बालजेक)– राज्य सरकार

- भा.वि.प्रा. द्वारा राज्य सरकार से हवाईअड्डा लेने का मसौदा एमओयू राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।
- ए टी आर–72 प्रकार के विमानों हेतु हवाईअड्डे को उन्नत करने का प्रस्ताव है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 50.50 एकड़ भूमि अधिगृहित की जानी है। डीओएनईआर मंत्रालय को डीपीआर प्रस्तुत की गई।

त्रिपुरा

अगरतला (अंतः क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना है)

योजनाबद्ध / प्रगतिशील कार्यः–

- व्यस्ततम समय में 1200 यात्रियों को संभालने की क्षमता वाले नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण तथा सहायक कार्य
- रनवे का विस्तार तथा सहायक कार्य
- ए321 / एटीआर–72 प्रकार के विमानों हेतु एक हैंगर का निर्माण
- प्रचालन क्षेत्र में संरक्षा एवं सुरक्षा अवसंरचना का उन्नयन।

ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे

इटानगर (अरूणाचल प्रदेश)

- राज्य सरकार ने होलोंगी साइट पर 24 जुलाई 2012 को ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है। तदनुसार भाविप्रा ने एक मसौदा मास्टर प्लान 24 अगस्त 2012 को अग्रेषित की है।
- नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए भा.वि.प्रा ने पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट 31 अगस्त 2012 को नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी थी ताकि संचालन समिति से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इस पर कार्रवाई शुरु की जाए। नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले) से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त हो चुका है।
- डी पी आर तथा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने का कार्य हो रहा है।
- संचालन समिति की सलाह के आधार पर ए–320 प्रकार के विमान के लिए योजना प्राप्त हुई है। मास्टर प्लान को संशोधित किया जा रहा है।

पेक्यांग (सिक्किम)

- ए टी आर–72 प्रकार के विमान प्रचालनों को सुलभ बनाने के लिए भा.वि.प्रा. द्वारा नए ग्रीन फील्ड हवाईअड्डे का निर्माण किया जा रहा है।

गैर–प्रचालनात्मक हवाईअड्डे

अरुणाचल प्रदेश

तेजू (भाविप्रा द्वारा)

- ए टी आर 72–500 प्रचालनों के लिए भा.वि.प्रा. को हवाईअड्डा विकसित करने, उसका प्रचालन करने तथा उसका रख–रखाव करने का कार्य सौंपा गया है।
- सरकार ने 79 करोड़ रु. की लागत से तेजू हवाई अड्डे के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया है। इसके लिए 100% सहायता अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- राज्य सरकार ने 208.25 एकड़ भूमि सहित हवाईअड्डा भा.वि.प्रा. को सौंपा है।
  - रनवे एवं चार दीवारी का कार्य पूर्ण।

- फर्श संबंधी कार्य, एप्रन, टर्मिनल भवन एवं भवन संबंधी अन्य अनुषांगिक कार्य जारी हैं।
- तेजू हवाईअड्डे के दिसम्बर 2016 तक प्रचालनात्मक हो जाने की उम्मीद है।
- विद्यमान भवनों का नवीनीकरण किया जा रहा है तथा मार्च 2016 तक अंतरिम प्रचालन हेतु इनका उपयोग हो सकेगा।

एलांग (रक्षा मंत्रालय द्वारा)

सरकार के निर्णय के अनुसार इसका विकास रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

- ए टी आर–42 प्रचालनों के लिए सिविल एन्कलेव के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा 7 एकड़ भूमि अधिगृहित की जानी है। भा.वि.प्रा. सिविल एन्क्लेव का विकास करेगा।
- सहायता अनुदान के लिए एन ई सी को डी पी आर प्रस्तुत कर दिया गया है।

पासीघाट (रक्षा मंत्रालय द्वारा)

- सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- भा.वि.प्रा. सिविल एन्क्लेव को विकसित करेगा। (समुचित भूमि का निर्धारण राज्य सरकार/भारतीय वायु सेना द्वारा किया जाएगा।
- सहायता अनुदान के लिए डी पी आर एन ई सी को प्रस्तुत किया गया।

जीरो (रक्षा मंत्रालय द्वारा)

- सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- ए टी आर–42 प्रचालन के लिए सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा 10.0 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। भा.वि.प्रा. सिविल एन्क्लेव का विकास करेगा।
- सहायता अनुदान के लिए डी पी आर एन ई सी को प्रस्तुत किया गया।

त्रिपुरा

कमालपुर

- ए टी आर 72–500 प्रकार के विमान के लिए हवाईअड्डे के विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार।
- राज्य सरकार को 50.5 एकड़ भूमि अधिगृहित करनी है।

कैलाशहर

- ए टी आर 72–500 प्रकार के विमान के लिए हवाईअड्डे के विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार।
- राज्य सरकार को 75 एकड़ भूमि अधिगृहित करनी है।

विमान दिक्चालन सेवाएं

भा.वि.प्रा. ने विमान दिक्चालन सेवाओं के क्षेत्र में हमारी श्रेष्ठता को सही साबित करते हुए पिछले 3 वर्षों में तीन अंतरराष्ट्रीय ए टी सी पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सी एन एस / ए टी एम अवसंरचना उन्नयन, एयरस्पेस प्रबंधन, ए टी एम प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास संबंधी नवीन उपायों के माध्यम से इस वर्ष विमान दिक्चालन सेवा संबंधी प्रावधानों में तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं।

विमान दिक्चालन सेवा अवसंरचना उन्नयन

नए रडारों, ए डी एस–बी, सम्पूर्ण देश में ए टी एम ऑटोमेशन सिस्टम के कार्यान्वयन, मुंबई में नए आईकॉनिक टावर में नई सी एन एस–ए टी एम सुविधाओं की स्थापना के माध्यम से अवसंरचना उन्नयन ने पर्यावरण संबंधी बचावों के अलावा पूरे देश में विमान प्रचालनों की संरक्षा व दक्षता में वृद्धि करने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

11 और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आई एल एस) 17 डाप्लर वेरी हाई फ्रेक्वेंसी ओम्नी रेंज (डीवीओआर), 6 रडार, 35 दूरी मापक उपकरण (डी एम ई) (19 उच्च शक्ति तथा 16 निम्न शक्ति) तथा 5 एडवांस्ड सरफेस मूवमेंट गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम (ए एस एम जी सी एस) कार्यान्वयन के अधीन हैं।

दिल्ली में आई एल एस के कार्य निष्पादन को उन्नत बनाने वाला वाइड एपर्चर एंटीना चालू कर दिया गया है।

वाइजैग में विनाशकारी हुदहुद चक्रवात से हुई तबाही के बाद आवश्यक सी एन एस सुविधाओं को 48 घंटे के रिकॉर्ड

समय में पुनः बहाल कर दिया गया जिससे वाईजैग हवाई अड्डे पर विमान प्रचालन पुनः प्रारम्भ हो गया।

गगन : एक और मील का पत्थर जिसे हमने हासिल किया है वह है उपयुक्त उपकरणों से सुसज्जित विमान के लिए भारतीय एफ आई आर में इनरुट प्रचालनों के लिए गगन के चरण–1 का प्रमाणन। इससे भारत उपग्रह आधारित दिक्चालन में परिवर्तित होने वाले विश्व के संभ्रांत देशों में से एक हो गया है।

जी बास : विमान प्रचालनों विशेषकर विमानों के अवतरण के कठिन चरण में पूरी संरक्षा उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित होते हुए भा.वि.प्रा. ने विश्व के बहुत सारे प्रमुख ए एन एस पी से आगे बढ़कर जमीन आधारित अगमेंटेशन प्रणाली को लागू करने की चुनौती को स्वीकार किया है। चेन्नई में कार्यान्वयन के अधीन जी बास इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को कैट–। लैंडिंग मिनिमा विकल्प उपलब्ध कराएगा।

सी ए टी एफ एम : सेंट्रल एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट (सी ए टी एफ एम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ए टी एफ एम यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध वायुक्षेत्र की सभी वायुक्षेत्र प्रयोक्ताओं के मध्य इष्टतम और गतिशील ढंग से हिस्सेदारी हो सके तथा यह सम्पूर्ण भारतीय वायु क्षेत्र में विमान यातायात के प्रवाह को सहज बना देगा। सी ए टी एफ एम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को क्षेत्रीय हार्मोनाइजेशन सुलभ कराने वाले इस सिस्टम को लागू करने वाले विश्व के कुछ ए एन एस पी में से एक बन गया है।

वायु क्षेत्र प्रबंधन पहल

अपर वायुक्षेत्र हार्मोनाइजेशन

भा.वि.प्रा. ने कोलकाता फ्लाइट इन्फॉरमेशन रिजन (एफ आई आर) में अपर एयरस्पेस हारमोनाइजेशन योजना तथा अपनी तरह के पहले आई पी रेडियो, आगमन एवं प्रस्थान प्रबंधन के लिए अनेक सेफ्टी नेट्स एवं डीसीजन सपोर्ट टूल्स के साथ अत्याधुनिक ए टी एस ऑटोमेशन सहित सी एन एस अवसंरचना का कार्यान्वयन किया है एवं विमान यातायात नियंत्रकों की परिस्थिति संबंधी जानकारी को बढ़ाने के लिए 9 रडार एवं 8 ए डी एस–बी रिसीवर से मल्टीकास्ट निगरानी इनपुट की स्थापना की गई व उन्हें चालू किया गया है।

ए डी एस–बी कार्यान्वयन

ए डी एस–बी के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 21 ए डी एस–बी ग्राउंड रिसीवरों के कुल नेटवर्क में से, पोर्टब्लेयर में स्थापित एक सहित, 15 एडीएस–बी ग्राउंड रिसीवरों का प्रमाणन विनियामक निकाय डी जी सी ए द्वारा कर दिया गया है। पोर्टब्लेयर में स्थापित एक ए डी एस–बी ग्राउंड रिसीवर ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में 200 एन एम के कांटिनेंटल वायुक्षेत्र को निगरानी युक्त वायुक्षेत्र में परिवर्तित किया है। चार मेट्रो ए टी सी केंद्रों एवं प्रमुख ए टी सी केन्द्रों, जिनसे निगरानी आधारित अप्रोच एवं एरिया कंट्रोल सेवाओं को उपलब्ध कराने की कल्पना की गई है, में से दो केन्द्रों पर ए डी एस–बी डाटा का ए टी एस ऑटोमेशन सिस्टम में एकीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

ए टी एस मार्ग इष्टतमीकरण

हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा एवं दक्षिण–पूर्व एशिया तथा मध्य पूर्व मध्य यूरोप के बीच कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए ए टी एस मार्ग एल 518 का पुनः सुयोजन किया गया है। इस प्रमुख पहल से चक्रवाती तूफानों के दौरान बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में उड़ानों के लिए वैकल्पिक रुटिंग भी उपलब्ध होगी। सिविल एवं मिलिट्री के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय ए टी एस मार्ग बी 209 को एच 24 प्रचालनों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इससे जमशेदपुर एवं खजुराहो के बीच कनेक्टिविटी उपलब्ध हुई है।

कोलकाता की उड़ानों के लिए जयपुर हवाईअड्डे को एक्सेस उपलब्ध कराने हेतु बी 209 के अनुक्रम में कंडिशनल रूट जे 1 स्थापित किया गया है। इसकी वजह से प्रति उडान 66 एन एम एवं 1.25 करोड रू. सालाना की कमी आई है। मुंबई एवं भोपाल के बीच आरएनवी 5 (सी डी आर–1) ए टी एस रूट्स क्यू 16 एवं क्यू 17 की स्थापना से 4 करोड रू. के बराबर की बडी धनराशि की वार्षिक बचत हो रही है। यह कार्य एच ए एल ओझार के सहयोग से पूरा हुआ। वो ओ सी आई एवं वी सी बी आई हवाईअड्डों तक पहुँच के लिए ए टी एस रुट एम 300 से

होकर प्रचालित होने वाली उड़ानों को बहुत छोटी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए ए टी एस रुट पी 895 (आर एन पी 10) की स्थापना की गई है। इससे सालाना 2.12 करोड़ रु. की बचत होगी।

आर एन पी 10 रुटस एम 300, एन 571, पी 570 एवं पी 574 पर आर एन पी 4 अनुमोदित विमान के बीच 30 एन एम देशांतरीय सेपरेशन के कार्यान्वयन से वायुक्षेत्र आयतन में वृद्धि हुई है तथा इष्टतम उड़ान प्रोफाइल की उपलब्धता हुई है।

वायु क्षेत्र का लचीला उपयोग

भारत में वायुक्षेत्र के लचीले प्रयोग संबंधी नियम पुस्तिका (मैन्युअल) वी 1.0, जिसमें वायु क्षेत्र के लचीले प्रयोग का व्यवस्थित ढंग से कार्यान्वयन उपलब्ध है, सर्वसम्मति से अपनाए जाने से वायु क्षेत्र के लचीले प्रयोग के कार्यान्वयन को काफी बढ़ावा मिला है।

नेशनल हाई लेवल एयरस्पेस पॉलिसी बॉडी (एन एच एल ए पी बी) ने अपने नेशनल एयरस्पेस मैनेजमेंट एडवाइजरी कमेटी (एन ए एम ए सी) के साथ मिलकर वायु क्षेत्र के लचीले प्रयोग के कार्यान्वयन में तीव्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। इससे सभी वायु क्षेत्र प्रयोक्ताओं के बीच वायु क्षेत्र की उचित रुप में साझेदारी होती है।

वायु क्षेत्र के लचीले प्रयोग के अंतर्गत हासिल किए गए उल्लेखनीय मील के पत्थरों में से वी ओ डी 175 (थुम्बा) एवं श्रीहरिकोटा रेंज का डिनोटिफिकेशन विशेष रुप से उल्लेख करने के योग्य है।

ए टी एम प्रक्रियाएं

कार्य निष्पादन आधारित दिक्चालन

क्षेत्र में अपनी पी बी एन विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हुए अपनी तरह की पहली कंसल्टेंसी परियोजना के रुप में ए एन एस ने शारजाह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे की पी बी एन प्रक्रियाओं को डिजाइन किया है।

कार्यनिष्पादन आधारित दिक्चालन संबंधी अपनी क्षमता एवं विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने माले को उसके द्वारा डिजाइन की गई पी बी एन प्रक्रियाओं के सफलतापूर्वक मूल्यांकन में तकनीकी सहायता प्रदान की है।

सिविल–मिलिट्री सहयोग की भावना को दर्शाते हुए तथा अपनी पी बी एन क्षमता का उपयोग करते हुए, गोवा नेवल हवाईअड्डे के लिए पी बी एन प्रक्रियाओं को डिजाइन किया गया है।

अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहल के अंग के रुप में भा.वि.प्रा. ने यू एस टी डी ए समझौते के अंतर्गत कुल वायु क्षेत्र एवं एरोड्रोम मॉडलिंग कैपाबिलिटी को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। इसका उपयोग हवाईअड्डे के इष्टतमीकरण एवं वायु क्षेत्र योजना/विश्लेषण के लिए किया जा रहा है जिससे संरक्षा में वृद्धि एवं प्रचालन में दक्षता प्राप्त हो रही है।

प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

सी ए टी सी भारत एवं इनैक–फ्रांस के विमानन विश्वविद्यालय ने मिलकर भारत में ए एन एस पी प्रबंधन में एक वर्षीय उन्नत स्नातकोत्तर कार्यक्रम का विकास एवं संचालन किया है जिसका उद्देश्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वायु दिक्चालन सेवा विभाग के मध्यम एवं उच्च स्तरीय प्रबंधन के प्रचालनात्मक पर्यवेक्षकों एवं तकनीकी प्रबंधकों को प्रशिक्षित करना है। इस कार्यक्रम का पहला बैच मार्च 2015 में प्रारम्भ हुआ। यह अंततः भा.वि.प्रा. के ए एन एस कार्मिकों को वृद्धि उन्मुख चुनौतियों का सफलतापूर्वक प्रबंधन करने तथा भारत में वायु दिक्चालन सेवाओं को निरंतर श्रेष्ठ बनाए रखने में योगदान करने में दक्ष बनाएगा।

सी एस आर के अंश के रूप में 500 से भी ज्यादा विद्यार्थियों को सी एन एस तकनीकी क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

संभाला गया यातायात

वर्ष 2014–15 के दौरान अन्तरराष्ट्रीय तथा घरेलू सेक्टर के सभी तीनों क्षेत्रों नामतः विमान संचलन, विमान यात्री तथा संभाले गए भाड़े में सभी भारतीय हवाई अड्डों में पिछले वर्ष की तुलना में संभाले गए यातायात में वृद्धि देखने को मिली। वर्ष के दौरान विमान संचलन, यात्री तथा भाड़ा यातायात में क्रमशः 4.3% 12.6% तथा 10.9% की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान संभाले गए यातायात एवं पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान संभाले गए यातायात का विवरण निम्नवत है :

विवरण	2014–15	2013–14	बदलाव %
विमान आवागमन (संख्या में)			
अंतरराष्ट्रीय	345363	335970	2.8
घरेलू	1257658	1200645	4.7
कुल	**1603021**	**1536615**	**4.3**
यात्री (संख्या में)			
अंतरराष्ट्रीय	50799320	46619723	9.0
घरेलू	139329838	122296319	13.9
कुल	**190129158**	**168916042**	**12.6**
भाड़ा (मीट्रिक टन में)			
अंतरराष्ट्रीय	1 542536	1443066	6.9
घरेलू	985021	836088	17.8
कुल	**2527557**	**2279154**	**10.9**

वित्तीय निष्पादन

2013–14 में कर पश्चात लाभ रु. 1441.06 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में रु. 1959.22 करोड़ हुआ। वर्ष 2014–15 में भा.वि.प्रा. की वित्तीय विशेषताएं निम्नवत है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	2014–15 वास्तविक	2013–14 वास्तविक
(क) राजस्व	9284.98	8170.04
(ख) व्यय	6493.57	5649.73
(ग) कर पूर्व लाभ	2791.41	2520.31
(घ) कर हेतु प्रावधान	1247.44	1146.95
(ङ) आस्थगित कर देनदारियां / (परिसम्पत्ति)	(415.25)	(67.70)
(च) कर पश्चात लाभ	1959.22	1441.06
(छ) लाभांश	391.85	288.00
(ज) लाभांश पर कर	75.94	58.73
(झ) आरक्षणों पर विनियोजन		
(i) विनिर्दिष्ट आरक्षण	617.46	446.55
(ii) सामान्य आरक्षण	873.97	647.78
(ञ) आंतरिक संसाधन	2885.56	2462.98

पूंजीगत संरचना

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
(क) सरकारी पूँजी	656.56	656.56
(ख) रिजर्व एवं अधिशेष	10799.70	9318.37
(ग) उधारी	1287.40	1657.21
(घ) शुद्ध मूल्य	11416.61	9935.78
(ङ) नियोजित– पूँजी	10546.37	9406.70
(च) कार्यशील पूँजी	2298.65	752.75

लाभांश

भा.वि.प्रा. ने वर्ष 2013–14 में रुपए 288 करोड की तुलना में वर्ष 2014–15 में रुपए 391.85 करोड़ लाभांश घोषित किया।

सरकार को भुगतान

वर्ष के दौरान, भारत सरकार को कर के अतिरिक्त निम्नलिखित भुगतान किया गया।

(रु. करोड में)

वर्ष 2013–14 हेतु अंतरिम लाभांश	145.00
गारंटी शुल्क	2.17
कुल	**147.17**

सरकार से भुगतान

वर्ष के दौरान भा.वि.प्रा. ने बजटीय अनुदान के रूप में सरकार से रुपये 120.5 करोड़ प्राप्त किए। एनईसी ने देश के उत्तर–पूर्व क्षेत्र में हवाई अड्डों के विकास एवं उन्नयन हेतु अनुदान के रूप में 20.5 करोड रुपए दिए।

पूंजीगत व्यय

पिछले वर्ष के रु. 1158.00 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान रु.1399.87 करोड़ पूंजीगत व्यय हुआ।

विदेशी मुद्रा

वर्ष 2014–15 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं एवं कल पुर्जे की खरीद, विदेश यात्रा, परामर्शी सेवाएं, विदेशी ऋण का भुगतान आदि पर 331.03 करोड़ खर्च हुए। भा.वि.प्रा. का मानित विदेशी मुद्रा अर्जन लगभग 711.52 करोड़ रुपये था।

हवाई अड्डों को पट्टे पर देने से आय

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे तथा मुबंई के सी एस आई हवाई अड्डे को पट्टे पर देने से रु. 2907.49 करोड़ की आय हुई जिसमें रु. 1967.81 करोड़ दिल्ली हवाई अड्डे, रु. 929.31 करोड़ मुंबई हवाई अड्डे एवं पिछले वर्ष में रु. 2684.35 करोड की तुलना में रु. 10.37 करोड समानुपातिक अपफ्रंट शुल्क के प्राप्त हुए।

धारणीय विकास

भा.वि.प्रा. ने देश भर में हवाई अड्डा परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय विभिन्न धारणीय विकास परियोजनाएं गतिविधियां आरंभ की गई है एवं त्रिवेन्द्रम, गोवा, तिरुपति, खजुराहो, पाण्डीचेरी हवाई अड्डे पर वेस्ट मैनेजमेंट (जल–मल शोधन संयंत्र) द्वारा एवं गोवा, तिरुपति, कालीकट, इम्फाल, खजुराहो, कडप्पा हवाई अड्डे पर जल प्रबंधन (वर्षा जल संचयन) द्वारा पर्यावरण–अनुकूल धारणीय विकास आरंभ किए गए।

कार्बन प्रबंधन एवं नवीकरण ऊर्जा के मोर्चे पर, रायपुर, गुवाहाटी, इंदौर, भुवनेश्वर, भोपाल तथा निगमित मुख्यालय, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली हेतु 50 से 250 के डब्ल्यू पी क्षमता के सौर पावर प्लांट सफलता पूर्वक आंरभ किए हैं। जिनसे आज की तिथि पर कुल 700 के डब्ल्यू पी विद्युत उत्पन्न होती हैं।

अमृतसर, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता, पटना, रांची, कालीकट, जोधपुर, इलाहाबाद, गुवाहाटी, चंडीगढ, पर कुल 5100 के डब्ल्यू शक्ति के 100 से 750 के डब्ल्यू क्षमता के सौर फोटो वोल्टेयिक पावर प्लांट लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है जो 2015–16 के दौरान पूर्ण हो जाएगी। अहमदाबाद में 700 के डब्ल्यू का सौर ऊर्जा प्लांट चेन्नई में 1500 के डब्ल्यू का सौर ऊर्जा प्लांट तथा

वडोडरा तथा भुवनेश्वर में 800 के डब्ल्यू का सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाने की योजना है।

बिल्डिग, आउटडुअर लाईटिंग एवं एयर फील्ड (टेक्सीवे) लाइटिंग के लिए उर्जा दक्ष एल ई डी प्रकार की लाइटिंग उपलब्ध कराके चरणबद्ध तरीके से ऊर्जा लेखापरीक्षा को संपन्न कराके उर्जा प्रबंधन पहल को कार्यान्वित किया जा रहा है। भोपाल, राजकोट, अहमदाबाद, त्रिची, भुवनेश्वर एवं रांची हवाई अड्डे पर बिना हवाई अड्डे प्रचालन व्यवधान के एल ई डी प्रकार की लाइटिंग प्रणाली को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

सी ए टी सी, इलाहाबाद, सफदरजंग आफीसर क्लब एवं रंगपुरी में भा.वि.प्रा. गेस्ट हाऊस पर सौर जल ताप प्रणाली का कार्य पूर्ण हो गया है।

हमारे सभी वर्तमान एवं भावी हवाई अड्डों के लिए डिजाइन का मुख्य उद्देश्य उर्जा संरक्षण बिल्डींग कोड – इ सी बी सी मानदंड का पालन करना एवं इंटीग्रेटेड हेबिटेट एसेसमेंट (ग्रिहा) के लिए ग्रीन रेटिंग प्राप्त करना है। जिससे हवाई अड्डा अवसंरचना के विकास के साथ पर्यावरण संबंधी मामलों पर भी ध्यान दिया जा सकेगा।

विमानन संरक्षा

विमानन संरक्षा निदेशालय विमान दिक्चालन सेवाओं तथा विमानपत्तन प्रचालनों सहित भा.वि.प्रा. द्वारा प्रबंधित हवाई अड्डों पर विभिन्न गतिविधियों में संरक्षा के पहलुओं के प्रबंधन द्वारा भा.वि.प्रा. के संरक्षा संबंधी कार्यों का निष्पादन करता है। यह अपने हवाई अड्डों पर इकाओ स्टैण्डर्ड व संस्तुत पद्धतियों तथा डीजीसीए द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय विनियमों के अनुपालन का निर्धारण करता है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विमानन संरक्षा निदेशालय भा.वि.प्रा. के स्वामित्व वाले सभी चालू हवाई अड्डों का नियमित अंतराल पर संरक्षा अंकेक्षण करता है ताकि संरक्षा स्टैण्डर्ड की प्रभावशीलता का निर्धारण हो सके तथा खतरों के विरुद्ध संरक्षा प्रबंधन की क्षमता का सत्यापन हो सके।

वर्ष 2013–14 के दौरान, विमानन संरक्षा निदेशालय द्वारा 35 हवाई अड्डों तथा 6 सीएनएस स्थापनाओं का संरक्षा लेखा परीक्षा किया गया।

वर्ष के दौरान 3 परामर्शी परिपत्रों को जारी किया गया। यह परामर्शी परिपत्र संरक्षा दस्तावेजों को भरने के मानकीकरण, व्याख्या में एकरूपता तथा प्रविधि में सहायक होगें।

- वर्ष के दौरान 3 संरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा विभिन्न संवर्गों के 110 भा.वि.प्रा. अधिकारियों को इस प्रशिक्षण कार्यकम में प्रशिक्षण दिया गया।

कार्गो उपलब्धियां

- 4 अप्रैल 2014 को कार्गो टर्मिनल चेन्नई के आयात स्कंध में पेरिशेबल कार्गो को संभालने हेतु 75 वर्ग मी. माप के नए वातानुकूलित भंडारण का आरंभ किया गया।
- एपीईडीए के सहयोग से 5 एमटी क्षमता के वाक–इन–टाइप वातानुकूलित भंडारण को मंगलूर हवाई अड्डे पर प्रतिस्थापित किया गया तथा 8.5.2014 को पेरिशेबल कार्गो को संभालने हेतु प्रचालन में लाया गया।
- भा.वि.प्रा. वित्तीय वर्ष 2014–15 में 5 हवाई अड्डों नामतः चेन्नई/कोलकाता/मंगलूर/वाईजैग तथा मदुरई हवाई अड्डों पर घरेलू कार्गो सुविधाओं (सीयूडीसीटी) के निर्माण की महापरियोजना पर कार्य कर रहा हैं।

- विमान भाड़ा स्टेशनों पर संशोधित नीति दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।
- भा.वि.प्रा. बोर्ड ने 1 जनवरी 2015 से चेन्नई/कोलकाता हवाई अड्डों पर अधिसूचित/गैर–अधिसूचित कार्गो वाहकों को उनके अवतरण प्रभार पर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने पर मंजूरी दे दी है।
- भा.वि.प्रा. द्वारा संचालित सभी हवाई अड्डों पर एकरूप "बोंडिड ट्रकिंग प्रभार" अधिरोपित करना परिपत्रित कर दिया गया है।
- कोयम्बटूर तथा जयपुर हवाई अड्डे पर कॉमन यूजर घरेलू कार्गो टर्मिनल भा.वि.प्रा. ने पहले ही आंरभ कर दिया है, जबकि विभागीय रूप से लखनऊ हवाई अड्डे पर घरेलू आऊट बाउंड कार्गो हैंडलिंग आंरभ की गई।
- ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण चेन्नै तथा कोलकाता हवाई अड्डों द्वारा आयोजित किया गया।
- भौतिक दक्षता में वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान कार्गो निदेशालय ने संभाले गए समग्र कार्गो टन मात्रा में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की।

भारतीय विमानन अकादमी

पृष्ठभूमि

भारतीय विमानन अकादमी (आईएए) जिसे पूर्व में राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (नियामार) के नाम से भी जाना जाता था, ने कई बदलाव देखे है। आरंभ में वर्ष 1986 में विमानपत्तन प्रबंधन संस्थान (आई ए एम) का गठन हुआ। इस संस्थान ने अपना कार्य पैटरसन फार्म हाऊस से आंरभ किया जोकि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित था। वर्ष 1988 में आईएएम अपने वर्तमान कैंपस से गुडगांव रोड पर चला गया। आईएएम को वर्ष 1997 में राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (नियामार) का नाम दिया गया। वर्ष 2010 में भा.वि.प्रा. बोर्ड ने नियामार को एक सोसायटी के रूप में बदलने का निर्णय किया जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.), नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) प्रतिभागी संगठन है। 22 जुलाई 2010 को गठित नियामार सोसायटी के अंतर्गत उक्त प्रतिभागी संगठनों की संयुक्त प्रशिक्षण अकादमी के रूप में भारतीय विमानन अकादमी (आईएए) की स्थापना की गई।

विमानन प्रबंधन क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान तथा भा.वि.प्रा., डीजीसीए, बीसीएएस के कर्मचारियों तथा एशिया–पैसेफिक क्षेत्र तथा अफ्रीका देशों के अन्य अंशधारियों को प्रशिक्षण देने में आईएए उत्कृष्टता का वैश्विक केन्द्र बनने की दिशा में है।

उपलब्धियां

एमओयू के लक्ष्यों के अनुसार आईएए ने 2014 के दौरान उच्च स्तर के 32 वरिष्ठ अधिकारियों को निगमित गवर्नेस पर प्रशिक्षण दिया।

आईएए ने इकाओ विशेषज्ञों का प्रबंध कर 2014 के दौरान दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए तथा इकाओ, मांट्रियाल के सहयोग से विकासशील देशों के 12 प्रतिभागियों को फैलोशिप दी।

आईएए ने भुगतान के आधार पर संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा के कार्यालय (यूएनओपीएस) के माध्यम से अफगान नागर विमानन कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया।

आईएए ने साल 2015 के दौरान भारत में सार्क देशों हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं को देने की प्रक्रिया आरंभ की है। आईएए को 9 दिसंबर 2014 को लास वेगास में यूरोपियन सोसायटी ने "उत्तम गुणवत्ता नेतृत्वकर्ता" अवार्ड हेतु चयनित किया।

आईएए ने वर्ष 2014–15 के दौरान 2762 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जिसमें 1248 प्रतिभागी भा.वि.प्रा. से,

1475 प्रतिभागी डीजीसीए/बीसीएएस/एयरलाइंस इत्यादि से तथा 39 विदेशी प्रतिभागी थे।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

भा.वि.प्रा., सी एस आर का मुख्य क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, ग्रामीण एवं शहरी अवसंरचना है। इसके अलावा, यह ग्रामीण खेलकूद, आपदा प्रबंधन तथा पर्यावरण के क्षेत्र में भी कार्य करता है जोकि समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के ध्येय पर आधारित है और सभी सीएसआर परियोजनाएं समय–समय पर लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अनुसूची VII की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में भा.वि.प्रा. ने सीएसआर गतिविधियों हेतु रु. 44.63 करोड आबंटित किए हैं।

शिक्षा पर – भा.वि.प्रा. ने कोलकाता हवाई अड्डे पर विद्यालय हेतु नए भवन का निर्माण कार्य तथा मधरापुदी तथा बुरूगुपुदी, राजमुंद्री, आन्ध्र प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अवसंरचनात्मक विकास का कार्य तथा डिब्रूगढ़ में सरकारी लोअर प्राथमिक विद्यालय के जीर्णोद्धार का कार्य किया है।

कौशल विकास पर – भा.वि.प्रा. ने निर्माण औद्योगिक विकास परिषद (सीआईडीसी) के साथ सहयोग कर देश भर में वंचित समाज के 1000 युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट देने का कार्य किया है।

स्वच्छ भारत अभियान – स्वच्छ विद्यालय के तहत एमएचआरडी ने बालिकाओं हेतु 765 विद्यालयों में शौचालय का निर्माण कार्य सौंपा है। भा.वि.प्रा. ने 1078 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर संबंधित प्राधिकारी को सौंपा दिया है। सचिव, एमएचआरडी ने लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने पर प्रशंसा व्यक्त की है।

वरिष्ठ नागरिक गृह – भा.वि.प्रा. ने स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर में वरिष्ठ नागरिक हेतु घरों के निर्माण का कार्य किया है।

पर्यावरण पर – भा.वि.प्रा., सरकारी रिसाइकलिंग कार्यालय अपशिष्ट (जी.आर.ओ.डब्ल्यू) के समर्थन में कागज पुनर्चक्रण इकाई चला रहा है। यह इकाई देशभर में भा.वि.प्रा. के कार्यालयों के वेस्ट कागज को उपयोगी लेखन सामग्री उत्पादों में बदलती है तथा इसने समाज के वंचित तबके के लिए रोजगार के अवसर भी मुहैया कराए हैं।

सतर्कता गतिविधियाँ

(क) भा.वि.प्रा. में "सत्यनिष्ठा समझौता"

- 01.04.2008 से भा.वि.प्रा. में सत्यनिष्ठा समझौता (आई पी) लागू किया गया। अब तक रु. 13,410.11 करोड़ के मूल्य की 133 परियोजनाएं आई पी के दायरे (04.03.2015 तक की स्थिति) में आई हैं।
- "सत्यनिष्ठा समझौता" से संबंधित विभिन्न मामलों तथा वेंडरों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए 26.09.14 को एक वेंडर बैठक आयोजित की गई।

(ख) सतर्कता मामले तथा गतिविधियां

- सी वी सी द्वारा दिए गए निदेशों की अनुपालना में, 14.07.2014 तथा 24.03.2015 को दो तिमाही सतर्कता समीक्षा बैठकें (क्यू वी आर एम) आयोजित की गई। प्रणाली के सरलीकरण हेतु बैठक में अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई।
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य सतर्कता आयुक्त (सी वी सी) की अध्यक्षता में 23.07.2014 को वार्षिक आंचलिक समीक्षा बैठक (ए जैड आर एम) आयोजित की गई।
- सीवीसी दिशानिदेशों के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27.10.2014 से 01.11.2014 तक भा.वि.प्रा. के सभी कार्यालयों, हवाईअड्डों तथा इकाईयों में आयोजित

किया गया। निगमित मुख्यालय में इसके आयोजन के मुख्य बिंदु निम्नंवत हैं–

(ग) कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम

- भारतीय विमानन अकादमी, नई दिल्ली में 14.07.2014 से 15.07.2014 तक "विभागीय जाँच तथा अनुशासनिक कार्यवाहियों" पर कार्यशाला आयोजित की गई।
- कोलकाता में 18.09.2014 से 19.09.2014 तक "करार के प्रभावी प्रबंधन–अच्छे गवर्नेंस को बढ़ावा" पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।
- भा.वि.प्रा. के गैर–कार्यपालकों हेतु आईएए, नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय मुख्यालय, मुंबई में 09.10.2014 से 10.10.2014 तथा 27.11.2014 से 28.11.2014 तक "मुझे अपने कार्यस्थल पर सतर्क तथा नैतिक क्यों रहना चाहिए" पर दो कार्यशालाएं आयोजित की गई।
- भा.वि.प्रा. के गैर–कार्यपालकों के लिए गुवाहाटी में 21.01.2015 से 22.01.2015 तक 'मेरे कार्य स्थल पर मुझे क्यों सतर्क एवं नैतिक रहना चाहिए' पर कार्यशाला आयोजित की गई।
- एएआईओए, नई दिल्ली के व्याख्यान कक्ष में 24.02.2015 को सी वी ओ, भा.वि.प्रा. ने "पब्लिक गवर्नेंस में नैतिकता तथा मूल्यों" पर कार्यशाला आयोजित की।

सतर्कता विभाग ने कडप्पा, मंगलूर, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी तथा इन्दौर हवाई अड्डों पर सिविल तथा विद्युत कार्यों इत्यादि से संबंधित आठ (08) सी टी ई प्रकार के निरीक्षण किए।

31 तथा 21 आवधिक तथा औचक निरीक्षण सी वी सी द्वारा किए गए।

सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता

सतर्कता पहल पर उठाए गए / लागू किए गए कदम

- पारदर्शिता लाने तथा क्लियरेंस प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी लाने हेतु एस ए पी प्लेटफार्म के अंतर्गत ऑन–लाइन सतर्कता क्लियरेंस प्रणाली को लागू करने हेतु इसका परीक्षण किया गया।
- ई–प्रापण को बढ़ावा देने के लिए एक तकनीकी परिपत्र जारी किया गया, सी पी पी पोर्टल पर निविदा संबंधित लिंक उपलब्ध करवाया गया है तथा ए ए आई को चयन करने पर लिंक एएआई वेबसाइट पर खुल जाएगा।

इस अवधि के दौरान 06 तकनीकी अनुदेश / परिपत्र तथा 11 प्रशासनिक परिपत्र जारी किए गए ताकि प्रणाली में स्पष्टता तथा सुधार आए।

वाणिज्यिक नियमावली के अद्यतनीकरण को अंतिम रूप देने हेतु एक वाणिज्यिक परामर्शी बैठक आयोजित की गई।

अवधि के दौरान, 23 दीर्घशास्ति मामले तथा 16 लघुशास्ति मामले के अनुशासनिक मामलों को अंतिम रूप दिया गया।

अवधि के दौरान, 29 शिकायतों की जाँच की गई जिसमें 7 दीर्घ / 12 लघुशास्ति कार्रवाईयां तथा 10 प्रशासनिक कार्रवाईयां / प्रणालीबद्ध सुधारों की संस्तुति / पहल की गई।

अब तक राशि की वसूली के आधार पर, जाँच तथा निरीक्षण के आधार पर सतर्कता पहल के परिणामस्वूरूप रु. 1.21 करोड़ की राशि की वसूली की गई ।

2014–15 में खेलकूद गतिविधियां

राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भा.वि.प्रा. टीम की प्रतिभागिता एवं उपलब्धियाँ

बैडमिंटन

विजयवाड़ा में फरवरी, 2014 में आयोजित वरिष्ठ राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में भा.वि.प्रा. महिला टीम ने कांस्य पदक जीता।

शतरंज

20 से 26 फरवरी, 2015 तक गोवा में 13वें राष्ट्रीय टीम शतरंज चैंपियनशिप में भा.वि.प्रा. महिला टीम ने कांस्य पदक जीता।

टेबल टेनिस

पुदुचेरी में जनवरी, 2015 में आयोजित 76वें वरिष्ठ राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भा.वि.प्रा. महिला टीम ने कांस्य पदक जीता।

अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में व्यावसायिक खिलाडियों की उपलब्धियाँ।

वर्ष 2014–15 के दौरान, भा.वि.प्रा. खेलकूद करार योजना/भा.वि.प्रा. खेलकूद छात्रवृत्ति योजना में अनेक खिलाडियों को शामिल किया गया। इनमें से बैडमिंटन में 9 खिलाड़ी तथा शतरंज में 2 खिलाडियों ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अनेक पदक जीते। आगे, बैडमिंटन में 7 खिलाडियों, बाक्सिंग में 2 खिलाडियों, शतरंज में 2 खिलाडियों तथा टेबल–टेनिस में 3 खिलाडियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भारत सरकार की राजभाषा नीति के अन्तर्गत अधिनियम एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। हिन्दी के प्रयोग के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने तथा हिन्दी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए वर्ष के दौरान निगमित मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालय तथा फील्ड स्टेशनों पर हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। निगमित मुख्यालय तथा अन्य सभी स्टेशनों पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त निगमित मुख्यालय तथा लगभग सभी स्टेशनों पर हिन्दी पखवाड़ा भी मनाया गया। हिन्दी शिक्षण योजना अथवा विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से हिन्दी का प्रशिक्षण लगातार दिया जाता है। सितंबर 2014 में हिन्दी पखवाड़े के दौरान निगमित मुख्यालय में राष्ट्रीय हिन्दी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।

भा.वि.प्रा. में राजभाषा के प्रयोग पर बल देने के लिए निगमित मुख्यालय के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय एवं अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

वर्तमान में निगमित मुख्याालय द्वारा हिन्दी में गृह पत्रिका 'अर्पण' का प्रकाशन किया जा रहा है।

संयुक्त उद्यम कंपनी

चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड

चंडीगढ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (सी एच आई ए एल) जोकि चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को प्रचालित एवं उसे मेंटेन करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा ग्रेटर मोहाली एरिया डवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से पंजाब सरकार एवं हरियाणा सरकार के सहयोग से कंपनीज एक्ट, 1956 के अंतर्गत गठित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, पंजाब के मोहाली में एक नया अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा निर्मित कर रहा है। नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 11.9.2015 को किया गया एवं 19.10.2015 से यह प्रचालन में आ गया।

सदस्यों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

इस बात की पुष्टि की जाती है कि :–

(i) वार्षिक लेखों को तैयार करने में सामग्री प्रस्थान के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ–साथ लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ii) सदस्यों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उनको निरंतर लागू किया है एवं निर्णय दिए हैं व प्राक्कलन किया है जो उचित एवं विवेकपूर्ण है ताकि वे वित्तीय वर्ष 2014–15 के अंत तक प्राधिकरण के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि में प्राधिकरण के लाभ की वास्तविक एवं स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सके।

(iii) लेखाकरण रिकार्डों के समुचित रख–रखाव के लिए सदस्यों ने उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है।

(iv) सदस्यों ने वार्षिक लेखा को गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किया है।

बोर्ड सदस्य

वर्ष के दौरान बोर्ड के संघटन में कोई बदलाव नहीं हुआ:

31 मार्च, 2015 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य थे :–

1. श्री आर. के. श्रीवास्तव – अध्यक्ष
2. सुश्री एम. सत्यवती – महानिदेशक नागर विमानन एवं पदेन सदस्य
3. श्री अरुण कुमार – अंशकालिक सदस्य
4. सुश्री गार्गी कौल – अंशकालिक सदस्य
5. श्री एस. रहेजा – सदस्य (योजना)
6. श्री वी. सोमासुन्दरम – सदस्य (वायु दिक्चालन सेवाएं)
7. श्री जी. के. चौकियाल – सदस्य (प्रचालन)
8. श्री एस. सुरेश – सदस्य (वित्त)
9. श्री अनुज अग्रवाल – सदस्य (मानव संसाधन)

31.3.2015 के बाद बोर्ड के सदस्यों के संघटन में बदलाव

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 10 सितम्बर, 2015 के आदेश संख्या ए.वी. 24011/240/2015–ए ए आई–एम ओ सी ए के माध्यम से श्री ए. के. दत्ता, कार्यपालक निदेशक की भा.वि.प्रा. के सदस्य (ए.एन.एस) के पद पर नियुक्ति की गई। यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से या 1.10.2015 के बाद 5 वर्षों के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति तक के लिए अथवा अगले आदेशों तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, होगी। श्री ए. के. दत्ता ने भाविप्रा के सदस्य (ए.एन.एस) का पदभार 1 अक्तूबर, 2015 से ग्रहण कर लिया है।

नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 13 अगस्त, 2015 के पत्र संख्या ए वी 24011/116/2015–ए ए आई–एम ओ सी ए के संदर्भ में श्री जी. के. चौकियाल ने सदस्य (प्रचालन) का कार्यभार 20 अक्तूबर, 2015 से छोड़ दिया है।

आभार प्रदर्शन

प्राधिकरण सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए सद्भावनापूर्ण प्रयासों तथा योगदान की सराहना करता है।

प्राधिकरण नागर विमानन मंत्रालय, डी जी सी ए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा अन्य सरकारी विभागों, विमान सेवाओं तथा अन्य एजेंसियों द्वारा दिए गए समर्थन एवं सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता है। प्राधिकरण सभी क्षेत्रों के अपने क्रिया–कलापों में बैंकाक स्थित इकाओ के क्षेत्रीय कार्यालय तथा मांट्रियाल स्थित इकाओ मुख्यालय द्वारा दिए गए समर्थन एवं सहयोग की भी सराहना करता है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से

(आर. के. श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 1 दिसंबर, 2015

31.03.2015 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्गों व अशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कुल अधिकारियों– कर्मचारियों की कुल संख्या निम्न प्रकार से है।

कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का %	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का %	अन्य पिछडे वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	अन्य पिछडे वर्ग के कर्मचारियों का %
17465	3828	21.88	1172	6.70	2537	14.50

31.03.2015 को कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अशक्त व्यक्तियों की संख्या

कर्मचारियों की कुल संख्या	दृश्य अशक्तता	श्रव्य अशक्तता	शारीरिक अशक्तता	अशक्त कर्मचारियों की कुल संख्या	अशक्त कर्मचारियों का प्रतिशत
17465	27	22	159	208	1.19

भाविप्रा द्वारा अशक्त व्यक्तियों को उपलब्ध करवाई गई सुविधा :

(i) अशक्त व्यक्तियों को एक तल से दूसरे तल तक जाने के लिए लिफ्ट लगाई गई। लिफ्टों के दरवाजों के खुलने का आकार इस तरह बनाया गया है ताकि पहिए वाली कुर्सी आसानी से अन्दर तथा बाहर आ जा सके।

(ii) चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक हवाई अड्डा उपयोगकर्ताओं के लिए आपातकालीन सेवाओं हेतु निशुल्क पहिए वाली कुर्सी (व्हिल चेयर) मेडिकल निरीक्षण कक्ष में रखी हुई है तथा टर्मिनल भवन में शहर की ओर तथा हवाई अड्डे में हवाई क्षेत्र की ओर अशक्त व्यक्तियों हेतु रैम्प बनाए गए हैं।

(iii) अपना वाहन चला कर लाने वाले अशक्त व्यक्तियों हेतु कार पार्किंग क्षेत्र में विशेष पार्किंग स्लॉट बनाए गए हैं।

(iv) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आप्रवासन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने हेतु अशक्त व्यक्तियों के लिए अनुकूल आप्रवास काउंटर तैयार किए जा रहे हैं।

(v) सुरक्षा जाँच काउंटर इस प्रकार बनाए गए हैं कि सुरक्षा जाँच क्षेत्र से पहिए वाली कुर्सी का आवागमन आसानी से हो सके।

(vi) अशक्त व्यक्तियों हेतु टर्मिनल तथा कर्ब साइड में रैम्प।

वित्तीय स्थिति

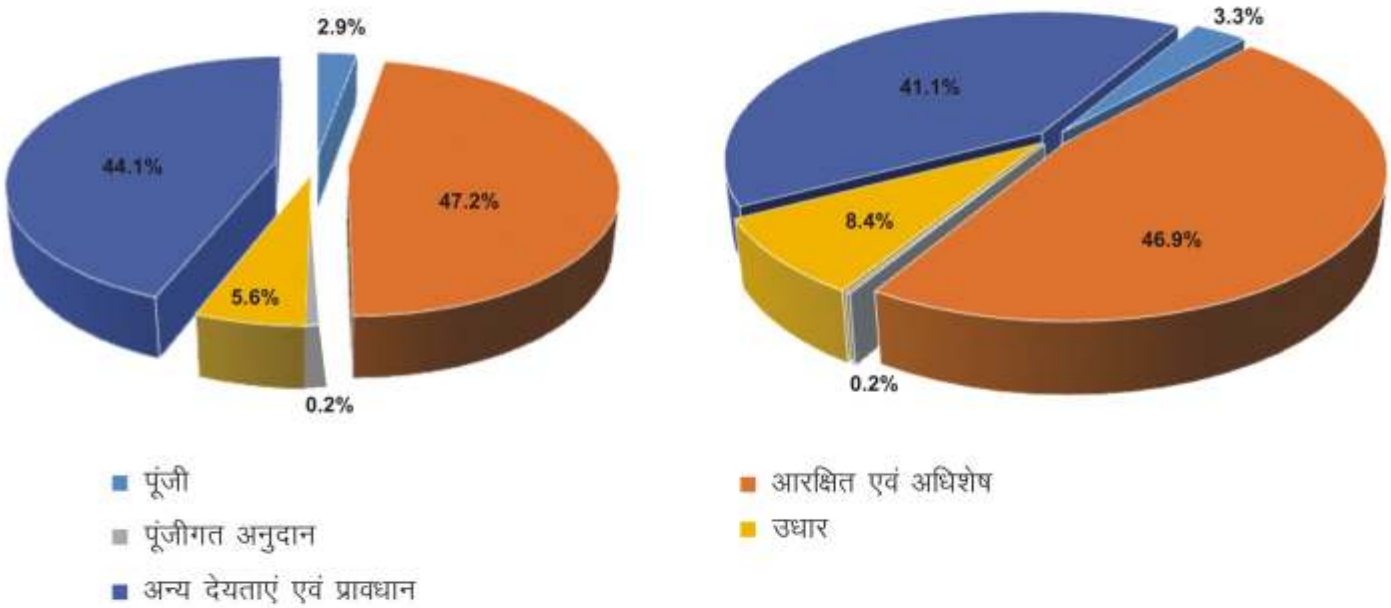

हमारी देनदारियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
पूंजी	656.56	656.56
आरक्षित एवं अधिशेष	10760.05	9279.22
पूंजीगत अनुदान	39.65	39.15
उधार	1287.40	1657.21
चालू देयताएं एवं प्रावधान	10068.69	8132.95
योग	**22812.35**	**19765.09**

वित्तीय स्थिति

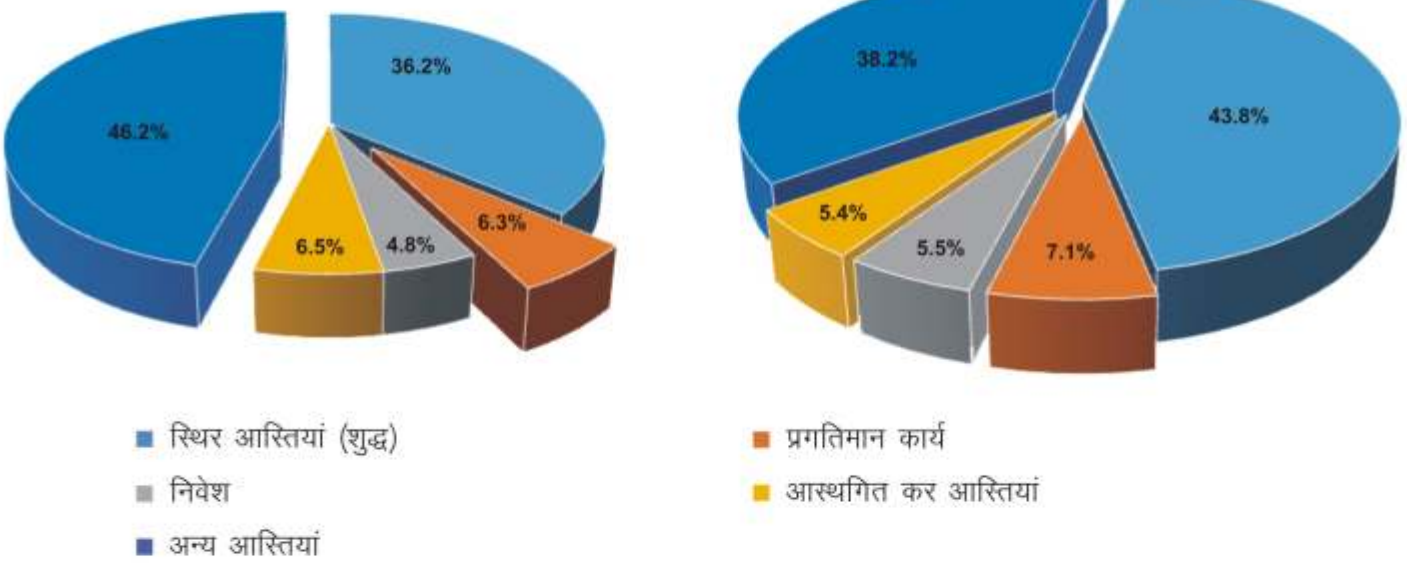

हमारे स्वामित्व में

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
स्थिर आस्तियां (शुद्ध)	8247.72	8653.95
प्रगतिमान कार्य	1442.22	1403.61
निवेश	1101.15	1096.13
आस्थगित कर आस्तियां	1482.91	1067.66
अन्य आस्तियां	10538.35	7543.74
योग	**22812.35**	**19765.09**

कार्य निष्पादन पर एक दृष्टि

(₹ करोड़ में)

विवरण	इकाई	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
धन के स्रोत						
प्रदत्त पूंजी	₹ करोड में	656.56	656.56	656.56	656.56	655.61
अनुदान	"	39.65	39.15	37.05	547.11	440.80
भारत सरकार से प्राप्त ऋण	"	0	0.00	0.00	0.95	32.28
अन्य ऋण	"	1,287.40	1,657.21	1655.15	2141.29	1192.96
गैर-चालू देनदारियां	"	5,216.46	1,980.64	2604.93	-	-
आरक्षित एवं अधिशेष	"	10,760.05	9,279.22	8174.59	7610.44	6960.97
कुल		**17,960.12**	**13,612.78**	**13128.28**	**10956.34**	**9282.62**
धन का उपयोग						
स्थिर आस्तियां (मूल्यह्रास घटाकर)	"	8,247.72	8,653.95	9230.18	5909.43	5360.15
प्रगतिशील कार्य	"	1,442.22	1,403.61	1205.55	4391.68	3747.52
निवेश	"	1,101.15	1,096.13	1091.23	1086.31	978.65
अन्य गैर-चालू आस्तियां	"	3,387.47	638.68	432.76	-	-
कार्यशील पूंजी	"	2,298.65	752.75	168.60	(1251.27)	(1471.07)
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	"	1,482.91	1,067.66	999.96	820.18	667.36
कुल		**17,960.12**	**13,612.78**	**13128.28**	**10956.34**	**9282.61**
आय एवं लाभ						
राजस्व	"	9,284.98	8,170.04	6849.08	5878.66	5139.21
व्यय	"	6,493.57	5,649.73	5462.21	4514.54	3792.92
कर पूर्व लाभ	"	2,791.41	2,520.31	1386.87	1364.12	1346.30
कर हेतु प्रावधान	"	1,247.44	1,146.95	831.65	667.70	566.90
आस्थगित कर देयता (आस्तियां) हेतु प्रावधान		(415.25)	(67.70)	(179.78)	(162.58)	(67.00)
कर पश्चात लाभ	"	**1,959.22**	**1,441.06**	**735.00**	**859.00**	**846.40**
विनियोजन						
सामान्य आरक्षित	"	873.97	647.78	(64.01)	395.53	389.77
विशिष्ट आरक्षित	"	617.46	446.55	628.15	263.69	259.85
लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)	"	391.85	288.00	147.00	171.90	169.30
लाभांश पर कर	"	75.94	58.73	23.86	27.89	27.47
कुल		**1,959.22**	**1,441.06**	**735.00**	**859.01**	**846.39**
कुल मूल्य (शेयर पूंजी + आरक्षित)	"	11,416.61	9,935.78	8831.15	8266.99	7616.58
नियोजित पूंजी (शुद्ध स्थिर आस्तियां + कार्यशील पूंजी)	"	10,546.37	9,406.70	9398.78	4658.16	3889.08
चालू आस्तियां	"	7,150.88	6,905.06	5,379.93	5408.04	5938.72
चालू देनदारियां	"	4,852.23	6,152.31	5,211.33	6659.30	7409.79
कार्यशील पूंजी	"	**2,298.65**	**752.75**	**168.60**	**(1251.27)**	**(1471.07)**

कार्य निष्पादन पर एक दृष्टि

(₹ करोड़ में)

अन्य विशेषताएं						
स्थिर आस्तियों में वृद्धि	₹ करोड़ में	1015.19	681.44	4489.62	1618.47	1920.48
प्रावधान को छोड़कर विविध देनदार	"	2,320.80	1,785.56	1,593.98	1516.47	1021.98
तैनात कर्मचारियों की संख्या	संख्या	17465	18036	18573	18781	18243
विमान संचलन	संख्या हजार में	1603	1537	1479	1545	1393
यात्री आवागमन (**)	"	78895	71759	68284	68397	59642
संभाला गया कार्गो (**)	हजार टन में	681	638	652	703	727
अनुपात						
शुद्ध मूल्य के कर के बाद लाभ	प्रतिशत	17	15	8	10	11
विनियोजित पूंजी पर कर के पूर्व लाभ	"	26	27	15	29	35
विनियोजित पूंजी पर कर के बाद लाभ	"	19	15.32	7.82	18	22
विनियोजित पूंजी पर टर्न ओवर	"	88.04	86.85	72.87	126	132
चालू अनुपात	अनुपात	1.47	1.12:1	1.03:1	0.80:1	0.80:1
कुल राजस्व पर कर के पूर्व लाभ	प्रतिशत	30.06	30.85	20.25	23	26
कुल राजस्व पर कर के बाद लाभ	"	21	18	11	15	16
औसत ऋण संग्रह अवधि	दिन	213	194	209	190	156
प्रति कर्मचारी विमान संचालनों की संख्या	संख्या	92	85	80	82	76
प्रति कर्मचारी राजस्व	संख्या हजार में	5325	4496	3688	3130	2817
प्रति कर्मचारी राजस्व व्यय	संख्या हजार में	3724	3109	2941	2404	2079
वार्षिक योजना						
योजना परिव्यय	₹ करोड़ में	1576.56	1336.00	1962.00	2774.15	3610.00
वास्तविक पूंजी व्यय	"	1399.87	1158.00	1800.00	2095.00	2503.12
इस प्रकार वित्त पोषित है :						
उपयोग में लाए गए आंतरिक संसाधन	"	1224.12	972.12	1252.46	1085.37	1860.88
पूर्वोत्तर परिषद अनुदान	"	20.5	16.70	25.1	44.00	26.19
सरकार से प्राप्त बजटीय सहायता	"		-	-	1.89	64.55
बजटीय सहायता अनुदान		120.5	93.85	22.44	132.4	251.50
वाणिज्यिक उधारियां	"	-	-	500	815.00	300.00
अन्य	"	34.75	75.33	-	16.34	-
कुल		**1399.87**	**1158.00**	**1800.00**	**2095.00**	**2503.12**

(**) जेवीसी एवं निजी हवाईअड्डों को छोड़कर

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन–पत्र

(रु. करोड़ में)

	नोट सं.	वित्तीय वर्ष 2014-15		वित्तीय वर्ष 2013 -14	
I इक्विटी एवं देयता					
1. पूंजी					
(क) पूंजी	2	656.56		656.56	
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	3	10,799.70		9,318.37	
			11,456.26		9,974.93
2. गैर-चालू देयताएं					
(क) दीर्घकालीन उधारियां	4	1,287.40		1,657.21	
(ख) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	5	565.00		568.63	
(ग) दीर्घकालीन प्रावधान	6	4,651.46		1,412.01	
			6,503.86		3,637.85
3. वर्तमान देयताएं					
(क) ट्रेड देय	7	359.85		385.13	
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	5	1,878.20		1,340.06	
(ग) अल्पकालीन प्रावधान	6	2,614.18		4,427.12	
			4,852.23		6,152.31
कुल			22,812.35		19,765.09
II परिसम्पत्तियां					
1. गैर-चालू परिसम्पत्तियां					
(क) स्थिर परिसम्पत्तियां					
(i) मूर्त स्थिर परिसम्पत्तियां	8	8,223.46		8,637.42	
(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियां	9	24.26		16.53	
(iii) पूंजीगत जारी कार्य	10	1,436.79		1,379.75	
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	11	5.43		23.86	
(ख) गैर-चालू निवेश		9,689.94		10,057.56	
(ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	12	1,101.15		1,096.13	
(घ) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	13	1,482.91		1,067.66	
	14	3,387.47		638.68	
			15,661.47		12,860.03
2. वर्तमान परिसम्पत्तियां					
(क) माल सूची	15	68.79		57.80	
(ख) ट्रेड से प्राप्य	16	2,320.80		1,785.56	
(ग) नगदी एवं नगदी समतुल्य	17	2,827.19		1,141.78	
(घ) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	14	1,497.78		3,542.56	
(ड) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	18	436.32		377.36	
			7,150.88		6,905.06
			22,812.35		19,765.09

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार

1 से 49 तक के नोट इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

(पंकज जैन)	(राजेश भंडारी)	(एस. सुरेश)	(आर.के. श्रीवास्तव)
कार्यपालक निदेशक (सीए एवं सीएस)	कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)	सदस्य (वित्त)	अध्यक्ष

नई दिल्ली
25 अगस्त, 2015

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि संबंधी विवरण

(रू. करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013 -14
आय			
I. हवाईअड्डा दिक्चालन सेवाएं	19	2,355.55	2,229.70
II. हवाईअड्डा सेवाएं	20	2,449.98	2,098.29
III. गैर–दिक्चालन हवाईअड्डा सेवाएं	21	981.44	814.28
IV. कार्गो राजस्व	22	196.49	192.00
V. हवाईअड्डा पट्टा राजस्व	23	2,907.49	2,684.35
VI. अन्य आय	24	394.03	151.42
VII. कुल राजस्व (I+II+III+IV+V+VI)		9,284.98	8,170.04
VIII. खर्च			
कर्मचारी लाभ खर्च	25	2,802.11	2,397.86
प्रचालन खर्च	26	1,033.13	887.89
प्रशासनिक एवं अन्य खर्च	27	426.88	315.22
वित्तीय लागत	28	157.31	154.77
मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च	29	1,408.73	1,368.65
सुरक्षा खर्चे	30	665.41	592.72
कुल खर्च		6,493.57	5,717.11
IX. अपवादात्मक एवं असाधारण मदों एवं कर से पहले लाभ (VII&VIII)		2,791.41	2,452.93
XII. अपवादात्मक मदें	31	0.00	(67.38)
XIII. कर से पहले लाभ (XI & XIII)		2,791.41	2,520.31
XIV. कर खर्चे			
(1) चालू कर		1,247.44	1,146.95
(पिछले वर्ष का रू. 3.44 करोड़ का कर इसमें शामिल है) (वित्तीय वर्ष 2013–14 – रू. 103.95 करोड़)			
(2) आस्थगित कर		(415.25)	(67.70)
XV. अवधि (XIII&XIV) के लिए लाभ/(हानि)		1,959.22	1,441.06
तुलन-पत्र में ले जाया गया शेष		1,959.22	1,441.06

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार

1 से 49 तक के नोट इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

(पंकज जैन)
कार्यपालक निदेशक (सीए एवं सीएस)

(राजेश भंडारी)
कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)

(एस. सुरेश)
सदस्य (वित्त)

(आर.के. श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

नई दिल्ली
25 अगस्त, 2015

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

1.1 (i) वित्तीय विवरणों को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों एवं आईसीएआई द्वारा जारी अनिवार्य लागू लेखा मानकों के अनुसार उपार्जित आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी पर तैयार किया गया।

(ii) लेखों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखा विवरण) नियम 2014 के अंतर्गत सरकार के अधिसूचना सं 815 दिनांक 31 मार्च, 2014 के द्वारा अधिसूचित फार्मेट के अनुसार प्रस्तुत किया गया।

(iii) सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को वर्तमान और गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया। प्रदान की गई सेवाओं एवं इनकी नकद एवं नकद समकक्ष रूप में वसूली के आधार पर वर्तमान और गैर–वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य के परिसंपत्तियों एवं देयताओं के लिए आपरेटिंग साइकल को 12 महीने के रूप में लिया गया। प्रस्तुतिकरण में एकरुपता लाने हेतु पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष की लागू आवश्यकताओं के अनुसार पुनः वर्गीकृत किया गया।

1.2 प्राक्कलन का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक है कि प्रबंधन प्राक्कलन और पूर्वधारणा बनाए जो वित्तीय विवरण की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं की रिपोर्टेड राशि एवं आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करती हो। प्रबंधन के अनुसार यह प्राक्कलन और पूर्वधारणा युक्तियुक्त और विवेकपूर्ण है। हालांकि वास्तविक परिणाम प्राक्कलन से अलग हो सकते हैं।

2. स्थिर परिसंपत्तियाँ

2.1 मूर्त परिसंपत्तियाँ

2.1.1 स्थिर परिसंपत्तियों को लागत पर, किसी कर के मामले में उपलब्ध क्रेडिट का शुद्ध मूल्य, शुल्क कम करके संचित मूल्यह्रास लिया गया है। लागत में खरीद का मूल्य एवं उपयोग के लिए चालू हालत में परिसंपत्ति को लाने की लागत आती है।

2.1.2 पूंजीकरण को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पूंजीकरण नीति के अनुसार कार्यान्वित किया गया है। संक्षिप्त स्तर निम्नलिखित हैः–

(क) निर्माण कार्य (परियोजना)–परियोजना के उपयोग के समय से पूंजीकरण किया जाता है।

(ख) एयरपोर्ट, कार्गो, सुरक्षा एवं आईटी व सीएनएस उपस्कर जिन्हे कैलिब्रेशन की आवश्यकता नही हैः संस्थापन, टेस्टिंग व शुरु करने की तिथि से पूंजीकरण किया जाता है।

(ग) सीएनएस उपस्कर जिन्हें कैलिब्रेशन की आवश्यकता है– आईएलएस, राडार, वीओओर, एडीएस–बी: एफआईयू द्वारा प्रमाणित किए जाने के अनुसार फ्लाइट कैलिब्रेशन पूरा होने की तिथि से अथवा डीआरसी / आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रमाणित किए जाने के अनुसार संस्थापन की तिथि से 3 माह पूरा होने पर, जो भी पहले हो, पूंजीकरण किया जाए।

2.1.3 आंशिक रुप से पूर्ण कार्य / परियोजनाओं तथा उनको प्रयोग में लेने वाले कार्यों को तकनीकी निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत किया गया।

2.1.4 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आस्तियों से असंबंधित व्यय राजस्व व्ययों के रुप में प्रभारित किए गए हैं।

2.1.5 परित्यक्त कार्यों के मामले में पूर्व–परियोजना व्यय तथा समय से पूर्व समाप्त किए गए व परित्यक्त कार्यों के लिए किए गए व्यय को राजस्व व्यय के रुप में प्रभारित किया गया है।

2.1.6 स्थिर आस्तियां जिनका पूर्णतया मूल्यह्रास हुआ है उन्हें 1 रुपये के शेष मूल्य पर दर्शाया गया है।

2.1.7 राज्य सरकार से निशुल्क अर्जित गैर वित्तीय आस्ति की लागत प्रत्येक प्रकार की आस्ति के लिए 1 रुपये के नाम मात्र के मूल्य माना गया है।

2.1.8 जहां कहीं भूमि की बिक्री / हस्तांतरण / निपटारा किया गया तथा ऐसी भूमि का मूल्य विशेष उपलब्ध नहीं है, वहां निःशुल्क अर्जित भूमि के मामलों को छोड़कर यह अर्जन की औसत लागत पर मूल्य दर्शाया गया है।

2.1.9 संयुक्त स्थिर आस्तियों के मामले में ऐसी आस्तियों में भा.वि.प्रा. के हिस्से को लागत मूल्य के अनुसार लेखाकृत किया गया है तथा तदनुसार मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।

2.1.10 आस्तियां जिनकी अलग–अलग लागत रुपये 5,000 / – से कम है उन्हें राजस्व व्यय में प्रभारित किया गया है।

2.2 परियोजनाओं पर निर्माण अवधि व्यय

2.2.1 पूंजीगत परियोजनाएं देख रहे विशिष्ट परियोजना प्रभाग के प्रत्यक्ष राजस्व व्यय को कार्य की समापन लागत के साथ पूंजीगत किया गया है।

2.2.2 परियोजना के संबंध में एकत्रित अग्रिम पर ब्याज परियोजना व्यय के लिए निर्धारित है।

2.2.3 परियोजनाओं के लिए उधार पर ब्याज परियोजना के पूंजीकरण में आने तक पूंजीकृत है।

2.3 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

2.3.1 कंप्यूटर साफ्टवेयर (उपकरण में एम्बेडिड साफ्टवेयर न होने के कारण) जिसे प्रयोग में लाया जाता है तथा जिससे भविष्य में आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है, को अमूर्त संपत्ति के रुप में माना गया है तथा पाँच वर्षों की अवधि अथवा साफ्टवेयर की लाइसेंस अवधि, जो भी पहले हो, के लिए स्ट्रेट लाइन आधार पर परिशोधित किया गया है। तथापि जहां पर ऐसा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर अभी तक विकास की अवस्था में है, ऐसे सॉफ्टवेयर की विकास अवस्था के दौरान हुई लागत को 'विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां' के लेखे में डाला जाएगा।

2.3.2 शोध एवं विकास पर व्यय पूंजी लेखे के अतिरिक्त राजस्व पर प्रभारित किया गया है।

2.4 मूल्यह्रास

2.4.1 परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रबंधन द्वारा प्राक्कलन की गई दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति से गणना करके लिया गया। स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास करने के लिए निम्नलिखित दरें उपयोग की गई हैं।

परिसम्पत्तियाँ	दरें (एस एल एम)
धावनपथ, टैक्सी पथ एवं एप्रन, रोड, पुल एवं कल्वर्ट	13%
प्लांट एवं मशीनरी / वैद्युतिक प्रतिष्ठापन	11%
एक्स–रे बैगेज	11%
औजार एवं उपस्कंर	20%
बिल्डिंग–टर्मिनल बिल्डिंग एवं अन्य	8%
बिल्डिंग – आवासीय	5%
बिल्डिंग लीज होल्ड	8%
बाउण्डरी दीवार (प्रचालन)	8%
बाउण्डरी दीवार (आवासीय)	5%
कार्यालय उपस्कर	18%
फर्नीचर एवं फिक्सचर	20%
सी एफ टी एवं अग्निशमन उपस्कर	13%
वायुयान	10%
अन्य वाहन	14%
कम्प्यूटर, आइ टी हार्डवेयर एवं सहायक सामग्री	20%

2.4.2 वर्ष के दौरान किसी भी स्थिर आस्तियों को 180 अथवा अधिक दिनों तक उपयोग की स्थिति में मूल्यह्रास 100 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाएगा जबकि आस्तियों को 180 दिनों से कम समय के लिए उपयोग में लाए जाने की स्थिति में मूल्यह्रास वित्तीय वर्ष की दर से 50 प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा।

2.4.3 अस्थायी भवन, सुरक्षा बांड एवं अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% प्रभारित किया जाता है चाहे उसके उपयोग करने के दिन कितने भी हों।

2.4.4 भाविप्रा द्वारा ली गई भूमि लीज अवधि के बाद परिशोधित की गई है, और जहाँ लीज अवधि उपलब्ध नही है वहां ऐसी लागत 60 वर्ष की अवधि पर परिशोधित की गई हैं।

2.5 आस्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन–पत्र दिनांक को नकद उत्पादक इकाईयों/आस्तियों की आगे ले जाने वाली राशि की हानि की जाँच की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि :–

(क) हानि से हुए नुकसान हेतु प्रावधान, यदि आवश्यकता हो तो

(ख) पिछली अवधियों के दौरान मानी गई हानि से हुए नुकसान के प्रत्यावर्तन की आवश्यकता यदि हो तो। हानि से हुआ नुकसान तभी माना जाता है जब किसी आस्ति को आगे ले जाने वाली राशि वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

2.6 स्थिर आस्तियों का भौतिक सत्यापन : –

स्थिर आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है:

(क) बड़े हवाई अड्डे (ए टी सी केन्द्र/सुरक्षा/कार्गो इकाईयों सहित) : प्रत्येक तीन वर्षों में

(ख) मध्यम आकार के हवाई अड्डे : प्रत्येक दो वर्षों में

(ग) छोटे हवाई अड्डे (इनमें वैमानिक संचार केन्द्र, निगमित मुख्यालय ,सी ए टी सी, आर सी डी यू, सी आर एस डी, एफ आई यू ,ई एम ओ तथा क्षेत्रीय मुख्यालय (प्रशासनिक कार्यालय) शामिल हैं): प्रति वर्ष

उपरोक्त हवाई अड्डों का वर्गीकरण अनुलग्नक क में है।

3. निवेश

निवेश जो कि वसूलयोग्य है एवं ऐसी तारीख, जिस पर इन निवेशों को चालू निवेशों के तौर पर वर्गीकृत किया गया है, से एक वर्ष से अधिक रखने का अभिप्रेत नहीं है, अन्य सभी निवेशों को दीर्घावधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दीर्घावधि निवेशों को लागत पर लिया गया है। अस्थायी के अतिरिक्त, ऐसे निवेशों जिनका कम मूल्य हो, के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है।

4. व्यापार प्राप्तियाँ

सरकारी विभागों (राज्य सरकारों सहित) के अतिरिक्त अन्य पार्टियों से 2 वर्षों से अधिक वसूली योग्य ऋण को संदिग्ध ऋण माना गया है तथा दिखाया गया है।

i. जहाँ मामला मध्यस्थता/मुकदमेबाजी/विवाद के अधीन हो, वहाँ ऋण की अवधि कुछ भी होने के बावजूद लेखो में आवश्यक प्रावधान किया गया है।

ii. उपलब्ध जमानत राशि पर संदिग्ध ऋणों का प्रावधान करते समय विचार नहीं किया गया है।

5. भंडार / स्पेयर

i. वर्ष के दौरान उपयोग किए गए भण्डार / स्पेयर को राजस्व व्यय के रुप में प्रभारित किया गया है।

ii. वर्ष के अंत में भण्डार (रु. 5,000 / – के तथा उससे कम की इकाई लागत वाले भण्डार / स्पेयर) प्राप्ति की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए एफआईएफओ आधार पर लागत मूल्य पर मूल्यांकित है। इसके पश्चात रुपये में परिवर्तनीय निम्नलिखित शुद्ध मूल्य निकाला जाता है तथा इसे लागत अथवा शुद्ध रुपए में परिवर्तनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है:–

छठे वर्ष में – लागत का 70%

सातवें वर्ष में – लागत का 40%

आठवां वर्ष एवं उससे आगे – लागत का 10%

iii. 1.4.2005 को अनुप्रयुक्त भण्डार स्पेयर को लागत के 10% पर मूल्यांकित किया गया है।

6. अनुदान तथा सब्सिडी

सरकार द्वारा अनुमोदित करार के तहत आस्तियों के अधिग्रहण हेतु सरकार तथा विदेशी वित्तीय संस्थानों से अनुदान / आर्थिक सहायता के रुप में प्राप्त हुई राशियों को पूंजी अनुदान में दर्शाया गया है। आस्तियों के पूंजीकरण के समय उनके पुस्तक मूल्य में आस्तियों के सकल मूल्य से अनुदानों की कटौती की जाती है। कार्य सम्पन्न होने तक अनुदान को संबंधित कार्य के डब्ल्यू आई पी में कमी के रुप में दिखाया जाएगा। अनुदान व आस्ति की लागत समान होने पर आस्ति को 1 / – रु. के नाममात्र मूल्य पर तुलन पत्र में दर्शाया जाना चाहिए।

7. विदेशी मुद्रा का लेन–देन

(i) विदेशी मुद्रा के लेन–देन की गणना, लेन–देन की तारीख पर विद्यमान विनिमय दर पर की गई है। सिवाय एक्सचेंज अर्नर फारेन करेन्सी लेखों में शेष को छोड़कर जिसे ऐसे लेखों के लिए निर्धारित दरों के अधीन लेखा में शामिल किया गया है।

(ii) विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर मौद्रिक वस्तुओं (जैसे स्थिर संपतियां आदि) को लेन–देन की तिथि पर प्रचलित विनियम दर पर मूल्यांकित किया गया है।

(iii) विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक वस्तुएं (जैसे ऋण, नकद, बैंक शेष आदि) जो कि रिपोर्टिंग अवधि तक बकाया थी, को रिपोर्टिंग तिथि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों मे परिवर्तित किया गया है।

(iv) लेन–देन के समय विदेशी मुद्रा की दरों में अंतर के कारण लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में लिया गया है या तो विदेशी मुद्रा घटा–बढ़ाव लेखा–शीर्ष में या ब्याज लागत लेखा–शीर्ष में, जैसा भी मामला हो।

8. राजस्व रेकगनिशन

(i) राजस्व को अक्रुवल आधार पर प्रदत्त सेवाओं के रूप में माना गया है तथा यह सेवा कर की शुद्ध राशि है।

(ii) बिल उस समय जारी किए जाते हैं जब इनके मापन तथा अंतः वसूली के संबंध में कोई विशेष संशय न हो।

(iii) कानूनी विवादों/पी पी ई अधिनियम, देरी से किए गए भुगतानों पर ब्याज, कार्गो विलंब शुल्क (एयरलाइनों/एजेंसियों के प्रति जारी बिलों के अतिरिक्त), बीमा दावे, स्टाफ अग्रिमों पर ब्याज आदि जैसे मामलों में गणना प्राप्ति के आधार पर की गई है।

(iv) "सर्व इंडिया योजना" के अधीन प्राप्त सीमा–शुल्क छूट प्रमाण पत्रों की अनुमानित उपयोग पर आधारित आय के रूप में गणना की जाती है।

(v) प्राधिकरण द्वारा किए गए निक्षिप्त कार्यों के संबंध मे विभागीय प्रभारों के रुप में उपार्जित आय की राशि को धनराशि प्राप्त होने अथवा अंतिम दावा प्रस्तुत किए जाने पर लेखों में दर्ज किया जाता है।

(vi) पिछले वर्षों के संबंध में प्रत्येक मामले में पांच लाख रुपए तक के आय एवं व्यय को चालू वर्ष के लेखे में लिया गया है।

9. विशेष मरम्मतें

(i) धावनपथों, टैक्सीपथों व एप्रनों आदि पर उनके पेवमेंट क्लासिफिकेशन नम्बर (पी सी एन) वैल्यू को मूल स्तर पर लाने के लिए विशेष मरम्मत के कार्यों पर हुए खर्च में कई बार पेवमेंट क्लासिफिकेशन नम्बर में हुई आकस्मिक वृद्धि को लाभ – हानि खाते में प्रभारित किया जाना है।

(ii) सी एफ टी एस को पुनः सुसज्जित करने हेतु किए गए व्यय को विशेष मरम्मतों के रूप में माना जाता है तथा व्यय वर्ष के दौरान प्रभारित किया जाता है।

(iii) आरईएसए पर प्रारंभिक व्यय को पूंजीगत व्यय माना गया है तथा उत्तरवर्ती व्यय को लाभ – हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

10. आयकर

वर्तमान कर हेतु प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। आयकर के प्रावधान को आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के आधार पर अग्रिम कर के रुप में समायोजित किया गया है।

11. आस्थगित कर

लेखा पुस्तिका तथा कर योग्य लाभ के बीच समय अन्तराल के परिणामस्वरुप आस्थगित कर को तुलन पत्र की तारीख से लागू किया अथवा मूलभूत रुप में लागू कर दरों तथा कानूनों के प्रयोग से लेखा में शामिल किया गया है। आस्थगित कर

आस्ति उस सीमा तक आगे ले जाई गई है जहाँ तक यह निश्चित हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध रहेगी। जिस लेखे में ऐसी आस्थगित आस्तियाँ उगाही की जा सके।

12. कर्मचारी लाभ

12.1 लघु अवधि लाभ

लघु अवधि कर्मचारी लाभ उस अवधि के दौरान माने गए है जिस अवधि के दौरान सेवाएं दी गई हैं।

12.2 रोजगार के बाद लाभ तथा अन्य दीर्घ अवधि लाभः–

(क) भविष्य निधि और पेंशन योजना में भाविप्रा का अंशदान भाविप्रा, कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट तथा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है जोकि पात्र कर्मचारी के वेतन के नियम प्रतिशत पर आधारित होता है और लाभ व हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है।

(ख) कंपनी ग्रेच्युटी हेतु परिभाषित लाभ योजनाएं संचालित करती है। इस प्रकार के परिभाषित लाभों की लागत वर्ष के अंत मे किए गए एक एक्चुरियल मूल्यांकन के प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति के द्वारा निर्धारित की जाती है। तथा संबंधित न्यासों द्वारा प्रबंधित की जाती है। एक्चुरियल लाभ/हानि लाभ व हानि विवरणी में प्रभारित किए जाते हैं।

(ग) प्रतिपूरक अनुपस्थितियों पर दायित्व, कल्याण लाभ, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ तथा पुनर्वास लाभ वर्ष के अंत में किए गए एक्चुरियल मूल्यांकन के प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं।

13. अन्य

(i) विशिष्ट आरक्षित का उपयोग बोर्ड द्वारा विशिष्ट आरक्षित के उपयोग हेतु अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(ii) के. औ. सु. बल के लिए हथियारों की खरीद पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय माना जाता है।

(iii) तीन वर्षों से अधिक ई एम डी/सुरक्षा निक्षेप जिनका दावा नहीं किया गया है उन्हें विविध आय के रूप में माना गया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

2 पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14
पूंजी- भारत सरकार		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	**656.56**	656.56
जमा:		
वर्ष के दौरान जमा	-	-
कुल	**656.56**	656.56

3 आरक्षित एवं अधिशेष

(₹ करोड़ में)

विवरण		वित्तीय वर्ष 2014-15		वित्तीय वर्ष 2013-14
पूंजीगत आरक्षित				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	**15.10**			**15.10**
जमा: वर्ष के दौरान जुड़ी राशि	**4.00**	**19.10**		
पूंजीगत अनुदान				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	**39.15**		37.05	
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	**141.00**		110.55	
घटा: वर्ष के दौरान प्रयुक्त/पुनर्भुगतान	**140.50**		108.45	
		39.65		**39.15**
ऋणपत्र विमोचन आरक्षित				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	**402.50**			**402.50**
घटा: बांडों के विमोचन पर सामान्य आरक्षितों में स्थानांतरित आरक्षित	**16.25**			-
		386.25		
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	**25.00**		16.45	
जमा: लाभ एवं हानि से विनियोजन	**34.81**		14.70	
घटा: वर्ष के दौरान प्रयुक्त	**14.60**		6.15	
		45.21		**25.00**

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15		वित्तीय वर्ष 2013-14	
हवाईअड्डा विकास आरक्षित				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार से स्थानांतरित शेष	**2,999.08**			
–स्थिर परिसम्पत्ति प्रतिस्थापन आरक्षित	-		1,433.81	
–आनुषंगिक आरक्षित	-		566.71	
–अप्रयुक्तप्राय आरक्षित	-		566.71	
जमाः लाभ एवं हानि से विनियोजन	**582.65**		431.85	
		3,581.73		**2,999.08**
स्थिर परिसम्पत्ति प्रतिस्थापन आरक्षित				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार		**0.00**	1,433.81	
घटाः हवाईअड्डा विकास आरक्षित को स्थानांतरित		-	1,433.81	
				0.00
आनुषंगिक आरक्षित				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार		**0.00**	566.71	
घटाः हवाईअड्डा विकास आरक्षित को स्थानांतरित		-	566.71	
				0.00
अप्रयुक्तप्राय आरक्षित				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार		**0.00**	566.71	
घटाः हवाईअड्डा विकास आरक्षित को स्थानांतरित		-	566.71	
				0.00
सामान्य आरक्षित				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	5.837.54		5.189.76	
जमाः ऋणपत्र प्रतिदान आरक्षित से स्थानांतरित	16.25			
जमाः लाभ और हानि से विनियोग	873.97		647.78	
		6,727.76		**5,837.54**

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15		वित्तीय वर्ष 2013-14	
लाभ एवं हानि खाता				
वर्ष के लिए लाभ	1,959.22		1,441.06	
घटा: विनियोग				
प्रस्तावित लाभांश	391.85		288.00	
प्रस्तावित लाभांश पर कर**	75.94		58.73	
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित	34.81		14.70	
हवाईअड्डा विकास आरक्षित	582.65		431.85	
सामान्य आरक्षित	873.97		647.78	
		0.00		0.00
कुल-आरक्षित एवं अधिशेष		**10,799.70**		**9,318.37**

और टिप्पणियाँ:

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए प्रस्तावित लाभांश पर कर में वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए आहरित प्रस्तावित लाभांश भी शामिल है जो रू. 3.83 करोड़ है।

4 दीर्घकालिक उधारी

(₹ करोड़ में)

विवरण		दीर्घकालिक उधारी		वर्तमान परिपक्वताएं	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
सुरक्षित ऋण					
बांड्स:					
9.2% गैर–परिवर्तनीय प्रतिदेय बांड्स, 2016–सीरिज II	A	-	300.00	**300.00**	-
9.3% गैर–परिवर्तनीय प्रतिदेय बांड्स, 2016–सीरिज III	B	**215.00**	215.00	-	-
गैर-सुरक्षित ऋण					
8.97% गैर–सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय प्रतिदेय बांड्स, 2016–IV	C	**595.00**	595.00	-	-
अन्य ऋण		-	4.00		
8.6% गैर–सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय प्रतिदेय बांड्स, 2018–सीरिज V	D	**435.00**	500.00	-	-
विदेशी वित्तीय संस्थान से ऋण– भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	E	**42.40**	43.21	2.34	2.26
कुल		**1,287.40**	**1,657.21**	**302.34**	**2.26**

*वर्तमान परिपक्वताओं को टिप्पणी सं. 5 पर ले जाया गया है: अन्य वर्तमान देयताएं

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

सुरक्षित ऋण– बांड्स (ए और बी)

	विवरण	आबंटन तिथि	कूपन दर	प्रतिदान की तिथि	सुरक्षा
ए	रू. 10/– लाख प्रत्येक के अंकित मूल्य के 3000 बांड	21 फरवरी, 2011	9.20: प्रति वर्ष, 21 फरवरी को वार्षिक आधार पर देय	आबंटन की तिथि से 5 वर्ष के बाद	हंसोल, तालुका, शहर, जिले के विभिन्न राजस्व सर्वे संख्या पर गैर–कृषि भूमि के पार्सल या पीस पर चार्ज द्वारा– ये समरूप आधार पर सुरक्षित हैं ।
बी	रू. 10/– लाख प्रत्येक के अंकित मूल्य के 2150 बांड	14 सितम्बर, 2011	9.30: प्रति वर्ष, 14 सितम्बर को वार्षिक आधार पर देय	आबंटन की तिथि से 5 वर्ष के बाद	हंसोल, तालुका, शहर, जिले के विभिन्न राजस्व सर्वे संख्या पर गैर–कृषि भूमि के पार्सल या पीस पर चार्ज द्वारा– ये समरूप आधार पर सुरक्षित हैं ।

गैर–सुरक्षित बांड्स (सी एवं डी)

	विवरण	आबंटन तिथि	कूपन दर	प्रतिदान की तिथि	सुरक्षा
सी	रू.10/– लाख प्रत्येक के अंकित मूल्य के 5950 बांड	11 अक्टूबर, 2011	रू. 10/– लाख प्रत्येक के अंकित मूल्य के 5950 बांड	आबंटन की तिथि से 5 वर्ष के बाद	-
डी	रू.10/– लाख प्रत्येक के अंकित मूल्य के 4350 बांड	17 जनवरी, 2013	8.60% प्रति वर्ष, 17 जनवरी को वार्षिक आधार पर देय	आबंटन की तिथि से 5 वर्ष के बाद, 17.01.2015 पुट/काल विकल्प के साथ। काल/पुट विकल्प का प्रयोग वित्तीय वर्ष 2014–15 में 65 बांडों के संबंध में किया गया।	-

ई विदेशी वित्तीय संस्थानों से ऋण: भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत

	विदेशी वित्तीय संस्थान	31.03.2015 को कुल बकाया ऋण राशि	ब्याज दर	पुनर्भुगतान अनुसूची	ऋण समाप्ति तिथि
	एक्सपोर्ट डवलपमेंट कनाडा, कनाडा	5445512.00 यू एस डी	ब्याज मुक्त	90758.54 यू एस डी की छमाही किश्त प्रत्येक वर्ष 20 जून एवं 20 सितम्बर को देय	20.12.2044
	इंस्टीटो डी क्रेडिटो ऑफीसियल (आईसीओ), स्पेन	1744544.85 यू एस डी	0.25% प्रति वर्ष, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च एवं 21 सितम्बर को देय	96919.15 यू एस डी की छमाही किश्त, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च एवं 21 सितम्बर को देय	21.03.2024
31.03.2015 को कुल दीर्घावधि बकाया ऋण 6814701.47 यू एस डॉलर (वर्तमान परिपक्वताएं 375355.38 यू एस डॉलर) कुल 7190056.85 यू एस डॉलर					

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

5 अन्य देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	गैर चालू		चालू	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
जमा	541.95	568.63	67.99	69.66
दीर्घकालीन ट्रेड देय	23.05	-		
दीर्घकालीन उधारियों की वर्तमान परिपक्वता	-	-	302.34	2.26
उपार्जित ब्याज लेकिन उधारियों पर बकाया नहीं	-	-	21.87	23.01
क्लाइंटों से अग्रिम	-	-	138.52	44.85
ऋणदाता–पूंजी	-	-	102.43	196.60
अन्य देयताएं	-	-	1,245.05	1,003.68
कुल	565.00	568.63	1878.20	1340.06

6 प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	दीर्घकालिक उधारी		वर्तमान परिपक्वताएं	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभों व पीआरपी के लिए प्रावधान**	1,412.74	964.61	445.32	431.24
करों हेतु प्रावधान (सकल)	2,791.54		1,524.23	3,649.40
निगमित लाभांश कर			108.88	57.58
संपत्ति कर के लिए प्रावधान			0.90	0.90
प्रस्तावित लाभांश	-	-	534.85	288.00
अन्य प्रावधान	447.18	447.40	0.00	0.00
कुल	4,651.46	1,412.01	2,614.18	4,427.12

नोट सं. 33 में 'कर्मचारी लाभ' के संबंध में ए एस 15 के अनुसार प्रकटन किया गया है ।

7 ट्रेड देय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14
वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए	359.85	385.13
कुल	359.85	385.13

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

8 मूर्त परिसम्पत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास, परिशोधन तथा क्षति के कारण हानि ब्लाक				निवल ब्लाक	
	01.04.2014 को	जोड़े गए	समायोजन/ विलोपन/ स्थानांतरण/ पुनर्वर्गीकरण/बिक्री	31.03.2015 को	31.03.2014 तक उपलब्ध कराया गया	वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया	बिक्री/ स्थानांतरण का समायोजन	31.03.2015 तक कुल	31.03.2015 को	31.03.2014 को
भूमि	252.77	2.30	0.00	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00	255.07	252.77
भूमि लीज होल्ड	1.39	0.00	0.00	1.39	0.24	0.02	0.00	0.26	1.13	1.15
रनवे , टैक्सी वे, एप्रन	2737.39	506.84	0.24	3243.99	2242.60	248.87	0.01	2491.46	752.53	494.79
भवन	7931.60	200.26	50.27	8081.59	2931.70	557.23	0.41	3488.52	4593.07	4999.90
भवन– लीज होल्ड	3.04	0.00	0.00	3.04	3.04	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00
चारदीवारी	330.47	19.49	1.81	348.15	196.10	21.49	0.09	217.50	130.65	134.38
संयत्र एवं उपस्कर	6646.67	295.05	1.38	6940.34	4092.59	511.26	1.77	4602.08	2338.26	2554.08
फर्नीचर एवं फिक्सर	201.06	6.79	(0.31)	208.16	166.62	13.96	(0.01)	180.59	27.57	34.45
वाहन	629.07	3.06	1.23	630.90	500.74	44.19	1.19	543.74	87.16	128.33
कार्यालय उपरकरण	226.51	15.52	(1.14)	243.17	188.94	14.80	(1.41)	205.15	38.02	37.57
कुल	**18959.98**	**1049.31**	**53.48**	**19955.80**	**10322.57**	**1411.82**	**2.05**	**11732.34**	**8223.46**	**8637.42**
पिछले वर्ष	18284.63	682.00	6.65	18959.98	9071.81	1256.53	5.77	10322.57		8637.42

और टिप्पणियां–

(i) प्राधिकरण के पास 55686.863 एकड़ भूमि का स्वामित्व निहित है जिसमें सी एस आई, मुंबई हवाईअड्डे (1966.76 एकड़) एवं आई जी आई नई दिल्ली हवाईअड्डे (4799.09 एकड़) की भूमि भी शामिल हैं जिन्हें संयुक्त उद्यम कंपनियों अर्थात आई जी आई, दिल्ली को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. (डी आई ए पी एल) तथा सी एस आई (मुंबई) हवाईअड्डे को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. (एम आई ए पी एल) को दीर्घकालीन पट्टे पर सौंप दिया गया है। इसमें कार्वड आउट परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं। उपरोक्त भूमि में से भूमि के कुछ भाग (लगभग 791.043 एकड़) पर विभिन्न हवाईअड्डों पर अतिक्रमण विद्यमान है। भाविप्रा के पक्ष में जहां कही भूमि का उत्परिवर्तन, टाइटल डीड्स का स्थानांतरण अब तक नहीं किया गया है, उसे करने तथा साथ–साथ भूमि पर विद्यमान अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी है।

(ii) विभिन्न हवाईअड्डों पर रक्षा मंत्रालय एवं भाविप्रा के बीच भूमि के स्थानांतरण की निबंधन एवं शर्तें अभी निर्धारित की जानी हैं। आई जी आई हवाईअड्डे, दिल्ली पर 56.78 एकड भूमि रक्षा मंत्रालय से ली गई थी तथा इसके लिए उन्होंने भाविप्रा से 53.61 करोड़ रू. लेने हेतु दावा किया था। 2 करोड़ रू. की राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा 51.61 करोड़ रू. की राशि अभी बकाया है (पिछले वर्ष 51.61 करोड़ रू.) जिसे दर्शाया गया है।

(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर चेन्नई हवाईअड्डे के सामने फ्लाईओवर के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 5154.50 वर्ग मीटर भूमि सौंपी गई। 3881.40 वर्ग मीटर भूमि के लिए रू 7.11 करोड़ की मांग एन एच ए आई से की गई। एन एच ए आई ने अपने दिनांक 28/11/14 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि कैंटोनमेंट पल्लावरम गांव, अलंथुर तालुक में क्रम सं. 1045/2 के संबंध में एक ड्राफ्ट अवार्ड फंड आबंटन के लिए परियोजना निदेशक, एन एच ए आई, चेन्नई को भेजा गया है तथा फंड प्राप्त हो जाने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। शेष 1273.10 वर्ग मीटर भूमि की क्षतिपूर्ति के संबंध में अभी भी भाविप्रा के नाम से हस्तांतरित करना बाकी है। इसके लिए भाविप्रा द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ हवाईअड्डे के निकट लखनऊ बाईपास के निर्माण के लिए 6673.70 वर्ग मीटर भूमि एन एच ए आई को दी गई है। जैसा कि 30.07.2012 को हुई बैठक में एन एच ए आई द्वारा चर्चा की गई और स्वीकार किया गया कि एन एच ए आई उसके द्वारा सड़क निर्माण हेतु अधिगृहित भूमि को मुआवजा का भुगतान, राजस्व प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार करने के लिए तैयार है। काफी अनुस्मारकों के बावजूद एन एच ए आई ने कोई मुआवजा नहीं दिया है। एन एच ए आई से मुआवजा प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(iv) मूल्यह्रास के अथ शेष में वित्तीय वर्ष 13–14 में बंगलौर एवं हैदराबाद हवाई अड्डे पर चिन्हित हानिकरण हानियां शामिल हैं। इसमें भवन फ्री होल्ड का रू. 1.66 करोड़, चारदीवारी का 0.55 करोड़, संयंत्र एवं उपस्कर के 3.72 करोड़ सहित कुल 5.43 करोड़ रू. शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान हानिकरण हानियों में कोई जुड़ाव या विपर्यय नहीं हुआ है ।

(v) भाविप्रा बोर्ड ने 12 अगस्त, 2014 को सम्पन्न. 16वीं बोर्ड बैठक में मेट्रो रेलवे कोलकाता को दो अलग रेल लिंक तथा एन एस सी बी आई हवाईअड्डों पर दो मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए भाविप्रा की भूमि स्थानांतरित करने/पट्टे पर देने को अनुमोदन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रदान किया है: i) 21278 वर्ग मीटर माप की भूमि रू. 72,790/– प्रति वर्ग मीटर की दर से (वर्तमान वर्ष की रेडी रेकन्ड दर) स्थायी रूप से स्थानांतरित करना। ii) 47548 वर्ग मीटर माप की भूमि 30 वर्षों के लिए सामान्य भूमि किराये के 50% पर अर्थात् 6300/– रू. का 50% (भारत सरकार की परियोजना होने के नाते) पट्टे पर देना। इसके लिए मेट्रो को 60 साल की सम्पूर्ण पट्टावधि के लिए एक बार में पट्टे संबंधी राशि का भुगतान करना होगा। iii) निर्माण गतिविधियों को सुगम बनाने हेतु दो वर्षों की अवधि के लिए लागू दरों (सामान्यन दर का 50%) अर्थात् 3150 रू. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की दर से 17529 वर्ग मीटर भूमि को अस्थायी रूप से पट्टे पर देना। iv) मेट्रो रेलवे कोलकाता प्रस्तावित मेट्रो में पड़ने वाली अवसंरचनाओं को वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए 66.60 करोड़ रू. का भुगतान करेगी। भाविप्रा बोर्ड के अनुमोदन को नागर विमानन मंत्रालय के पास भेज दिया गया है ताकि इस विषय पर कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी नवीनतम अनुदेशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। वर्ष 2014–15 के दौरान मेट्रो रेलवे, कोलकाता से निम्नलिखित राशि प्राप्त हुई है:– क) भूमि के स्थायी स्थानांतरण के लिए आंशिक भुगतान के रूप में 44.30 करोड़ रू. और इसे अग्रिम–शीर्ष के अंतर्गत दर्ज कर लिया गया है। ख) प्रभावित अवसंरचनाओं को नए जगह ले जाने के लिए आंशिक भुगतान के रूप में 7.14 करोड़ रूपए और इसे जमा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज कर लिया गया है। इस संबंधी स्थानांतरण /लीज डीड को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(vi) उपरोक्त परिसम्पत्तियों में से कुल परिसम्पत्तियां (सकल ब्लॉक – 7.09 करोड़ रू. तथा शुद्ध ब्लॉक/ शुद्ध वसूली मूल्य 0.04 करोड़ रू.) जिसमें संयंत्र एवं उपस्कर (सकल ब्लॉक– 5.49 करोड़ रू. तथा शुद्ध ब्लाक/शुद्ध वसूली मूल्य 0.00 करोड़ रू.) , फर्नीचर एवं फिक्सचर (सकल ब्लॉक – 0.01 करोड़ रू. तथा शुद्ध ब्लाक/ शुद्ध वसूली मूल्य 0.00 करोड़ रू), वाहन (सकल ब्लाक – 1.40 करोड़ रू. तथा शुद्ध ब्लाक/शुद्ध वसूली मूल्य 0.03 करोड़ रू.), कार्यालय उपकरण (सकल ब्लाक – 0.18 करोड़ रू. तथा शुद्ध ब्लाक/शुद्ध वसूली मूल्य 0.00 करोड़ रू.) शामिल हैं, सक्रिय प्रयोग से बाहर हो चुकी हैं। ऐसी परिसम्पत्तियों का कोई मूल्यह्रास लेखा पुस्तकों में चार्ज नहीं किया गया है।

9 मूर्त परिसम्पत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लाक				परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2014 को	स्थानांतरण सहित जोड	समायोजन/ विलोपन/ स्थानांतरण सहित	31.03.2015 को	31.03.2014 तक उपलब्ध कराया गया	वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया	बिक्री/ स्थानांतरण का समायोजन	31.03.2015 तक कुल	31.03.2015 को	31.03.2014 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	68.26	19.61	0.25	87.62	51.74	11.62	0.00	63.36	24.26	16.53
कुल	**68.26**	**19.61**	**0.25**	**87.62**	**51.74**	**11.62**	**0.00**	**63.36**	**24.26**	**16.53**
पिछला वर्ष	62.16	6.10	0.00	68.26	44.81	6.93	0.00	51.74		16.53

10 पूंजीगत जारी कार्य

विवरण	सकल ब्लाक				परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2014 को	स्थानांतरण सहित जोड	समायोजन/ विलोपन/ स्थानांतरण सहित	31.03.2015 को	31.03.2014 तक उपलब्ध कराया गया	वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया	बिक्री/ स्थानांतरण का समायोजन	31.03.2015 तक कुल	31.03.2015 को	31.03.2014 को
पूंजीगत जारी कार्य	1379.75	862.84	805.80	1436.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1436.79	1379.75
कुल	**1379.75**	**862.84**	**805.80**	**1436.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1436.79**	**1379.75**
पिछला वर्ष	1183.68	563.73	367.66	1379.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1379.75

टिप्पणी–पूंजीगत जारी कार्य के अंत शेष में 374.68 करोड़ रू. की राशि (195.78 करोड़– पिछले वर्ष) शामिल है जिसे जारी कार्य में शामिल किया गया है, वह चायल की ओर से सृजित परिसम्पत्तियों से संबंधित है।

11 विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां

विवरण	सकल ब्लाक				परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2014 को	स्थानांतरण सहित जोड	समायोजन/ विलोपन/ स्थानांतरण सहित	31.03.2015 को	31.03.2014 तक उपलब्ध कराया गया	वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया	बिक्री/ स्थानांतरण का समायोजन	31.03.2015 तक कुल	31.03.2015 को	31.03.2014 को
विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	23.86	2.80	21.23	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43	23.86
कुल	**23.86**	**2.80**	**21.23**	**5.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.43**	**23.86**
पिछला वर्ष	**21.87**	**5.05**	**3.06**	**23.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**23.86**

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

12 गैर–वर्तमान निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रति इक्वीटी शेयर अंकित मूल्य	31 मार्च, 2015 को इक्वीटी शेयरों की संख्या वित्तीय	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2013–14
(दीर्घकालीन निवेश (लागत पर) बिना कोट किया हुआ व्यापार निवेश संयुक्त उद्यम कंपनियों की पूर्णरूपेण चुकता इक्युटी शेयरों में				
हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. (एच आई ए एल)	10/-	49,140,000	**49.14**	49.14
बंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. (बी आई ए एल)	10/-	49,998,000	**50.00**	50.00
दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. (डी आई ए एल)	10/-	637,000,000	**637.00**	637.00
मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. (एम आई ए एल)	10/-	312,000,000	**312.00**	312.00
राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान प्रा. लि. (गोंदिया)	10/-	38,111,795	**38.11**	33.09
मिहान इंडिया प्रा. लि. (मिहान)	10/-	9,800,000	**9.80**	9.80
चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. (सी आई ए एल)	10/-	5,100,000	**5.10**	5.10
कुल			**1,101.15**	**1,096.13**

13 आस्थगित कर सम्पत्तियां

"आय कर हेतु अकाउंटिग" पर अकाउंटिंग स्टैण्डर्ड –22 के अनुपालन में, आस्थगित कर देयता (शुद्ध) का मदवार विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2014 को	वर्ष के दौरान उपलब्ध कराए गए	31.03.2015 को शेष
बही और कर मूल्यह्रास में अंतर	**227.56**	**53.73**	**281.29**
अशोध्य व संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	**347.81**	**45.95**	**393.76**
नगर निगम कर	**13.90**	**(0.51)**	**13.39**
छुट्टी नगदीकरण/सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा सुविधा योजना/सेवानिवृत्ति	**332.53**	**333.02**	**665.55**
सेवानिवृत्त कार्मिकों के पुनर्वास हेतु प्रावधान	**30.62**	**3.88**	**34.50**
कल्याण (भविष्य निधि)	**37.68**	**(11.74)**	**25.94**
जेवी सी से अग्रिम शुल्क	**77.56**	**(9.08)**	**68.48**
आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	**1,067.66**	**415.25**	**1,482.91**

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

14 ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	दीर्घ अवधि		लघु अवधि	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
निवेश हेतु अग्रिम-जेवीसी	**86.20**	88.21	**-**	-
पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम				
सुरक्षित, अच्छा माने जाने वाला	**104.98**	109.22	**-**	-
अग्रिम कर व टीडीएस		-		
अग्रिम कर भुगतान	**2,674.68**		**1,236.04**	3,304.65
अग्रिम कर–अनुषंगी हितलाभ कर			**6.00**	6.04
सीमाशुल्क/आबकारी/सेवाकर प्राधिकरणों के पास शेष	**69.66**		**79.10**	102.33
पूर्वभुगतानित कर			**7.99**	10.65
जमा				
असुरक्षित, अच्छा माना जाने वाले	**116.25**	114.53	**-**	-
कार्मिक ऋण				
असुरक्षित, अच्छा माना जाने वाले	**335.59**	326.61	**139.60**	87.96
आपूर्तिकर्ताओं/कार्यों को अग्रिम				
असुरक्षित, अच्छा माना जाने वाले	**-**	-	**3.83**	6.52
अन्य				
असुरक्षित, अच्छा माना जाने वाले	**0.11**	0.11	**25.22**	24.41
कुल	**3,387.47**	**638.68**	**1,497.78**	**3,542.56**

15 वस्तु सूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14
भंडार व पुर्जे	**68.79**	57.80
कुल	**68.79**	**57.80**

16 व्यापार प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15		वित्तीय वर्ष 2013-14	
छः माह से अधिक	**2,334.82**		1,968.02	
छः माह के भीतर	**1,144.43**	**3,479.25**	840.81	2,808.83
घटाः अशोध्य संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान		**(1,158.45)**		(1,023.27)
कुल		**2,320.80**		**1,785.56**
अन्य टिप्पणियां				
(क) सुरक्षित, अच्छा माना गया		**408.40**		227.28
(ख) असुरक्षित, अच्छा माना गया		**1,912.40**		1,558.28
(ग) संदिग्ध		**1,158.45**		1,023.27

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

17 नकद एवं नकद समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15		वित्तीय वर्ष 2013-14	
नकद एवं नकद समतुल्य				
बैंकों के पास शेष	**173.39**		62.32	
उपलब्ध चैक/ड्राफ्ट	**0.74**		1.15	
उपलब्ध नकद	**0.05**		0.18	
मार्गस्थ प्रेषित राशि	**0.06**		1.04	
अग्रदाय	**1.60**		0.00	
		175.84		64.69
अन्य बैंक शेष				
बैंकों के पास चिन्हित शेष	**0.35**		0.09	
बैंक जमा	**2,651.00**	**2,651.35**	1,077.00	1,077.09
कुल		**2,827.19**		**1,141.78**

18 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14
बिना बिल का राजस्व	**245.75**	266.17
जेवीसी से प्राप्य	**76.76**	88.72
निवेश/जमा पर उपार्जित ब्याज	**113.73**	22.39
जॉच के अधीन हानि	**0.08**	0.08
कुल	**436.32**	**377.36**

19 विमानपत्तन दिक्चालन सेवाएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14
रूट नेविगेशन सुविधा प्रभार (आरएनएफसी)	**2,029.84**	1,915.07
टर्मिनल नेविगेशन लैंडिग प्रभार (टीएनएलसी)	**325.71**	314.63
कुल	**2,355.55**	**2,229.70**

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

20 विमानपत्तन सेवाएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15		वित्तीय वर्ष 2013-14	
लैडिंग, पार्किंग व हाउसिंग (एलपीएच)		663.25		622.58
यात्री सेवा शुल्क				
फेसिलिटेशन	200.53		208.57	
सुरक्षा	520.54	721.07	480.69	689.26
प्रयोक्ता विकास शुल्क				
अंतरराष्ट्रीय यात्री	415.12		267.71	
घरेलू यात्री	351.45	766.57	257.72	525.43
तेल थ्रूपुट राजस्व		138.09		104.48
ग्राउंड हैण्डलिंग		107.56		93.50
सेवा घंटों का विस्तार		6.39		2.57
क्यूट शुल्क पर रॉयल्टी		47.05		60.47
कुल		2,449.98		2,098.29

20 गैर–वैमानिक विमानपत्तन सेवाएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14
किराया एवं सेवाएं	464.27	329.76
व्यापार छूट	393.16	373.73
कार पार्किंग	63.14	54.56
कुली की मजदूरी	3.05	1.95
प्रवेश शुल्क / वाणिज्यिक पास	23.13	22.17
आरामगृह	1.89	1.76
हाइट क्लीयरेंस–एनओसी	12.56	13.32
परामर्श सेवाएं	0.63	0.60
विविध गैर एयरोनॉटिकल विमानपत्तन सेवाएं	19.61	16.43
कुल	981.44	814.28

22 कार्गो राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14
कार्गो राजस्व	196.49	192.00
कुल	196.49	192.00

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

23 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15		वित्तीय वर्ष 2013-14	
शुरुआती शुल्क		10.37		10.37
वार्षिक शुल्क				
डी आई ए एल	1,967.81		1,838.06	
एम आई ए एल	929.31	2,897.12	835.92	2,673.98
कुल		2,907.49		2,684.35

24 अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
ब्याज से आय	220·01	158·59
स्थाई परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	1.95	3.19
प्रशिक्षण संस्थाओं से आय	2.69	2.01
विविध, आय	152.20	(27.24)
ब्याज एवं जुर्माना	10.09	9.69
कर्मचारी संबंधित वसूली	7.09	5.18
कुल	394.03	151.42

25 कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14
वेतन एवं भत्ते	1,777.57	1,696.90
अन्य स्टाफ व्यय	894.11	581.36
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	143.15	133.90
घटाया गया–प्रचालन सहायता लागत–जेवीसी से वसूली	(12.72)	(14.30)
कुल	2,802.11	2,397.86

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

26 प्रचालन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15		वित्तीय वर्ष 2013-14	
किराया दरें एवं कर		**5.57**		8.83
नगरपालिका कर		**12.01**		12.06
बीमा		**1.49**		2.11
विज्ञापन एवं प्रचार		**11.94**		12.28
मरम्मत एवं अनुरक्षण				
सिविल कार्य	**164.95**		116.40	
विद्युत कार्य	**141.56**		119.81	
वाहन	**9.68**		9.77	
उपस्कर एवं फर्नीचर	**14.82**		13.71	
इलैक्ट्रानिक्स–एयरपोर्ट प्रणाली	**77.55**		65.04	
सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना	**77.25**	**485.81**	20.12	344.85
स्टोर एवं स्पेयर का उपयोग		**30.00**		33.46
मौसम विज्ञान संबंधी सेवा प्रभार		**368.12**		343.47
विद्युत एवं जल प्रभार		**82.88**		105.11
रखरखाव व्यय		**33.25**		23.80
बागवानी व्यय		**2.06**		1.92
कुल		**1,033.13**		**887.89**

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

27 प्रशासनिक एवं अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण		वित्तीय वर्ष 2014-15		वित्तीय वर्ष 2013-14
विधिक शुल्क		4.93		3.32
परामर्श सेवाएं		3.15		3.50
मालभाड़ा प्रभार		0.90		0.94
डाक एवं कुरियर प्रभार		1.06		1.02
दूरभाष, फैक्स एवं इंटरनेट प्रभार		6.92		6.17
प्रिंटिग एवं स्टेशनरी		6.70		6.80
लीज रेन्टल		7.00		2.09
प्रशिक्षण व्यय		2.02		2.90
यात्रा लाभ		49.30		43.36
अनुसंधान एवं विकास		9.87		5.41
परिसंपत्तियों पर हानि तथा बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां		0.00		0.03
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान		135.18		62.93
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)		18.11		(111.78)
राजभाषा पर व्यय		0.71		0.76
प्रशिक्षण केन्द्रों को अनुदान		0.40		1.01
अंकेक्षकों को भुगतान				
सीएजी वैधानिक अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क	4.00		4.00	
अन्य सेवाओं का शुल्क	0.05	4.05	0.08	4.08
बट्टे खाते डाले गए अंशोध्य ऋण		41.95		172.70
किराया प्रभार		21.57		19.32
वाच एण्ड वार्ड/सुरक्षा ठेका		28.81		26.09
वसूली प्रभार		29.75		21.08
गारंटी शुल्क		2.17		2.18
मध्यस्थता व्यय		0.80		6.11
विविध		51.53		35.20
कुल		426.88		315.22

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

28 वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14
उधार पर व्यय	**142.86**	125.30
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लागू शुद्ध हानि	**1.59**	4.59
अन्य वित्तीय प्रभार	**12.86**	24.88
कुल	**157.31**	**154.77**

अन्य टिप्पणी:–
ऊपर दर्शाई गई वित्तीय लागत में वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान पूंजीकृत रू. 19.03 करोड़ की उधारी शामिल नहीं है ।

29 अवमूल्यन तथा परिशोधन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14
मूर्त आस्तियों पर अवमूल्यन/ परिशोधन	**1398.08**	1356.29
अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	**10.65**	6.93
वर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त हानि	**-**	5.43
कुल	**1,408.73**	**1,368.65**

30 सुरक्षा व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14
एविएशन सिक्योरिटी फोर्स–सीआइएसएफ	**637.22**	553.60
अन्य सिक्योरिटी एजेसियाँ–राज्य पुलिस सहित	**28.19**	39.12
कुल	**665.41**	**592.72**

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

31 अपवादिक मदें

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2013-14
पुराना एन्टीहाइजैकिंग प्रावधान वापस लिया गया	**0.00**	(67.38)
कुल	**0.00**	**(67.38)**

32 पूर्व अवधि से संबंधित आय/(व्यय) (कुल)

(₹ करोड़ में)

विवरण		वित्तीय वर्ष 2014-15		वित्तीय वर्ष 2013-14
(क) व्यय				
कर्मचारी लाभ व्यय		(0.51)		0.80
प्रचालनात्मक लाभ		2.62		(8.33)
अवमूल्यन तथा परिशोधन खर्चे		14.73		(105.19)
सुरक्षा व्यय		1.17		-
कुल			**18.01**	**(112.72)**
(ख) आय				
विमानपत्तन दिक्चालन सेवाएं		(3.23)		(0.58)
विमानपत्तन सेवाएं		0.13		(0.14)
गैर वैमानिक विमानपत्तन सेवाएं		-		-
कार्गो राजस्व		-		-
अन्य आय		3.20		(0.22)
			0.10	**(0.94)**
कुल			**18.11**	**(111.78)**

33. "कर्मचारी लाभ" पर ए.एस 15 (संशोधित) के अधीन प्रकटीकरण

निर्धारित अंशदान प्लानः–

भा.वि.प्रा. पूर्व निर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट को भविष्य निधि हेतु निश्चित अंशदान देता है जो इस निधि को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। इस निधि को अवधि के दौरान दिए गए अंशदान व्यय के रुप में दर्शाया जाता है तथा लाभ व हानि खाते में दर्ज होता है।

निर्धारित लाभ प्लानः–

क) अवकाशः– भा.वि.प्रा. अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश एवं अर्ध–वेतन अवकाश का लाभ देता है जोकि क्रमशः 30 दिन तथा 20 दिन प्रतिवर्ष के हिसाब से उपार्जित होता है। अर्जित अवकाश का सेवाकाल के दौरान नकदीकरण कराया जा सकता है बशर्ते नकदीकरण के समय 30 दिन का अवकाश खाते में शेष हो तथा सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिनों का नकदीकरण किया जाता है। अर्धवेतन अवकाश का सेवानिवृत्ति पर पूरा नकदीकरण कराया जा सकता है। इनकी देयता की गणना एक्चूरियल (actuarial) मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधाः– सेवानिवृत्ति कर्मचारी तथा उसकी पत्नी/पति को एक बारगी निर्धारित अंशदान के बदले चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है बशर्ते कि उसने 10 वर्ष की लगातार सेवा की हो। यह योजना स्वैच्छिक है। यह योजना गैर अनुदानित है तथा एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक आधार पर लाभ एवं हानि खाते में प्रदर्शित की जाती है।

ग) उपदानः– प्रत्येक पूरे वर्ष की सेवा के बदले 15 दिन का वेतन उपदान के रूप में दिया जाता है बशर्ते कम से कम 5 वर्ष की निर्बाध सेवा पूरी की गई हो। दिनांक 24.05.2010 से इसकी उच्चतम सीमा रु. 10 लाख निर्धारित की गई है।

घ) हितकारी निधि योजनाः– सेवाकाल के दौरान रु. 26/– प्रतिमाह के अंशदान के बदले एक कर्मचारी सेवानिवृति के बाद 5 वर्षों तक प्रत्येक माह रु. 1560/– प्राप्त करने का हकदार है।

ङ) सेवानिवृत्ति पश्चात सेटलमेंन्ट लाभः– सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी (तथा उसके आश्रित) पूरे भारत में अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर सैटल होने के हकदार हैं। वे सेवाकालीन कर्मचारी की भांति ही स्थानांतरण यात्रा भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। यह योजना गैर अनुदानित है तथा एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक आधार पर लाभ एवं हानि खाते में प्रदर्शित की जाती है।

i) लाभ एवं हानि खाते में प्रदर्शित किए गए व्यय

(₹ करोड़ में)

	उपदान		चिकित्सा लाभ		सेवानिवृत्ति पश्चात सेंटलमेंट लाभ	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
चालू सेवा लागत	25.92	30.77	59.20	35.14	15.33	1.42
बेनिफिट आब्लीगेशन पर ब्याज लागत	74.45	67.59	34.93	27.35	8.35	7.35
प्लान परिसंपतियों पर अनुमानित लाभ	(73.34)	(11.03)	-	-	-	-
वर्ष के दौरान पहचाने गए कुल एक्यूरियल लाभ/हानि ₹	(16.94)	(105.72)	93.36	(0.22)	(11.64)	(10.25)
लाभ एवं हानि खाते में पहचाने गए लागत	10.09	(18.40)	187.49	62.27	12.04	(1.48)

ii) तुलन पत्र में पहचानी गई राशि

(₹ करोड़ में)

	उपदान		चिकित्सा लाभ		सेवानिवृत्ति पश्चात सेंटलमेंट लाभ	
वर्ष	2014- 15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
शुरुआती कुल देनदारी	(47.50)	718.03	376.82	341.83	90.09	91.92
उपरोक्तानुसार व्यय	10.09	(18.40)	187.49	62.27	12.04	(1.48)
नियोक्ता का अंशदान/ भुगतानित लाभ	(0.07)	(0. 13)	(32.53)	(27.28)	(0.62)	(0.35)
नियोक्ता अंशदान	-	(747.00)	-	-	-	-
तुलन पत्र में पहचानी गई कुल परिसंपत्तियां/ देनदारियां	(37.48)	(47.50)	531.78	376.82	101.51	90.09

iii) निश्चित बेनिफिट अब्लिगेशन के वर्तमान मूल्य में बदलाव

(₹ करोड़ में)

	उपदान		चिकित्सा लाभ		सेवानिवृत्ति पश्चात सेंटलमेंट लाभ	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
वर्तमान अवधि की शुरुआत में अब्लिगेशन का वर्तमान मूल्य	795.49	844.86	376.82	341.83	90.09	91.92
ब्याज लागत	74.46	67.59	34.93	27.35	8.35	7.35
वर्तमान सेवा लागत	25.93	30.77	59.20	35.14	15.33	1.42
नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	(0.08)	(0.13)	(32.53)	(27.28)	(0.62)	(0.35)
निधि में से भुगतान किए गए लाभ	(45.20)	(52.63)	-	-	-	-
अब्लिगेशन पर कुल एक्चुरियल लाभ/हानि	(32.87)	(94.96)	93.36	(0.22)	(11.64)	(10.25)
वर्तमान अवधि की समाप्ति पर परिभाषित लाभ देयताओं की वर्तमान कीमत	817.73	795.49	531.78	376.82	101.51	90.09

** बीमा कंपनियों के पास उपलब्ध निधि सहित

iv) योजना परिसम्पत्तियों के स्वच्छ मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	उपदान	
	2014 - 15	**2013-14**
वर्ष के आरंभ में योजना परिसम्पत्तियों की स्वच्छ कीमत	842.99	126.84
योजना परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	73.34	11.03
कर्मचारियों द्वारा योगदान	-	747.00
प्रदत्त लाभ	(45.20)	(52.64)
बीमांकक लाभ/(घाटा)	(15.92)	10.74
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों की स्वच्छ कीमत	855.21	842.99

v) योजना परिसम्पत्तियों का विवरण (उपदान)

31 मार्च, 2015 को योजना परिसम्पत्तियों का विवरण निम्नवत हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	**2014-15**	**2013-14**
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	-	-
निगमित बांड	-	-
विशेष जमा योजना	-	-
बीमाकृत प्रबंधित निधि	529.94	537.14
अन्य	325.27	305.85
कुल	**855.21**	**842.99**

vi) बीमांकक पूर्वधारण

बीमांकक मूल्यांकन हेतु प्रमुख पूर्वधारण निम्नवत है :

प्रयोग की जाने वाली विधि – प्रक्षेप इकाई क्रेडिट (पी यू सी)

छूट दर (उपदान/छुट्टी नकदीकरण) – 7.90% (पिछला वर्ष 9.36%)

छूट दर (पुनर्स्थापना/चिकित्सा अभिलाभ) – 7.90% (पिछला वर्ष 9.27%)

परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ की अनुमानित दर (केवल उपदान) 7.90% (पिछला वर्ष 8.7%)

भविष्य में वेतन वृद्धि – 7% (पिछला वर्ष 7%)

क्षयण दर – 2% (पिछला वर्ष 2%)

बीमांकक मूल्यांकन में भावी वेतनवृद्धि के अनुमान में मंहगाई, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य संबंधित कारण जैसे कि रोजगार क्षेत्र में मांग एवं आपूर्ति पर विचार किया गया है आगे योजना परिसम्पत्तियों में अनुमानित प्रतिलाभ में अनेक कारकों जिसमें प्रमुख रूप से योजना परिसम्पत्तियों के गठन, परिसम्पत्तियों के प्रबंधन में अनुमानित जोखिम तथा योजना परिसम्पत्तियों के ऐतिहासिक प्रतिलाभ पर विचार कर अनुमान लगाया गया है।

34 "संबंधित पार्टी प्रकटन" पर लेखा मानक 18 के अंतर्गत प्रकटन

(i) संबंधित पार्टी:

संयुक्त उद्यम का नाम	स्वामित्व	
	31.03.2015	31–03–2014
क) दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रा.लि. (डी आई ए पी एल)	26%	26%
ख) मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रा.लि. (एम आई ए पी एल)	26%	26%
ग) हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रा.लि. (एच आई ए एल) (सी ए पी : रू. 50 करोड)	13%	13%
घ) बंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रा.लि. (बी आई ए एल) (सी ए पी : रू. 50 करोड)	13%	13%
ड) राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान गोंडिया (एन एफ टी आई पी एल)	46%	46%
च) मिहान इंडिया प्रा. लि. नागपुर	49%	49%
छ) चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लि. (सी एच आइ ए एल)	51%	51%
ज) भारतीय विमानन अकादमी	स्वायत्त संस्था	

ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

- श्री आर.के. श्रीवास्तव, अध्यक्ष, 02 जनवरी, 2015 से
- श्री एस.रहेजा, सदस्य (योजना)
- श्री वी. सोमसुन्दरम, सदस्य (ए एन एस)
- श्री एस. सुरेश, सदस्य (वित्त)
- श्री अनुज अग्रवाल, सदस्य (मानव संसाधन)
- श्री जी. के. चौकियाल, सदस्य (प्रचालन)

iii) संबंधित पार्टियों से लेन–देन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2013–14
जे वी सी से वार्षिक शुल्क:		
डी आई ए पी एल	1967.81	1838.04
एम आई ए पी एल	929.31	835.92
वर्ष के दौरान इक्विटी अंशदान		
मिहान	–	4.90
एन एफ टी आई पी एल, गोंदिया	5.02	–
सी एच आई ए एल	–	–
प्रचालन सपोर्ट लागत/सेवानिवृत्त मुआवजा :		
डी आई ए पी एल	18.72	19.07
एम आई ए पी एल	20.43	20.78

अन्य प्राप्तियां		
डी आई ए पी एल	1.62	1.91
एम आई ए पी एल	0.03	–
मिहान इंडिया लि. (एम आई एल)		
प्रचालन सपोर्ट लागत से होने वाली आय	71.62	59.13
देय राशि	11.30	4.98
निवेश हेतु अग्रिम		
एन एफ टी आई पी एल	–	2.94
मिहान इंडिया लि. (एम आई एल)	86.20	85.27
भारतीय विमानन अकादमी में रनिंग लागत हेतु प्राप्त राशि	0.81	2.02
मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक	1.79	1.83

v) रु. 374.68 करोड़ (रु. 195.78 करोड़– पिछले वर्ष) की राशि प्रगति पर कार्य को सम्मिलित की गई जो सी एच आई ए एल के पक्ष में परिसम्पत्तियों के निर्माण से संबंधित है।

vi) नागपुर हवाईअड्डे पर भा.वि.प्रा. की रु. 86.20 करोड़ की परिसम्पत्ति एम आई एल को सौंपी गई है जोकि भाविप्रा द्वारा एम आई एल में इक्विटी अंशदान हेतु इसे अग्रिम में दर्शाया गया है जब तक जे वी सी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि नहीं होगी तथा शेयर जारी नहीं होते।

vii) भारत सरकार के एक निर्णय के अनुसार नियामार का नाम बदलकर भारतीय विमानन अकादमी (आई ए ए) रख दिया गया है तथा यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत जुलाई 2010 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत की गई। भा.वि.प्रा., डी जी सी ए तथा बी सी ए एस के बीच आई ए ए में प्रशिक्षण देने तथा होने वाले व्यय की हिस्सेदारी हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रत्येक निकाय द्वारा व्यय के अनुपात के संबंध में निर्णय लंबित है। वर्ष के दौरान हुए रिकरिंग व्यय की दो–तिहाई राशि रु. 0.81 करोड़ रही तथा इस भा.वि.प्रा. के लेखा में उनकी हिस्सेदारी के अनुसार डी जी सी ए/बी सी ए एस से वसूल की जाने वाली राशि के रूप में दर्शाया गया है।

35. 'पटटे' पर लेखा मानक–19 के अंतर्गत प्रकटन

आई जी आई (दिल्ली) तथा सी एस आई (मुंबई) हवाईअड्डों का प्रचालन, प्रबंधन तथा विकास

i) आई जी आई हवाईअड्डा (दिल्ली) तथा सी एस आई हवाईअड्डा (मुंबई) के प्रचालन, प्रबंधन तथा विकास 3 मई 2006 को ऑपरेटिंग पट्टे पर डी आई ए एल तथा एम आई ए एल को राजस्व शेयरिंग मॉडल पर सौंपा गया जो कि 30 वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए है, जिसे अन्य 30 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

ii) भा.वि.प्रा. की परिसंपत्तियां (सकल ब्लॉक रु. 0.29 करोड़) मेसर्स एम आई ए एल द्वारा सी एस आई हवाईअड्डे, मुंबई के आधुनिकीकरण हेतु नष्ट/निपटान की गई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान परिसम्पत्ति की बिक्री के कारण 0.86 करोड़ की राशि को लाभ में दर्शाया गया है तथा एकत्रित घाटे सहित सकल ब्लॉक को लेखा बही से निकाल दिया गया है। भा.वि.प्रा. की परिसम्पत्ति (सकल ब्लॉक रु. 0.68 करोड़) को मेसर्स डी आई ए एल द्वारा बेच दिया गया, जिसे वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ में दर्शाया गया है।

iii) जे वी सी से प्राप्त वार्षिक शुल्क की गणना ओ एम डी ए के अंतर्गत निर्धारित राजस्व के प्रतिशत के आधार पर डायल (रु. 1967.81 करोड़) तथा मायल (रु. 929.31 करोड़), कुल रु. 2897.12 करोड़ को हवाईअड्डों को पट्टे पर देने से आय शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं घाटा लेखा में दर्शाया गया है। मूल्यह्रास को शामिल कर के लागत को लाभ तथा घाटा लेखा में व्यय के रूप में दर्शाया गया है। आरंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसे कानूनी लागत इत्यादि को लाभ एवं घाटा लेखा में सीधे रूप में दिखाया गया है।

iv) ओ एम डी ए के अनुसार, 3 वर्षों की अवधि की प्रचालन सपोर्ट अवधि 2 मई 2009 को समाप्त हो गई। वर्ष के दौरान ऐसे कर्मचारी जिन्होंने ओ एम डी ए शर्तों के अनुसार विलय हेतु विकल्प नहीं दिया था, के लिए सेवानिवृत्ति लाभ हेतु जे वी सी से रु. 39.15 करोड़ (मायल रु. 20.43 करोड़ तथा डायल रु. 18.72 करोड़) की राशि प्राप्त हुई थी। यह राशि वेतन एवं भत्तों, सेवानिवृत्ति एवं वी आर एस लागत के लिए समायोजित की जाएगी। रु. 1.62 करोड़ की राशि (जिसमें से रु. 0.14 करोड़ कबाड़ की बिक्री तथा रु. 1.48 करोड़ एम ए एफ में कमी से ब्याज के रूप में प्राप्त) डायल से तथा एम ए एफ में ब्याज में कमी से रु. 0.03 करोड़ ब्याज के रूप में मायल से प्राप्त हुए।

v) भाविप्रा ने पत्र सं. भा.वि.प्रा./जेवीसी–14/वीआरएस/2011–12 के माध्यम से 1.05.2009 से दस वर्षों की अवधि हेतु ओ एम डी ए के अनुसार विलय के विकल्प को न लेने वाले कर्मचारियों हेतु सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान हेतु डायल एवं मायल को अनुमति प्रदान की है। तदनुसार भाविप्रा ने दस वर्षों की अवधि हेतु सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में डायल एवं मायल से प्राप्त होने वाली मासिक राशि की गणना कर दी है। अप्रैल 2015 से अप्रैल 2019 की अवधि के दौरान डायल से रु. 70.75 करोड़ तथा मायल से रु. 76.80 करोड़ की राशि संग्रहित की जाने वाली है।

vi) भारत सरकार तथा डायल एवं मायल के बीच राज्य सपोर्ट करार की शर्तों के अनुसार ओ एम डी ए के रद्द अथवा समाप्ति पर भा.वि.प्रा. द्वारा हस्तांतरित परिसम्पत्तियों तथा गैर–हस्तांतरित परिसंपत्तियों की खरीद के संबंध में भाविप्रा द्वारा जे वी सी को भुगतान करने हेतु भाविप्रा के पक्ष से प्राप्त सरकार ने जे वी सी गारंटी दी है। भाविप्रा ने भारत सरकार को काउंटर गारंटी दी है।

vii) ए ई आर ए ने अपने आदेश सं. 28/2011–12 दिनांक 08.11.2011 तथा तदुपरांत संशोधित आदेश सं. 30/2012–13 दिनांक 28.12.2012 के माध्यम से डायल द्वारा आई जी आई हवाईअड्डा विकास शुल्क (डी एफ) के संग्रहण तथा वसूली हेतु अनुमोदन दिया है। तदनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विकास शुल्क नियम, 2011 के अनुसार ही इस राशि प्राप्ति को नियमित करने के लिए भा.वि.प्रा. ने एसक्रो बैंक खाता खोला है। इस बैंक खाते में एकत्रित होने वाली राशि को ए ई आर ए द्वारा डी एफ के प्रत्याभूति के लिए ऋण के भुगतान हेतु उपयोग किया जाएगा।

इस बैंक खाते का सार निम्नवत् है:

(क) 31.03.2015 को डायल द्वारा दी गई राशि : रु. 467.97 करोड़

(ख) 31.03.2015 को एस्क्रो राशि की शेष राशि को डायल को दिया जाएगा ताकि डी एफ नियमों के अनुसार ऋण तथा सेवाकर पुनर्भुगतान हो सके : रु. 15.40 करोड़

viii) ए ई आर ए ने अपने आदेश सं. 2/2012–13 दिनांक 16.4.2012 तथा तदुपरांत संशोधित आदेश सं. 29/2012–13 दिनांक 21.12.2012 के माध्यम से डायल द्वारा आई जी आई हवाईअड्डे पर विकास शुल्क (डी एफ) के संग्रहण तथा वसूली हेतु

अनुमोदन दिया है। तदनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विकास शुल्क नियम, 2011 के अनुसार ही इस राशि को सभी प्रमुख हवाईअड्डा प्राप्तियों को नियमित करने के लिए एसक्रो बैंक खाता खोला गया। इस बैंक खाते में एकत्रित होने वाली राशि को ए ई आर ए द्वारा डी एफ के प्रत्याभूति के विरूद्ध ऋण के भुगतान अथवा मॉयल द्वारा वैमानिक परिसम्प त्तियों के सृजन हेतु भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा।

इस बैंक खाते का सार निम्नवत है:

(क) 31.03.2015 को डायल द्वारा दी गई राशि : रु. 412.28 करोड़

(ख) 31.03.2015 को एसक्रो राशि के लेखा को मायल को

दिया जाएगा ताकि डी एफ नियमों के अनुसार ऋण तथा

सेवाकर का भुगतान किया जाए। : रु. 9.32 करोड़

ix) भाविप्रा ने दिल्ली तथा मुंबई (डायल/मायल) के जे वी सी प्रचालकों से अनुरोध किया है कि भावी विस्तार हेतु मार्केटिंग निधि के संग्रहण, सीमा–शुल्क ड्यूटी स्क्रिप्ट की उपयोगिता, परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ, एयर–इंडिया इत्यादि से प्राप्त राजस्व को शामिल न कर मासिक शुल्क से ब्याज निकाल कर प्राप्त राजस्व की हिस्सेदारी दे। इसकी ओ आई ओ सी बैठकों में तथा अनुवर्ती बैठकों में चर्चा की जा रही है। इस मामले के शांतिपूर्वक सेटलमेंट हेतु जे वी सी प्रचालकों से चर्चा की जा रही है।

मौजूदा पट्टे सम्पत्ति कर इत्यादि के संग्रहण से प्राप्त आय की भाविप्रा तथा जे वी सी के बीच हिस्सेदारी में क्या संपूर्ण राशि भाविप्रा को दी जाए अथवा ओ एम डी ए के अनुसार बांटी जाए। नागर विमानन मंत्रालय ने भाविप्रा को निदेश दिए हैं कि विधि एवं अधिकारिता मंत्रालय की राय के अनुसार कार्य करें। अतः मौजूदा पट्टे से प्राप्त आय को ओ एम डी ए के अनुसार जे वी सी द्वारा हिस्सेदारी की जाएगी।

x) ओ एम डी ए के अंतर्गत 3 मई 2006 से 31 मार्च 2014 तक डी आई ए पी एल तथा एम आई ए पी एल से प्राप्त होने वाले वार्षिक शुल्क तथा अपफ्रंट राशि के प्रति सेवा कर जोकि क्रमशः रु. 288.53 करोड़, रु. 96.88 करोड़, रु. 106.71 करोड़, रु. 126.42 करोड़, रु. 260.17 करोड़ तथा रु. 330.50 करोड़ की राशि की मांग हेतु दिनांक 01.06.2009, 21.01.2011, 21.10.2011, 05.10.2012, 23.05.2014 तथा 22.04.2015 के माध्यम से सेवा कर विभाग ने सेवा कर (फ्रेन्चाइस सेवा श्रेणी के अंतर्गत) मांग–सह कारण बताओ नोटिस जारी किया। हालांकि डी ई ए पी एल तथा एम ई ए पी एल ने 2008 (डायल तथा मायल से भाविप्रा को प्राप्त अपफ्रंट राशि तथा वार्षिक शुल्क पर सेवा कर की प्रयोज्यता) में रिट– याचिका दायर की है। माननीय उच्चन्यायालय, दिल्ली ने स्टे–आर्डर पारित किया है तथा मामला न्यायालय में लंबित है। अगली सुनवाई 29.09.2015 को है।

2006–07 से 2012–13 की अवधि की देनदारियों को सेवा–कर विभाग द्वारा कुल रु. 1076.75 करोड़ की राशि पर न्यायनिर्णय किया गया (2006–07 की अवधि हेतु रु. 816.58 से वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु 2011–12, रु. 260.17) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने अपने न्यायनिर्णयन आदेश में बताया है कि सेवा कर की तिथि से भुगतान की तिथि की अवधि में वित्त अधिनियम, 1994 के अनुसार 75 खण्ड के अंतर्गत भा.वि.प्रा. से उचित दर पर ब्याज की वसूली की जाएगी। उक्त न्यायनिर्णयन आदेश के विरुद्ध भा.वि.प्रा. ने सी ई एस टी ए टी में अपील दायर की है।

36. परिसम्पत्तियों के हानिकरण पर लेखा मानक –28 के अंतर्गत प्रकटन

प्रबंधन के आकलन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए भा.वि.प्रा. के लेखों में परिसम्पत्तियों के हानिकरण के समझने तथा समीक्षा करने हेतु 31.03.2015 तक कुछ महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है।

37. अन्य प्रकटन

i) पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखा सहित ऋणपत्र पर संविदा की अनुमानित राशि का ही निष्पादन किया जाना है तथा बैलेंस शीट पर रु. 669.64 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 886.73 करोड़) की राशि है।

ii) चूंकि भा.वि.प्रा., कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी नहीं है, 31.03.2015 को भाविप्रा के लेखा तथा चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. (जहां भा.वि.प्रा. की 51% हिस्सेदारी है) को समेकित करने की आवश्यकता प्रयोज्य नहीं है। हालांकि, भा.वि.प्रा. की वित्तीय वर्ष 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट में चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. के लेखा को संलग्न किया जाएगा।

38. आकस्मिक देनदारियां

ऋण न माने गए दावे (रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2015 तक	31 मार्च, 2014 तक
भूमि मामले	37277.15	49513.27
दुर्घटना का मुआवजा दावा	236.88	2014.86
माध्यस्थम के तहत मामले	46389.82	42826.98
कार्गो के अंतर्गत दावे	1816.86	1297.37
न्यायालय के मामले	9025.26	24703.68
बिक्री कर / नगरपालिका कर / आयकर इत्यादि	30949.16	46760.37
अन्य	10295.24	8422.86
कुल	135990.37	175539.39

39. निष्पादित प्रतिभूतियां

वर्ष के दौरान रु. 3.24 करोड़ की प्रतिभूति राज्य विद्युत कंपनियों तथा दूरसंचार विभाग को जारी की गई।

40. विदेशी मुद्राओं में व्यय

(रु. करोड़ में)

	2014–15	2013–14
पूंजीगत वस्तुओं की खरीद	312.53	187.26
कलपुर्जे	8.62	7.47
विदेशी यात्रा	3.11	2.47
परामर्शी	1.13	5.91
विदेश ऋण का पुनर्भुगतान	2.35	2.33
अन्य	3.29	29.88
कुल	331.03	235.32

41. विदेशी विनियम में अर्जन

(रु. करोड़ में)

	2014–15	2013–14
सेवाएं	**711.52**	**667.96**

42. ई पी एफ ट्रस्ट

(1) ई पी एफ ओ ने अपने पत्र दिनांक 30.5.2012 के माध्यम से ई पी एफ एवं एम पी अधिनियम 1952 की धारा 14 बी के अंतर्गत 04/1995 से मासिक अंशदान को देरी से देने हेतु 227.17 करोड़ की क्षतिपूर्ति मांगी है। भा.वि.प्रा. ने इस उगाही के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में मुकदमा दायर किया है जिसकी अगली सुनवाई 23 नवंबर, 2015 को है।

(2) ई पी एफ एवं एम पी अधिनियम 1952 पैरा 7(2) के साथ पठित पैरा 17(2) के तहत भविष्य निधि को इनहाउस मैंटेन करने हेतु भा.वि.प्रा. को दी गई छूट को ई पी एफ ओ ने पत्र सं. ई/डीएल/36478/आर ई सी/3203–3208/1581 दिनांक 11.12.2014 के माध्यम से वापिस ले लिया है। भा.वि.प्रा. ने श्रम तथा रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पास भा.वि.प्रा. को इस छूट को पुनः देने का अनुरोध किया है। श्रम मंत्रालय, ई पी एफ ओ तथा भा.वि.प्रा. के बीच 29.05.2015 को आयोजित एक बैठक में निर्णय लिया गया कि भाविप्रा को दी जाने वाली छूट को अस्थायी रूप से पुनः चालू किया जाए जब तक डेमेज मामलों से संबंधित उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता। क्षेत्रीय पी एफ आयुक्त, दिल्ली ने पत्र दिनांक 17.8.2015 के माध्यम से भा.वि.प्रा. को छूट की मंजूरी की सिफारिश की।

43. हवाईअड्डों हेतु वित्त पोषण योजना

हवाईअड्डों के लिए वित्तपोषण हेतु पूर्व योजना आयोग के टास्क (जुलाई 2012) की रिपोर्ट के आधार पर, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार चार हवाई अड्डों अर्थात चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद तथा जयपुर हवाईअड्डे का प्रचालन, प्रबंधन तथा विकास पी पी पी के माध्यम से किया जाएगा। भा.वि.प्रा. ने 30 दिसंबर, 2014 को इन चार हवाईअड्डों के प्रचालन प्रबंधन तथा विकास को पी पी पी माध्यम से किए जाने हेतु आर एफ क्यू दस्तावेज जारी किए। नागर विमानन मंत्रालय ने अपने पत्र सं. एवी. 24011/141/2015–एडी– दिनांक 18.08.2015 के माध्यम से निर्णय लिया कि उक्त योग्यता हेतु अनुरोध निरस्त कर दिया गया है तदनुसार 19 अगस्त 2015 को आर एफ क्यू को निरस्त करने की अधिसूचना जारी कर दी गई।

सेवाओं के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने टर्मिनल भवन (शहरी छोर तथा हवाई क्षेत्र के अलावा) से गैर–वैमानिक राजस्व को बढ़ाने के उत्तरदायित्व सहित या इस उत्तरदायित्व के बिना, अहमदाबाद एवं जयपुर हवाईअड्डों पर ओ एवं एम संविदा करने का कार्य आरंभ कर दिया है।

44. सेगमेंट रिपोर्ट एवं रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सेगमेंट रिपोर्ट एवं रोकड़ प्रवाह विवरण संलग्न है।

45. सामान्य

(i) वर्ष के दौरान 1986 से 2007 की अवधि के रुपये 41.95 करोड़ की राशि के ओवर फ्लाइंग देय को बट्टे खाते में डाला गया।

(ii) अग्रिम / ग्राहक लेखा / देयताएं इत्यादि से संबंधित शेष पुष्टि / लेखा समाधान के अधीन है।

(iii) लंबित जाँच का घाटा रुपये 7.77 लाख (पिछले वर्ष रुपये 7.77 लाख) है।

(iv) 3 मई 2013 को प्राप्त हमारे ट्रस्टी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. की कानूनी राय के अनुसार एवं निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित के अनुसार भा.वि.प्रा. ने रुपये 402.50 करोड हेतु एक डिबेंचर रिडेंपशेन रिजर्व (डीआरआर) बनाया है। इसमें से रुपये 16.25 करोड की राशि को वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान रुपये 65 करोड की राशि के बांड के रिडेंपशन पर इस रिजर्व से सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(पंकज जैन)	(राजेश भंडारी)	(एस.सुरेश)	(आर.के. श्रीवास्तव)
का.नि. (सीए एवं सीएस)	का.नि (वित्त एवं लेखा)	सदस्य (वित्त)	अध्यक्ष

दिनांक: 25 अगस्त, 2015

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

सेगमेन्ट रिपोर्ट

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014–15							वित्तीय वर्ष 2013–14						
	उत्तर	दक्षिण	पश्चिम	पूर्वोत्तर	पूर्व	अनिर्धारित	सकल योग	उत्तर	दक्षिण	पश्चिम	पूर्वोत्तर	पूर्व	अनिर्धारित	सकल योग
सेगमेन्ट राजस्व	1032.71	2391.03	1235.36	144.65	1232.45	3028.77	9064.97	932.46	2097.78	1140.61	112.72	1093.81	2634.07	8011.45
सेगमेन्ट परिणाम														
सेगमेन्ट परिणाम (लाभ / हानि)	(86.28)	683.37	345.09	(141.49)	87.08		887.77	(102.04)	630.16	280.52	(143.52)	49.42	0.00	714.54
अनियम निगमित व्यय						1187.83	1187.83						899.49	899.49
प्रचालन लाभ	(86.28)	683.37	345.09	(141.49)	87.08	1840.94	2728.71	(102.04)	630.16	280.52	(143.52)	49.42	1734.58	2449.12
ब्याज व्यय		53.64			89.19	14.48	157.31		34.81			90.13	29.83	154.77
ब्याज आय	2.89	4.49	2.30	0.37	1.85	208.11	220.01	2.99	3.43	2.19	0.32	1.78	147.88	158.59
अपवादिक मदें							-						(67.38)	(67.38)
कर पूर्व लाभ	(83.39)	634.22	347.39	(141.12)	(0.26)	2034.57	2791.41	(99.05)	598.79	282.70	(143.20)	(38.93)	1920.00	2520.31
आयकर व्यय / प्रावधान						832.19	832.19						1079.25	1079.25
कर बाद लाभ	(83.39)	634.22	347.39	(141 12)	(0.26)	1202.38	1959.22	(99.05)	598.79	282.70	(143.20)	(38.93)	840.75	1441.06
अन्य सूचना														
सेगमेन्ट आस्तियां	2394.15	4427.49	1973.94	358.71	3383.41		12537.70	1934.10	4952.66	1667.88	224.35	3396.16		12175.15
अनियत आस्तियां						10274.65	10274.65						7589.94	7589.94
कुल आस्तियां	2394.15	4427.49	1973.94	358.71	3383.41	10274.65	22812.35	1934.10	4952.66	1667.88	224.35	3396.16	7589.94	19765.09
सेगमेन्ट देनदारियां	433.57	976.72	361.91	64.44	1191.57		3028.21	384.17	1016.19	343.92	55.52	1231.23	0.00	3031.03
अनियत देनदारियां						8327.89	8327.89						6759.13	6759.13
कुल देनदारियां	433.57	976.72	361.91	64.44	1191.57	8327.89	11356.10	384.17	1016.19	343.92	55.52	1231.23	6759.13	9790.16
पूंजीगत व्यय	483.14	197.19	101.53	36.21	170.33	67.46	1055.86	252.21	334.20	63.84	29.18	187.41	19.32	886.16
गैर नकदी व्यय														
मूल्यह्रास, परिशोधन व हानि	213.18	534.19	196.37	54.56	381.86	28.57	1408.73	222.88	484.81	203.86	55.41	375.01	26.67	1368.65
प्रमुख गैर नकदी व्यय (ऋणों के लिए प्रावधान, पूर्व अवधि मूल्यह्रास और बुरा ऋण	68.07	54.73	(34.23)	17.33	43.30	42.66	191.86	48.31	22.20	(5.03)	2.22	45.09	22.14	134.93

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

(रु. करोड़ में)

	विवरण	समाप्ति वर्ष	
		2014-15	2013-14
क	**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	अपवादिक मदों एवं कराधार से पूर्व लाभ	2791.41	2452.93
	इनके लिए समायोजन:		
	मूल्यह्रास, परिशोधन व हानि	1408.73	1368.65
	पूर्व अवधि मूल्यह्रास	14.73	(105.19)
	वित्तीय लागत	157.31	154.77
	अन्य विविध मदें	(80.39)	93.14
	वर्ष के दौरान शुद्ध प्रावधानों हेतु समायोजन	461.99	(420.89)
	संदिग्ध ऋणों हेतु संचयित प्रावधानों के लिए समायोजन	135.18	62.93
	सीएएसआर आरक्षितों से उपयोग	(14.60)	(6.15)
	ब्याज से आय	(220.01)	(158.59)
	बेची गई/हटाई गई आस्तियों से शुद्ध (लाभ)	(1.95)	(3.19)
	अपवादिक मदों तथा प्रचालन पूंजीगत बदलाव से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	4652.40	3438.41
	अपवादिक मद–अधिक सुरक्षा प्रावधान बटटे खाते डाले गए	-	67.38
	अन्य प्रचालन आस्तियों में वृद्धि	(723.98)	(147.23)
	प्रचालन देनदारियों में वृद्धि	304.44	63.23
	प्रचालन से प्राप्त नकद	4232.86	3421.79
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (शुद्ध प्रतिदाय)	(1168.95)	(664.37)
	प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकद–क	**3063.91**	**2757.42**
ख	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	स्थिर आस्तियों/सी डब्ल्यूआईपी/पूंजीगत कार्य में वृद्धि/क्रय	(1236.09)	(1316.94)
	स्थिर आस्तियों के विक्रय/समायोजन से प्राप्ति	1.95	4.06
	3 माह से अधिक बैंक जमा	(1574.26)	(1076.83)
	ब्याज प्राप्त	108.03	122.72
	संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश/निवेश अग्रिम	(2.08)	(7.84)
	निवेश गतिविधियों से उपयोग किया गया शुद्ध नकद – ख	**(2702.45)**	**(2274.83)**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	पूंजीगत अनुदानों के रूप में सरकार से प्राप्तियां	141.00	110.55
	ब्याज एवं वित्त प्रभारों का भुगतान	(154.35)	(169.54)
	उधारी का पुनर्भुगतान	(67.32)	(272.31)
	लाभांश का भुगतान	(145.00)	(147.00)
	लाभांश भुगतान पर कर	(24.64)	(24.99)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद – ग	**(250.31)**	**(503.29)**
	नकद एवं नकद समकक्षों में शुद्ध परिवर्तन (क+ख+ग)	111.15	(20.70)
	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समकक्ष	64.69	85.39
	वित्तीय वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष	**175.84**	**64.69**

टिप्पणियां–

1. उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरण द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स इंडिया द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरण पर अकाउंटिंग स्टैण्डर्ड–3 में उल्लेखित "अप्रत्यक्ष विधि" के अंतर्गत तैयार किया गया है
2. कोष्ठक नकद आउटफ्लो/कमी को दर्शाता है।
3. वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान भुगतान किया कुल कर (रु. 20.64 करोड़ के ब्याज पर टी डी एस सहित) (पिछले वर्ष रु. 13.81 करोड़) रु. 1189.59 करोड़ था (पिछले वर्ष रु. 678.18 करोड़)

गोपनीय

संख्या / No.

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–1

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1

दिनाँक/Dated

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
नागर विमानन मंत्रालय
राजीव गाँधी भवन,
नई दिल्ली -110003

विषयः- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 2014-15 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 की धारा 28(2) के अधीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 2014-15 के सत्यापित लेखाओं की प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित कर रही हूँ ।

कृपया इन लेखाओं व प्रतिवेदन को संसद में पेश करने की तारीख इस कार्यालय को सूचित करें । प्रतिवेदन को संसद में पेश करने के पश्चात पेश किए गए प्रत्येक दस्तावेजों की 25 प्रतियाँ इस कार्यालय में तथा एक प्रति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में भिजवाएं ।

कृपया पावती भेजें ।

भवदीया,

अनुलग्नकः यथोपरि

हस्ता०
(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक

संख्याः GAP/AAI/A/cs/6-30/2014-15/ 775 दिनाँक : 14.12.2015

प्रतिलिपीः-

1. मंत्रालय को जारी किए गए पत्र के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 2014-15 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, को प्रेषित है । कृपया प्रतिवेदन को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिनियम की धारा 28(2) के अनुसार संसद में पेश होने तक गोपनीय रखा जाए।
2. मंत्रालय को जारी किए गए पत्र के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 2013-14 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक नई दिल्ली (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा-III) को उनके पत्र संख्या 903 वा.ले.प.-III/ND-I/A/cs/AAI/49-15 दिनाँक 14.12.2015 के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। तथ्यों एवं आँकडों की पुनः जाँच कर ली गई है ।

तनुजा मित्तल
(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए–स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, New Delhi-110002.
दूरभाष/Tele. : 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432,011-23370871
e-mail : mabnewdelhi1@cag.gov.in

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994) की धारा 28(2) तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा विवरण) नियम, 2008 के अधीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (प्राधिकरण) की 31 मार्च 2015 की संलग्न बैलेंस शीट तथा उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में 51 स्व लेखा इकाईयों के लेखे शामिल है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी प्राधिकरण के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार प्रकट करने ही है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा, भारत में सामान्यतः मान्य लेखापरीक्षा प्रतिमानों के अनुसार की है। इन प्रतिमानों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा को इस प्रकार नियोजित तथा निष्पादित करें ताकि हमें इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरण तथ्यात्मक रुप से गलत विवरणों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में जांच आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों तथा प्रकटनों के समर्थन में दिए गए प्रमाणों की परीक्षा शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयोग में लाए गए प्रकटनों एवं प्रबंधन द्वारा दर्शाए गए महत्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन और साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमने अपनी लेखा परीक्षा में युक्तिसंगत आधार पर अपना मत व्यक्त किया है।

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट देते हैं कि:–

(i) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, सिवाय डायल और मायल (जेवीसी) के मूलभूत रिकार्डों और उनके संयुक्त उद्यमों और डायल व मायल के निदेशक मण्डल की बैठक के कार्यवृत्त के, ताकि डायल और मायल का कुल राजस्व तथा तदनुसार प्रचालन, प्रबंधन व विकास करार (ओमडा) के अनुसार भा.वि.प्रा. का हिस्सा प्रमाणित किया जा सके (विवरण पैरा बी(2) मे दिया गया है)।

(ii) इस रिपोर्ट द्वारा संभाले गए तुलन पत्र तथा लाभ–हानि खाते, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नियम, 2014 तथा एएआई एक्ट 1994 के सैक्शन 41 के सब सेक्शन (2) के क्लाज (जी) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में, भा.वि.प्रा. एक्ट, 1994 के सेक्शन 28(1) की आवश्यकता के अनुसार प्राधिकरण द्वारा खातों की किताब और अन्य संगत रिकार्ड का उचित प्रकार से रखरखाव किया गया है, जैसा कि उन किताबों की हमारे द्वारा जाँच से प्रतीत होता है, सिवाय इसके:–

(क) तुलन पत्र

1. इक्विटी तथा देयताएं

1.1 पूंजी

आरक्षित एवं अधिशेष (टिप्पणी संख्या 3) 10799.70 करोड़ रुपये

उपयुक्त में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 30.03.2015 को जारी रु 14.10 करोड़ का अनुदान शामिल नहीं है। वर्ष 2014–15 में उपर्युक्त अनुदान के गैर–लेखाकरण के परिणास्वरूप पूंजीगत अनुदान तथा नकद व नकद समतुल्य में 14.10 करोड़ की न्यूनोक्ति (अंडरस्टेटमेंट) हुई है।

1.2 चालू देयताएं 4852.23 करोड़

(क) उपयुक्त शीर्ष, निम्नलिखित की ओर देयताओं के गैर–प्रावधान के कारण 55.74 करोड़ रुपये से न्यूनकथित (अंडरस्टेटेड) हुआ है:

(रु करोड़ में)

I.	हथियार एवं गोला बारुद तथा वर्दी (ए एवं ए तथा आर एवं सी) के कारण सीआईएसएफ भुगतानों के प्रति देयताओं का गैर निर्माण	3.07
II.	2013–14 तथा 2014–15 की अवधि हेतु मै0 इंडियन होटल कंपनी लि0 से वसूली योग्य विवादित राशि के संबंध में अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के प्रति लघु प्रावधान	8.53
III.	2013–14 एवं 2014–15 की अवधि हेतु प्राइवेट पार्टियों से वसूली योग्य विवादित राशि के संबंध में अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के प्रति लघु प्रावधान।	1.58
IV.	वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु कैन्टोनमेन्ट बोर्ड को देय संपत्ति कर के प्रति देयता का गैर सृजन	4.65
V.	पीआरपी के प्रति व्यय को ध्यान में रखते हुए आयकर हेतु प्रावधान का लघु सृजन, जिसे आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 36(1)(ii) के अनुसार अनुमति नही दी गई।	36.07
VI.	अगस्त 2013 से मार्च 2015 की अवधि हेतु इन्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) को भुगतान के लिए देयता का गैर सृजन	1.84
	कुल	**55.74**

तदनुसार लाभ को रु 55.74 करोड़ से अतिरंजित किया गया है।

(ख) उपयुक्त में 29.95 करोड़ रुपये की न्यूनतम राशि के सेवाकर का प्रावधान शामिल नहीं है जोकि 2013–14 तथा 2014–15 की अवधि के दौरान एयर इंडिया द्वारा चुकाई गई बकाया राशि पर देय था। भाविप्रा के साथ हस्ताक्षर किए गए एमओयू के अनुसार एयर इंडिया ने 730 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है जिसमे से 337.13 करोड़ रुपये 10–09–2004 से 31–07–2011 के दौरान की राशि का सेवा कर देय था, लेखापरीक्षा द्वारा 10–09–2004 से 31–07–2011 की अवधि के दौरान वसूली गई बकाया राशि पर 34.39 करोड़ के सेवाकर की देयता निकाली गई है। हालांकि भाविप्रा ने 29.95 करोड़ की शेष राशि छोडते हुए 4.44 करोड की राशि जमा की है। उपर्युक्त राशि के गैर प्रावधानीकरण के परिणामस्वरुप 29.95 करोड़ की प्रावधानों की न्यूनोक्ति तथा लाभ की अत्योक्ति हुई है।

2. आस्तियां

2.1 गैर–चालू आस्तियां

(क) स्थिर आस्तियां

मूर्त स्थिर आस्तियां (नोट क्रमांक – 8) – 8223.46 करोड़

उपर्युक्त को निम्नलिखित के अनुसार विभिन्न लाभ केन्द्रों में आस्तियां के गैर–पूंजीकरण के कारण 9.40 करोड़ रुपये से न्यूनोक्त किया गया है:–

(रु करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	राशि	मूल्यह्रास
क.	2007–08 से 2009–10 के दौरान पूंजीकृत की गई आस्तियों से संबंधित पूंजीकृत नही किए गए बकाया कार्य	5.48	0.60
ख.	27.03.2015 तथा 10.09.2014 को पूर्ण हुए एयर ट्रैफिक कन्ट्रोल तथा फायर स्टेशन का निर्माण और सिविल एन्कलेव में एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य का गैर पूंजीकरण	4.43	0.19
ग.	रनवे का गैर पूंजीकरण उदयपुर हवाईअड्डे पर रनवे के सुदृढ़ीकरण एवं सहबद्ध कार्यों को 15.05.2009 को पूरा किया गया।	1.29	1.01 (0.84+0.17)
	कुल	**11.20**	**1.80**

परिणाम स्वरूप, सी डब्यू 2015 आई पी को भी बढ़ा कर 11.20 करोड़ तथा लाभ को बढ़ा कर 1.80 करोड़ बताया गया।

(ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध) (टिप्पणी सं. 13) रु. 1482.91 करोड़

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40 ए (9) तथा धारा 36 की उप धारा (1) में यह शर्त है कि एक नियोक्ता के रूप में करदाता द्वारा किसी फंड ट्रस्टी, कंपनी, व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय, किसी उद्देश्य से पंजीकृत सोसाइटी जो कि अनुमोदित अथवा मान्यता प्राप्त नहीं है, की स्थापना या गठन के लिए या इसमें अंशदान के रूप में भुगतान की गई किसी राशि के संबंध में कोई कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन आस्थगित कर परिसम्पित्तियों की गणना करते समय रु. 618.46 करोड़ की अधिवर्षिता लाभ योजना संबंधी प्रावधान, जिसे अभी भी अनुमोदित किया जाना है, को भी शामिल किया गया था।

उपरोक्त तथ्य पर विचार करते हुए, आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं लाभ को रु. 210.21 करोड़ (618.46*33.99%) की सीमा तक बढ़ा कर बताया गया है ।

(ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम (टिप्पणी सं.–14) रु. 3387.47 करोड़

भा.वि.प्रा. की लेखाकरण नीति के अनुसार आय कर के लिए प्रावधान को आई टी ए टी (अपील) से अंतिम आदेश प्राप्त होने पर अग्रिम कर एवं टी डी एस के बदले समायोजित किया जाता है। प्राधिकरण ने संबंधित वर्ष के आय कर हेतु प्रावधान के लिए मूल्यांकन वर्ष 2010–11 तक अग्रिम कर एवं टी डी एस को समायोजित किया है। लेकिन प्राधिकरण ने मूल्यांकन वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक के लिए बहियों में दिख रहे टी डी एस बैलेंसों का समाधान नहीं किया है। इससे यह पता चलता है कि 31.3.2015 को विद्यमान टी डी एस बैलेंसों में मूल्यांकन वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक से संबंधित टी डी एस बैलेंस शामिल हैं जिसे बुक बैलेंस रु. 2983 करोड़ के लिए 2813.76 करोड़ की गणना की गई है। इस प्रकार रु. 169.24 करोड़ की राशि को समाधान के लिए छोड़ दिया गया है।

इस मामले को वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लेखापरीक्षा के दौरान भी उठाया गया था तब प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि शेष का समाधान किया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ख. लाभ और हानि का विवरण

1. व्यय रु. 6493.57 करोड़

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) गतिविधियों पर व्यय के लेखाकरण के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश टिप्पणी के अनुसार सी एस आर गतिविधियों संबंधी समस्त व्यय को अलग लाइन मद के रूप से जाना जाएगा। संगत टिप्पणी से सी लाभ एवं हानि विवरण में सी एस आर– व्यय को सी एस आर व्यय लाइन मद से शामिल व्ययों के विभिन्न शीर्ष के ब्रेक–अप को बताया जाना चाहिए। हालांकि सी एस आर पर व्यय को लाभ एवं हानि विवरण से एक अलग लाइन मद की रूटिंग करने के बजाय इसे लाभ के विनियोजन के तौर पर बताया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए व्यय की न्यूनोक्ति (अंडरस्टेटमेंट) एवं वर्ष के लिए लाभ की अत्युक्ति (ओरवस्टेटमेंट) 34.81 करोड़ होगी। सी एस आर व्यय के आवश्यक प्रकटन को नहीं बताया गया।

2. आय रु. 9284.98 करोड

उपरोक्त में 2014–15 वर्ष के लिए दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (डायल 1967.81 करोड) एवं मुम्बई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (मायल 929.31 करोड) से हवाई अड्डा पट्टा राजस्व शामिल है। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (डायल) एवं मुम्बई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (मायल) के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) द्वारा निष्पादित प्रचालन प्रबंधन एवं विकास करार के खंड 1.1 के अनुसार संयुक्त उद्यम कंपनियों को भा.वि.प्रा. के साथ पूर्व–लाभ सकल राजस्व (डायल – 45.00 प्रतिशत एवं मायल – 38.7 प्रतिशत) शेयर करना होता है। भा.वि.प्रा. के साथ शेयर किए जाने वाले शेयर विशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए ओमडा के खंड 11.2 के अनुसार डायल/मायल तथा भा.वि.प्रा. द्वारा एक स्वतंत्र राजस्व लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है जो इन संयुक्त उद्यम कंपनियों एवं भा.वि.प्रा. द्वारा शेयर किए जाने वाले राजस्व को प्रमाणित करता है।

2013–14 एवं जून 2014 तक वर्षों के लिए डायल की स्वतंत्र राजस्व लेखापरीक्षक रिपोर्ट में दिखाए अनुसार स्वतंत्र राजस्व लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार गैर–वैमानिक सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए गठित संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरण सत्यापित नहीं किए जा सके क्योंकि वित्तीय विवरण को उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्होनें यह भी बताया कि ना ही इन संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरण एवं ना ही संयुक्त उद्यम कंपनियों के लेखा पुस्तकों को उन्हें उपलब्ध कराया गया। रिकार्ड की समीक्षा करने से यह प्रकट होता है कि भा.वि.प्रा. संयुक्त उद्यम कंपनियों की लेखा पुस्तकों में बताए गए अर्जित हवाई अड्डा पट्टा राजस्व के लेखे के लिए राजस्व लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर पूर्ण रूप से निर्भर है। भा.वि.प्रा. हवाई अड्डा पट्टा राजस्व गणना की परिशुद्धता को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं करता है। साथ ही भा.वि.प्रा. द्वारा ओमडा के अनुसार इन संयुक्त उद्यम कंपनियों से डायल मायल द्वारा अर्जित राजस्व की परिशुद्धता एवं भा.वि.प्रा. को अंतरित राजस्व का शेयर के सत्यापन हेतु लेखापरीक्षक को कोई बेसिक रिकार्ड नहीं दिया जा सका। संगत रिकार्ड की अनुपस्थिति में लेखा पुस्तकों में दिखाए गए 2897.12 करोड का हवाई अड्डा पट्टा राजस्व की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी।

(i) उपरोक्त अनुच्छेदों में की गई अपनी टिप्पणियों के आधार पर हम यह रिपोर्ट देते हैं कि इस रिपोर्ट के माध्यम से बनाई गई बैलेंस शीट तथा लाभ–हानि लेखे, पुस्तकों के अनुरुप हैं।

(ii) हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत उक्त वित्तीय विवरण, ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मुद्दों तथा उनके लेखापरीक्षा के अनुबंध – 1 में उल्लिखित अन्य मुद्दों के मद्देनजर, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सही व उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

(क) जहां तक बैलेंस शीट का संबंध है, वह प्राधिकरण के 31 मार्च 2015 के क्रियाकलापों से संबधित है तथा

(ख) जहां तक लाभ–हानि लेखों का संबंध है वर्ष की समाप्ति की तारीख को प्राधिकरण का लाभ दर्शाता है।

Tanuja Mittal

(तनूजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यक लेखा परीक्षा तथा
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड –1,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 दिसम्बर, 2015

संलग्नक–1

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली

प्राधिकरण की आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में एक अलग आन्तरिक लेखा परीक्षा स्कंध द्वारा किया जाता है तथा विभिन्न क्षेत्रों/हवाई अड्डों पर लेखा परीक्षा हेतु आवश्यकता के आधार पर सनदी लेखाकारों की सेवाएं ली जाती हैं। हालांकि, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता एवं प्रभावी होने के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली कोई औपचारिक आश्वासन नहीं देता।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

लेखा परीक्षा के दौरान, परीक्षण जाँच में पाया गया कि :

- लेखा पुस्तिकाओं में राशियों की अनुचित बुकिंग
- पुराने चौक का अनुचित लेखा
- जीएल में ब्यौरे का न पाया जाना
- लेनदारियां कोड में देनदार शेष तथा परिसंपति कोड में लेनदार शेष दिखाया गया है
- बिना किसी स्पष्टीकरण एवं अनुमोदन के प्रविष्टियों का मल्टिपल उत्क्रमण
- असंबंधित लाभ सेंटर/गलत लेखा कोड में लेन–देन की बुकिंग
- एटीसी में 10 से 15 दिनों तक रुपये 18000/– से 39000/– लगभग की नकदी बिना प्रयोग की पड़ी हुई थी।
- कुछ बीजकों का लेखा नहीं किया गया था, कुछ स्टेशन पर किसी अनुदेश के जारी किए बिना 5000 से कम की परिसंपति भी पूंजीगत की गई।
- भूमि रिकार्ड का अनुचित रखरखाव अभी भी है इत्यादि।

यह आंतरिक लेखा नियंत्रण की कमजोरी को दिखाता है जिसे मजबूत करने की आवश्यकता है।

3. स्थिर आस्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

(i) विभिन्न हवाई अड्डों पर रिकार्ड की परीक्षण जाँच में पाया गया कि उत्तरी क्षेत्र के कुल हवाई अड्डों में से 20 प्रतिशत हवाई अड्डों पर प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) की गई थी जहाँ पीवीआर किया जाना बाकी था। अतः लेखा परीक्षा द्वारा सभी हवाई अड्डों पर परिसंपत्तियों की उपलब्धता सत्यापित नहीं की जा सकी। आगे, निगमित मुख्यालय की प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई।

(ii) भा.वि.प्रा. के बहियों में परिसंपत्तियाँ, जो डायल के पास है, के संबंध में प्रत्यक्ष सत्यापन यह बताता है कि परिसंपत्तियों के कुल 9248 लाइन मदों में से परिसंपत्तियों के 1221 लाइन मद पाए गए एवं टैग्ड किए गए। शेष स्थिर परिसंपत्तियों को नष्ट किया गया एवं इनका निपटान किया गया। हालांकि अभी भी इन परिसंपत्तियों को लेखा बहियों में बताया जा रहा है।

4. इंवेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

इंवेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन लेखापरीक्षा को नहीं उपलब्ध करवाया गया। अतः इस पर टिप्पणी नहीं किया जा सकी।

5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता

(i) फाइल की गई आय कर विवरणी के आधार पर स्वयं आकलन पर आधारित अग्रिम कर जमा राशि 301.85 करोड कर सहित आयकर के अनुसार 30.09.2015 जमा की गई।

(ii) 19.18 करोड के सेवा कर का भुगतान देय तिथि के बाद विलंब से किया गया तथा अप्रैल 14 से सितबंर 14 की तिमाही हेतु 1.96 करोड का जुर्माना ब्याज सेवा कर के विलंब भुगतान के कारण किया गया।

प्राधिकरण को इसके सांविधिक देयों के भुगतान में नियमित रहने की आवश्यकता है।

6. सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली

वर्ष 2014–15 हेतु वार्षिक लेखे को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान लेखा परीक्षा ने एस ए पी प्रणाली में निम्नलिखित कुछ विसंगतियां देखीः

1. नामे एवं जमा प्रविष्टियां 1 सहित प्रविष्ट की गई ताकि वह प्रविष्टि लाभ सेंटर को प्राप्त कर सके। यह एस ए पी में लाभ सेंटर को प्राप्त करने में अपेक्षित है। यह एस ए पी की कुछ फंक्शनल कमियों को दर्शाता है जिसको सही किया जाने की आवश्यकता है।
2. जैड – कोड जोकि भारी अपलोडिंग करने के लिए कस्टमाइज्ड किया गया है को व्यापक रूप से कुछ लेन–देन की अपलोडिंग करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है जो एस ए पी के इनबुल्ट जाँच से विचलन है।
3. एस ए पी में कस्टमाइजेशन में लेन–देन की असंबंधित लेखा कोड सं. में पोस्टिंग में आटो जाँच में कमियां हैं। जिसके कारण देयता कोड में डेबिट शेष रहता है तथा परिसंपति कोड में जमा शेष रहता है।
4. एसएपी के माध्यम से रिपोर्ट की उत्पति पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है तथा एसएपी के माध्यम से उत्पन्न रिपोर्ट प्रमाणित एवं विश्वसनीय नहीं है।
5. वर्ष 2014–15 हेतु वार्षिक लेखापरीक्षा के आधार पर, लेखापरीक्षा एस ए पी के पूर्ण आटोमेशन को प्रणामित नहीं कर पाया तथा कस्टमाइज्ड टी–कोड के माध्यम से एसएपी में मैनुअली हस्तक्षेप से इसमें कुछ संदेह है।
6. बेलेंस शीट एवं लाभ एवं हानि विवरण एसएपी से सीधे तौर पर जनरेट नहीं होती, यह एसएपी से जेनरेटिड लेजर बेलेंस के आधार पर मैनुअली तैयार की जाती है।

   अतः एसएपी आटोमेंशन में जांच एवं शेष को सही किए जाने की आवश्यकता है ताकि एसएपी प्रणाली में वित्तीय विवरण में सटीकता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।

सुनिल
15/12/15

चंडीगढ़ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

सेवा में,
सदस्यगण

आपके निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे पांचवी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

1. कंपनी के वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में कंपनी ने मुख्य गतिविधि अर्थात हवाईअड्डे का प्रचालन आरंभ नहीं किया। हालांकि, वर्ष के दौरान राजस्व व्यय के रु. 3,10,41,860/– करोड़ व्यय हुए जिसे पूर्व–ओपरेटिव व्यय में हस्तांतरित किया गया जिसे हवाईअड्डे के प्रचालन की तिथि से पाँच वित्तीय वर्षों की अवधि में समायोजित किया जाएगा।

2. 31.03.2015 को नवीन एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण की प्रगति

संयुक्त उद्यम के साथ एम ओ यू के अनुसार, मोहाली की ओर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण कर रहा है। नवीन एकीकृत टर्मिनल भवन तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 31.03.2015 तक कुल रु. 368.44 करोड़ व्यय किए। 11 सितंबर, 2015 को देश के माननीय प्रधानमंत्री ने एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया तथा 19 अक्टूबर, 2015 को यह प्रचालनात्मक हो जाएगा।

3. व्यवसाय की प्रवृत्ति में बदलाव–

कंपनी के व्यवसाय की प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आया।

4. वित्तीय विवरण की तिथि के बाद हुए कार्य

15 मई 2015 को परियोजना पूर्ण हुई। 11 सितंबर, 2015 को देश के माननीय प्रधानमंत्री ने एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया तथा 19 अक्टूबर, 2015 को यह प्रचालनात्मक हो जाएगा।

5. लाभांश

निदेशकों ने वित्तीय वर्ष में किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की क्योंकि अभी तक प्रचालन आरंभ नहीं हुआ तथा कोई व्यवसायिक लाभ नहीं हुआ।

6. रिजर्व

वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई राशि रिजर्व में हस्तांतरित नहीं की।

चंडीगढ़ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

7. शेयर पूंजी

31 मार्च 2015 को प्रदत्त पूंजी 10,00,00,000/– (रु. दस करोड मात्र) थी। कंपनी ने ना तो अवकल अधिकार वाले शेयर जारी किए न ही स्टाक विकल्प मंजूर किया और न ही स्वेट इक्विटी। तथापि, परियोजना के पूर्ण होने पर संयुक्त उद्यम भागीदार को इक्विटी शेयर जारी करने हेतु कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में रु. 20,00,00,000/– से रु. 12,00,00,000/– की वृद्धि हुई ।

8. निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के एम पी)

नियुक्ति

वर्ष के दौरान, 11.08.2014 से श्री विश्वजीत खन्ना, 23.01.2015 से श्री ब्रिजेन्द्र सिंह तथा श्री अवतार सिंह कंपनी के नामित निदेशक नियुक्त किए गए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के अनुसार, श्री सुनील दत्त तथा श्री जे.बी. सैनी को क्रमशः 14.11.2014 तथा 30.10.2014 से कंपनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया।

त्यागपत्र

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से 19.05.2014 से सेवानिवृत्त होने के कारण श्री एम.सी. किशोर ने कंपनी की निदेशक पद से त्याग–पत्र दिया।

11.08.2014 से श्री ए. वेणु प्रसाद, 23.01.2015 से श्री ए.के. सिंह तथा श्री आर. आर. जीवन ने कंपनी के नामित निदेशक के पद से त्याग–पत्र दिया।

बोर्ड ने इन सबको कार्यकाल के दौरान चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उनके द्वारा की गई सेवा एवं अमूल्य योगदान हेतु उनकी प्रशंसा की।

9. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा–

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 की धारा 149(4) तथा नियम 4 के तहत कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना अपेक्षित नहीं है। अतः कोई घोषणा करना अपेक्षित नहीं है।

10. कर्मचारियों का विवरण–

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) के नियम 5(2) के तहत किसी भी कर्मचारी ने सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

चंडीगढ़ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

11. बैठकें–

वर्ष के दौरान चार बोर्ड बैठकें आयोजित की गई तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित अवधि के भीतर बैठकों के आयोजन में होने वाला अंतर था।

12. संयुक्त उद्यम

वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई संयुक्त उद्यम करार नहीं किया।

13. लेखापरीक्षा

सरकारी कंपनी होने के नाते भारत के महालेखापरीक्षक (सी एवं ए जी) ने वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु मेसर्स सुभाष एवं एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेट, चंडीगढ़ को सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। सी एवं ए जी ने अपने पत्र सं. सीएः वी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार, सी आई ए एल (0)/1055 दिनांक 08.08.2014 के माध्यम से सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया। कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक को रु. 34,000/– प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा शुल्क दिया जा रहा है।

14. लेखापरीक्षा रिपोर्ट

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई अर्हता, सम्मति का विधारण अथवा अभियुक्तियां नहीं है। रिपोर्ट में लेखा तथा लेखापरीक्षा अभियुक्तियां स्वतः सिद्ध हैं तथा आगे की कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।

15. सी एवं ए जी रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर टिप्पणी भारत के महालेखापरीक्षक (सी एव ए जी) के पत्र सं. जी ए पी/सी एच आई ए एल/ए/सी एस/6–31/2014–15/452 दिनांक 22.09.2015 के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा सी एवं ए जी ने कोई टिप्पणी नहीं की है।

16. जोखिम प्रबंधन नीति

चूंकि, अभी प्रचालन आरंभ नहीं हुए है, ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई है।

17. वार्षिक विवरणी का उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुकरण तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन), नियम 2014 की अपेक्षाओं के अनुसार एम जी टी 9 में वार्षिक विवरणी का उद्धरण अनुलग्नक 1 में संलग्न है।

चंडीगढ़ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

18. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बदलाव तथा प्रतिबद्धताएं

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण बदलाव तथा प्रतिबद्धताएं नहीं हैं जो कि कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच उत्पन्न हुई हो, जो वित्तीय विवरण से रिपोर्ट की तिथि से संबंधित हो।

19. गोईंग कन्सर्न स्टेटस तथा भविष्य में कंपनी के प्रचालन को प्रभावित करने वाले विनियामक अथवा न्यायालय अथवा अधिकरण के महत्वपूर्ण–आदेशों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान गोईंग कन्सर्न स्टेट्स तथा भविष्य में कंपनी के प्रचालन को प्रभावित करने वाले विनियामक अथवा न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा जारी कोई महत्वपूर्ण आदेश नहीं है।

20. निवेशकों की शिक्षा तथा प्रोटेक्शन निधि में राशि का हस्तांतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधानों के अनुसार निवेशकों की शिक्षा तथा प्रोटेक्शन निधि में कोई धनराशि नहीं है।

21. जमा

कंपनी कोई सार्वजनिक जमा स्वीकृत नहीं करती तथा ऐसा होते हुए बैलेंस शीट की तिथि में मूल अथवा ब्याज के खाते में कोई राशि बकाया नहीं है।

22. धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई ऋण और गारंटी नहीं दिया है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 का अनुकरण करते हुए कोई निवेश नहीं किया है।

23. संबंधित पार्टियों से संविदा अथवा प्रबंध का विवरण

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के उप धारा (1) का अनुकरण करते हुए कंपनी ने संबंधित पार्टियों से कोई संविदा अथवा प्रबंध नहीं किया है।

24. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनी की बाध्यता

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु 9 दिसंबर, 2013 को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) के नाम से एक नया अधिनियम अधिसूचित हुआ था।

कार्यक्षेत्र पर किसी भी महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई हेतु प्रत्येक कंपनी द्वारा एक आंतरिक शिकायत समिति गठित किए जाने की आवश्यकता है।

25. ऊर्जा संरक्षण, तकनीक समावेश तथा विदेशी मुद्रा आय एवं व्ययः

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पढ़े गए कंपनी एक्ट 2013 के सैक्शन 134 (3) (एम) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, तकनीक समावेश तथा विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय की सूचना निम्नलिखित है :–

(क) ऊर्जा संरक्षण

कंपनी ने अपना संचालन अभी शुरू नहीं किया है, अतः लागू नहीं है।

(i)	ऊर्जा संरक्षण हेतु उठाए गए कदम या उस पर प्रभाव	लागू नहीं
(ii)	ऊर्जा वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग हेतु कंपनी ने क्या कदम उठाए	लागू नहीं
(iii)	ऊर्जा संरक्षण उपस्करों पर पूंजी निवेश	लागू नहीं

(ख) तकनीक समावेश

(i)	तकनीक समावेश हेतु किए गए प्रयास	लागू नहीं
(ii)	उठाए गए लाभ जैसे उत्पाद सुधार, खर्च में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन	लागू नहीं
(iii)	आयातित तकनीकी के मामले में (पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित, वित्तीय वर्ष के आरंभ से गिन जाए)	लागू नहीं
	(क) आयातित तकनीक का विवरण	लागू नहीं
	(ख) आयात का वर्ष	लागू नहीं
	(ग) क्या तकनीक पूरी तरह समावेशित की गई है	लागू नहीं
	(घ) यदि पूरी तरह समावेशित नहीं है तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पूरी तरह समावेशन नहीं हुआ है और उसके कारण।	लागू नहीं
(iv)	शोध एवं विकास में किया गया व्यय	लागू नहीं

चंडीगढ़ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

(ग) विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा की आय एवं व्यय निम्नलिखित है:–

विदेशी मुद्रा आय	शून्य
विदेशी मुद्रा व्यय	यू एस डालर +1725 रु. 1,09,855 / – टीए / डीए पर

26. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी एक्ट 2013 के सैक्सन 135 (1) में वार्जित प्रावधानों के अनुसार वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति लागू नहीं है।

27. निदेशक उत्तरदायित्व वक्तव्य

निदेशक उत्तरदायित्व वक्तव्य के संबंध में कंपनी एक्ट 2013 के सैक्शन 134 (3) (सी) के अनुक्रम में यह पुष्टि की जाती है कि –

(क) 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों को तैयार करते समय किसी भी मैटेरियल प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानदण्डों का पालन किया गया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों / अभ्यासों को चुना और निरंतर लागू किया और निर्णय व आंकलन किए जोकि तर्कसंगत व विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की वस्तुस्थिति का सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके तथा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी का लाभ प्रस्तुत किया जा सके।

(ग) निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को पहचानने व दूर करने के लिए कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत लेखा अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित एवं पर्याप्त इंतजाम किए हैं।

(घ) निदेशकों ने 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखे गोईंग कंसर्न आधार पर तैयार किए हैं और

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों विकसित की थी और ये प्रणालियां पर्याप्त की और प्रभावी रूप से कारगार थी।

चंडीगढ़ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

28. स्वीकृतियां

आपके निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन मंत्रालय, पंजाब व हरियाणा सरकार, वायु सेना, रक्षा मंत्रालय, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सरकार, अंशधारकों और बैंकरों को प्रति उनके अमूल्य समर्थन के लिए आधार और सराहना व्यक्त करते हैं और आने वाले दिनों में उनके निरंतर सहयोग की आशा करते हैं।

आपके निदेशक, कर्मचारियों और जिन्होंने भी दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन में मदद की है, उन सभी से प्राप्त समर्थन और सहयोग को स्वीकार करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

कृते चण्डीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड

अध्यक्ष,

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 28.09.2015

अनुलग्नक-I
फार्म सं. एम जी टी-9
वार्षिक विवरणी का उद्धरण
31-03-2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

[कंपनी एक्ट 2013 के सैक्शन 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 (1) के अनुवर्ती]

I. पंजीकरण व अन्य विवरण :

1.	सी आई एन	यू63013सीएच2010जीओ1031999
2.	पंजीकरण दिनांक	28/01/2010
3.	कंपनी का नाम	चण्डीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनी, संघ सरकार कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	कमरा नं-I, परियोजना कार्यालय बिल्डिंग भा वि प्रा सिविल एयरपोर्ट, चण्डीगढ़ -160003, दूरभाष नं. 0172-4665503
6.	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
7.	पंजीकरण व ट्रांसफर एजेंट, यदि हो, का नाम, पता व संपर्क विवरण	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यापारिक गतिविधि

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एन आई सी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर में %
1.	समर्पित एवं सहायक यातायात सेवाएं, ट्रैवल एजेन्सियां आदि	63	100%

III. होल्डिंग, सहायक एवं सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम व पता	पैन नंबर	सहायक/सहयोगी	शेयरों का %	लागू सैक्शन
1.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली	एएएसीए6412डी	होल्डिंग	51	2 (46)
2.	ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण पुडा भवन, सेक्टर 62 मोहाली	एएएएलजीओ872जी	सहायक	24.5	2 (6)
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सी -3, सेक्टर-6, पंचकुला	एएएएएच0087एम	सहायक	24.5	2 (6)

IV शेयर होल्डिंग पैटर्न (इक्वियटी शेयर पूंजी ब्रेकअप कुल इक्विरी के प्रतिशत के रूप में)

(i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या (31 मार्च 2014 को)				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या (31 मार्च 2015 को)				
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % बदलाव
क.प्रोमोटर्स									
(i) भारतीय									
क) व्यक्ति/एचयूएफ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) केन्द्रीय सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) राज्य सरकार (रें)	शून्य	49,00,000	49	शून्य	शून्य	49,00,000	49,00,000	49	शून्य
घ) निकाय निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड) बैंक वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) कोई अन्य-पीएसयू	शून्य	51,00,000	51,00,000	51,00,000	शून्य	51,00,000	51,00,000	51	शून्य
छ) उप योग क (1)	शून्य	100,00,000	100,00,000	100	शून्य	100,00,000	100,00,000	100	शून्य
(2) विदेशी									
क) एनआरआई-व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) अन्य व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) निकाय निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड) अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) उप योग क (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रोमोटरों की कुल शेयर होल्डिंग क (1+2)	शून्य	100,00,000	100,00,000	100	शून्य	100,00,000	100,00,000	100	शून्य

ख. सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग									
1 संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) केन्द्रीय सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) राज्य सरकार (रें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड़) वेन्चर कैपीटल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) बीमा कंपनियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
छ) एफ आई आई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ज)विदेशी वेन्चर कैपिटल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
झ) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप योग ख (1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2. गैर-संस्थान									
क) निकाय निगम									
(i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i) व्यक्तिगत शेयरधारक जिनके पास रू.1 लाख तक की नामिनल शेयर कैपिटल है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) व्यक्तिगत शेयरधारक जिनके पास रू.1 लाख से अधिक नामिनल शेयर कैपिटल है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप योग ख (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयर होल्डिंग (1+2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. संरक्षक द्वारा जीडीआर व एडीआर के लिए धारित शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सकल योग (क+ख+ग)	शून्य		100,00,000	100	शून्य	100,00,000	100,00,000	100	शून्य

(ii) प्रोमोटरों की शेयर होल्डिंग

क्र.सं.	शेयर धारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में % बदलाव
		शेयार की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का	कुल शेयरों के भारग्रस्त शेयरों का	शेयार की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का	कुल शेयरों के भारग्रस्त शेयरों का	
1.	भारतीय विमानपततन प्राधिकरण	51,00,000	100	51	51,00,000	100	51	कोई बदलाव नहीं
2.	ग्रेटर मोहली क्षेत्र विकास प्राधिकरण	24,50,000	100	24.5	24,50,000	100	24.5	कोई बदलाव नहीं
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	24,50,000	100	24.5	24,50,000	100	24.5	कोई बदलाव नहीं

(iii) प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग में बदलाव (यदि कोई बदलाव नहीं है तो कृपया उल्लेख करें)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में				
	प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग में दिनांक वार वृद्धि/घटत जिसमें वृद्धि /घटत के कारणों का उल्लेख हो (उदा.आबंटन/ स्थानांतरण/बोनस/स्वैट इक्विटी आदि)	कोई बदलाव नहीं			
	वर्ष के अंत में				

(iv) टॉप टेन शेयरधारकों को शेयर होल्डिग पैटर्न:(निदेशकों, प्रोमोटरों और जीडीआर होलडर्स के अतिरिक्त) :

क्र.सं.	प्रत्येक टॉप टेन शेयर धारकों के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संबंधी शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में				
	प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग में दिनांक वार वृद्धि/घटत जिसमें वृद्धि /घटत के कारणों का उल्लेख हो (उदा.आबंटन / स्थानांतरण/बोनस/स्वैट इक्विटी आदि)	शून्य			
	वर्ष के अंत में				

(v) निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरहोल्डिंग :-

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशक व प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरहोल्डिंग	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में				
	प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग में दिनांक वार वृद्धि/घटत जिसमें वृद्धि /घटत के कारणों का उल्लेख हो (उदा.आबंटन/ स्थानांतरण/बोनस/स्वैट इक्विटी आदि)	शून्य			
	वर्ष के अंत में				

V) ऋणग्रस्तता

बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान हेतु अदेय ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	शून्य			
ii) ब्याज देय परन्तु भुगतान नहीं किया गया				
iii) ब्याज उपर्जित परन्तु अदेय				
कुल (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव				
* जोड				
* कमी				
शुद्ध बदलाव				
वित्त वर्ष की समाप्ति पर ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन				
ii) ब्याज देय परन्तु भुगतान नहीं किया गया				
iii) ब्याज उपार्जित परन्तु अदेय				
कुल (i+ii+iii)				

VI) निदेशकों व प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्ण-कालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र.सं.	परिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		------	---	----	---	
1	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 17 (1) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार वेतन					
	((ख) आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य					
	(ग)आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ					
2	स्टॉक विकल्प					
3	स्वेट इक्विटी					
4	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें					
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें					
	कुल (क)					
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग					

(ख) अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम	कुल राशि
		शून्य	
1	गैर-कार्यपालक निदेशक		
	बोर्ड/कमेटी बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क		
	कमीशन		
	अन्य, कृपया उल्लेख करें		
	कुल		
	अधिनियम के अनुसार कुल सीलिंग		

(ख) एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यू टी डी/के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ (14-11-2014-31-03-2015)	सीएफओ (30-10-014-31-03-2015)	सीएस	कुल
1	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 17 (1) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वेतन	7,83,441	7,23,971	शून्य	15,07,412
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	2,61,147	2,41,324	शून्य	5,02,471
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	स्टाक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	स्वैट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- लाभ के % के रूप में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- अन्य, उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	10,44,588	9,65,295	शून्य	20,09,883

VII जुर्माना/दण्ड/अपराधों की कंपाउंडिंग :

प्रकार	कंपनी एक्ट का सेक्शन	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/दण्ड/कंपाउंडिंग शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/ न्यायालय)	यदि कोई अपील की गई है (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना	शून्य				
दण्ड					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक					
जुर्माना	शून्य				
दण्ड					
कंपाउंडिंग					

ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी	
जुर्माना	शून्य
दण्ड	
कंपाउंडिंग	

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
I.	**इक्विटी एवं देयताएं**			
1	**शेयर धारक निधि**			
(क)	शेयर पूंजी			
(ख)	रिजर्व एवं अधिशेष	2	1000,00,000	1000,00,000
(ग)	शेयर वारंटी के विरूद्ध प्राप्त धन	3	91,62,734	42,93,415
(2)	**शेयर अनुप्रयोग धन जिसका आबंटन लंबित है**			
(3)	**वर्तमान से भिन्न देयताएं**			
(क)	दीर्घ अवधि के ऋण			
(ख)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)			
(ग)	दीर्घ अवधि की अन्य देयताएं			
(घ)	दीर्घ अवधि के प्रावधान			
(4)	**वर्तमान देयताएं**			
(क)	अल्प अवधि के ऋण			
(ख)	व्यापार संदेय	4	30,75,006	39,173
(ग)	अन्य वर्तमान देयताएं	5	21,77,452	19,19,920
(घ)	अल्प अवधि के प्रावधान			
	कुल		**1144,15,192**	**1062,52,508**
II.	**परिसम्पत्तियां**			
(1)	**वर्तमान से भिन्न परिसम्पत्तियां**			
(क)	अचल परिसम्पत्तियां			
	(i) मूर्त परिसम्पत्तियां	6	4,75,253	1,28,279
	(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियां			
	(iii) चल रहे पूंजी कार्य			
	(iv) विकास के अधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां			
(ख)	वर्तमान से भिन्न निवेश			
(ग)	आस्थगित कर परिसम्पित्तियां (निवल)			
(घ)	दीर्घ अवधि के ऋण एवं अग्रिम			
(ङ)	वर्तमान से भिन्न अन्य परिसंपत्तियां	7	310,41,860	18,78,222
(2)	**वर्तमान परिसंपत्तियां**			
(क)	वर्तमान निवेश			
(ख)	इंवेंटरी			
(ग)	प्राप्यी व्यापार			
(घ)	नकद एवं नकद समतुल्य	8	736,77,820	1002,91,524
(ङ)	अल्प अवधि के ऋण एवं अग्रिम	9	73,89,738	39,54,483
(च)	अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	10	18,30,521	
	कुल		**1144,15,192**	**1062,52,508**

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तथा लेखा टिप्पिणियां तुलन पत्र के अभिन्न अंग हैं

कृते सुभाष एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ता/–
(सी ए सुभाष बंसल)
मालिक
सदस्यता संख्या : 017035
पंजीकरण संख्या : 00825 एन
स्थान : चंड़ीगढ़
तारीख : 27.7.2015

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(अवनीत कौर)	(जे.बी. सैनी)	(एस.सुरेश)	(एस. रहेजा)
कंपनी सचिव	सी एफ ओ	निदेशक	अध्यक्ष

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
I.	प्रचालनों से राजस्व			
II.	अन्य आय		70,46,771	62,13,335
	III. कुल राजस्व (I + II)		**70,46,771**	**62,13,335**
IV.	व्यय:			
	उपभोग की गई सामग्रियों की लागत			
	प्रशासनिक / स्थापना खर्च			—
	स्टाक इन ट्रेड का क्रय		–	–
	समाप्तन माल की इंवेंटरी में परिवर्तन, चल रहे कार्य तथा स्टाक इन ट्रेड		–	–
	कर्मचारी लाभ व्यय		–	–
	वित्तीय लागतें		–	–
	मूल्यी ह्रास एवं परिशोधन व्यय		–	–
	अन्य व्यय		–	–
	कुल व्याय		–	–
V.	आपवादिक एवं असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ / (हानि) (III & IV)		70,46,771	62,13,335
VI.	आपवादिक मदें			
VII.	असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ / (हानि)	(V - VI)	70,46,771	62,13,335
VIII.	असाधारण मदें			
IX.	**कर पूर्व लाभ / (हानि) (VII & VIII)**		**70,46,771**	**62,13,335**
X.	कर व्यय रू			
	(1) वर्तमान कर		21,77,452	19,19,920
	(2) आस्थगित कर		–	–
XI.	सतत प्रचालन की अवधि के लिए लाभ / (हानि)	(VII - III)	48,69,319	42,93,415
XII.	अनित्य प्रचालन से लाभ / (हानि)			
XIII.	डिस्काउंटिंग आपरेशन का कर व्यटय			
XIV.	डिस्काउंटिंग आपरेशन से लाभ / (हानि)	(XII - XIII)		
XV.	**अवधि के लिए लाभ / (हानि)**	**(XI - XIV)**	**48,69,319**	**42,93,415**
XVI.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन :			
	1. बेसिक		–	–
	2. डायल्युटिड		–	–

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तथा लेखा टिप्पणियां तुलन पत्र के अभिन्न अंग हैं

कृते सुभाष एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ता / –
(सी ए सुभाष बंसल)
मालिक
सदस्यता संख्या : 017035
पंजीकरण संख्या : 00825 एन
स्थान : चंड़ीगढ़
तारीख : 27.7.2015

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता / –	हस्ता / –	हस्ता / –	हस्ता / –
(अवनीत कौर)	(जे.बी. सैनी)	(एस.सुरेश)	(एस. रहेजा)
कंपनी सचिव	सी एफ ओ	निदेशक	अध्यक्ष

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014
प्रचालन की गतिविधियों से नकद प्रवाह	–	–
कर पश्चात लाभ	–	–
अन्य बैंक ब्याज आय	**48,69,319**	**42,93,415**
प्रचालन की गतिविधियों से उपलब्ध नकद में कर पूर्व लाभ को समायोजित करने के लिए समायोजन	–	–
जोड़ें :		
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	–	–
मूल्य ह्रास	–	–
आयकर के लिए प्रावधान	21,77,452	19,19,920
सम्पत्ति कर के लिए प्रावधान	–	–
ब्याज भुगतान	–	–
आस्थगित कर	–	–
उप जोड़	**70,46,771**	**62,13,335**
घटाएं :		
विविध आय – परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		
उप जोड़	शून्य	शून्य
समायोजन के बाद किंतु आयकर एवं वर्तमान परिसंपत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पूर्व लाभ	–	–
असाधारण मदों के लिए समायोजन		
पिछली अवधि की आय	–	–
वर्तमान परिसंपत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन	–	–
इंवेंटरी	–	–
फुटकर ऋण	–	–
अल्प अवधि अग्रिम	(34,35,255)	–
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	(18,30,521)	(26,52,483)
अन्य गैर–चालू परिसम्पतियाँ	(291,63,638)	(2,65,881)
वर्तमान देयताए एवं प्रावधान	27,38,364	(47,645)
समायोजन के बाद किंतु आयकर से पूर्व लाभ	**(246,44,279)**	**32,47,326**
वर्ष के दौरान संदत्त. कर		
आयकर	**(14,80,000)**	**(13,02,000)**
आयकर के समायोजन के बाद नकद प्रवाह	**शून्य**	**शून्य**
प्रचालन की गतिविधियों से सृजित निवल नकद	**(261,24,279)**	**19,45,326**
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह	–	–
शेयर पूंजी एवं शेयर प्रीमियम	–	–
सुरक्षित ऋण जुटाना	–	–
असुरक्षित ऋण जुटाना	–	–
सुरक्षित ऋणों का भुगतान	–	–
शेयर पूंजी	–	–
ब्याज भुगतान	–	–
संदत्त लाभांश	–	–
संदत्त लाभांश कर	–	–
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद	शून्य	
निवेश की गतिविधियों से नकद प्रवाह	–	–
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(4,89,425)	(1,48,743)
निवेश	–	–
चल रहे पूंजी कार्य	–	–
अचल परिसंपत्तियों के निस्तारण से आय	–	–
निवेश की गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद	(4,89,425)	(1,48,743)
वर्ष के दौरान नकद एवं नकद समतुल्य में निवल (कमी) / वृद्धि (एबीसी)	**(266,13,704)**	**17,96,583**
बैंक का प्रारंभिक शेष	**1002,91,524**	**984,94,941**
बैंक का अंत शेष	**736,77,820**	**1002,91,524**

कृते सुभाष एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ता/–
(सी ए सुभाष बंसल)
मालिक
सदस्यता संख्या : 017035
पंजीकरण संख्या : 00825 एन
स्थान : चंड़ीगढ़
तारीख : 27.7.2015

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(अवनीत कौर)	(जे.बी. सैनी)	(एस.सुरेश)	(एस. रहेजा)
कंपनी सचिव	सी एफ ओ	निदेशक	अध्यक्ष

टिप्पणी 01

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 की अवधि के लिए

भाग 1 लेखाकरण की महत्वपूर्ण नीतियां

कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखाकरण की महत्वपूर्ण नीतियां इस प्रकार हैं :–

1. लेखाकरण का आधार

वास्तविक आधार पर मान्य किए गए राजस्व तथा हिसाब में लिए गए व्यय के साथ सतत् सरोकार के आधार पर लेखा तैयार किया गया है।

2. अचल परिसंपत्तियां

(i) अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण, अधिष्ठापन तथा प्रचालन से संबंधित लागत, जिसमें अन्य व्यय भी शामिल हैं, पर व्यक्त किया जाता है।

(ii) कंपनी की पूंजीकरण नीति के अनुसार पूंजीकरण किया जाता है।

(iii) ऐसी सभी परियोजनाओं को परियोजना के पूरा होने की तारीख से तीन माह बाद पूंजीकृत किया जाता है जिन्हें पूरा किया गया है किंतु प्रयोग में नहीं लिया जा सका है।

(iv) कार्यों/परियोजनाओं के आंशिक रूप से पूरा होने तथा प्रयोग में लाये जाने को तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

(v) ऐसे व्यय को राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है जिन्हे कंपनी की परिसंपत्तियों द्वारा नहीं दर्शाया जाता है।

(vi) परित्यक्त निर्माण कार्यों के मामले में परियोजना पूर्व व्यय तथा समय से पहले बंद एवं परित्यक्तो निर्माण कार्यों के लिए किए गए व्यय को राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

(vii) जिन अचल परिसंपत्तियों का पूरी तरह से मूल्य ह्रास हो गया है उन्हें 1 रुपये के अवशिष्ट मूल्य पर दर्शाया जाता है।

(viii) राज्य सरकार से मुफ्त में अधिग्रहित किसी गैर मौद्रिक परिसंपत्ति को प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्ति के लिए 1 रुपये के मामूली मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

(ix) जब भी भूमि बेची जाती है/हस्तांतरित की जाती है/निस्तारित की जाती है तथा ऐसी भूमि का विशिष्ट मूल्य उपलब्ध नहीं होता है, तो ऐसे मामलों को छोड़कर जहां इसे मुफ्त में अधिग्रहित किया जाता है, अधिग्रहण की औसत लागत पर इसका मूल्यांकन किया जाता है।

(x) पूंजी परियोजनाओं का काम देखने वाले अनन्य परियोजना प्रभाग के प्रत्यपक्ष राजस्व व्यय को निर्माण कार्य पूरा होने की लागत के साथ पूंजीकृत किया जाता है।

(xi) अमूर्त परिसंपत्तियों जैसे कि साफ्टवेयर जिनसे भविष्य में स्थाई आर्थिक लाभ प्रदान करने की उम्मीद होती है, को 5 वर्ष की अवधि में पूंजीकृत किया जाता है तथा परिशोधित किया जाता है।

3. निवेश

दीर्घ अवधि के निवेशों को लागत पर व्यक्त किया जाता है।

4. मूल्य ह्रास

(i) कम्पनी अधिनियम 2013 के अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची II में उल्लिखित दर से परिसंपत्तियों की पूरी अवधि के उपयोग पर स्ट्रेटलाइन मेथड पर मूल्य ह्रास प्रदान किया जाता है।

(ii) वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल परिसंपत्तियों में अभिवृद्धि पर मूल्यह्रास को पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया जाता है।

(iii) अचल परिसंपत्ति के निस्तारण के वर्ष में कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

(iv) ऐसी परिसंपत्तियां जिनकी वास्त्विक लागत रुपए 5000 से अधिक नही है का मूल्यह्रास 100% की दर से किया गया है।

5. ऋणी

सरकारी विभागों के अतिरिक्त अन्य पक्षकारों से वसूली के योग्य 2 साल से अधिक पुराने ऋण को संदिग्ध माना गया है तथा इसके लिए प्रावधान किया गया है। जिन मामलों में इन्हें पंचाट/मुकदमेबाजी को संदर्भित किया गया है/विवादित हैं, लेखाओं में इस बात पर ध्यान दिए बगैर आवश्यक प्रावधान किया जाता है कि ऋण की अवधि कितनी है। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करते समय उपलब्ध प्रतिभूति जमा पर विचार नहीं किया गया है।

6. स्टोर/स्पेयर

(i) वर्ष के दौरान उपभोग किए गए स्टाक/स्पेयर को राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

(ii) वर्ष के स्टाक (ऐसे स्टोर/स्पेयर को छोड़कर जिनकी यूनिट लागत 5000 रुपये या इससे कम होती है) को प्राप्त की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए एफ आई एफ ओ आधार पर लागत कीमत पर मूल्यांकित किया गया है। इसके पश्चात मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :–

6वां वर्ष	–	लागत का 70 प्रतिशत
7वां वर्ष	–	लागत का 40 प्रतिशत
8वां वर्ष तथा इससे आगे	–	लागत का 10 प्रतिशत

(iii) स्टोर/स्पेयर के जिस स्टाक का उपभोग नहीं होता है उसे लागत के 10 प्रतिशत पर मूल्यांकित किया जाता है।

7. अनुदान एवं सब्सिडी

सरकार द्वारा अनुमोदित करारों के अंतर्गत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सरकारी एवं विदेशी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी को कैपिटल रिजर्व प्रपोर्सनेट के रूप में माना जाता है। मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के लिए प्राप्त अनुदान की राशि पर मूल्यह्रास को ऐसी परिसम्पतियों के उपयोगी कार्यकाल में आय के रूप में मान्य किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में लेनदेन

(i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन को लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर लेखाकृत किया जाता है।

(ii) तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों एवं ऋणों / देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर दर्शाया गया है, केवल विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता में शेष को छोड़कर जिसे ऐसे खाते के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से लेखाकृत किया जाता है।

9. राजस्व की मान्यता

(i) राजस्व को मान्य किया जाता है क्योंकि सेवाएं प्रादेभवन आधार पर प्रदान की जाती हैं तथा यह निवल सेवाकर होता है।

(ii) बिल उस समय तथा इस सीमा तक तैयार किए जाते हैं कि इसकी मापेयता एवं अंतिम वसूली को लेकर कोई महत्वपूर्ण अनिश्चतता नहीं होती है।

10.आयकर

आयकर के प्रावधान को आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के आधार पर अग्रिम कर के अनुसार समायोजित किया जाता है।

11.आस्थगित कर

बही एवं कर योग्य लाभ के बीच 'समय संबंधी अंतर' से उत्पन्न आस्थगित कर को कर की ऐसी दरों एवं कानूनों का प्रयोग करके लेखाकृत किया जाता है जिन्हें तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित किया गया है या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर की परिसंपत्ति को मान्य किया जाता है तथा केवल उस हद तक अग्रनीत किया जाता है जिस हद तक इस बारे में तर्कसंगत निश्चितता होती है कि भविष्य में परिसंपत्ति को वसूला जाएगा।

12.परिसंपत्तियों का ह्रास

यह देखने के लिए प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है कि क्या आंतरिक / बाह्य कारकों के आधार पर पंगुता का कोई संकेत है। पंगुता क्षति को वहां मान्य किया जाता है जहां किसी परिसंपत्ति की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

13.कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित कार्यरत कर्मचारियों के लिए उपदान, अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन छुट्टी, चिकित्सा लाभ तथा निपटान लाभ का प्रावधान प्रोद्भवन मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। चूंकि कंपनी ने प्रचालन आरंभ नहीं किया है अतः कंपनी की लेखा पुस्तकों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

14.अन्य

(i) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित विशिष्ट रिजर्व संबंधी दिशा निर्देशों के उपयोग के अनुसार विशिष्ट रिजर्व का उपयोग किया जाता है।

(ii) 3 साल से अधिक पुराने तथा दावा न किए गए ई एम डी / प्रतिभूति जमा को विविध आय के रूप में माना जाता है।

लेखा के भाग के रूप में टिप्पणियां

12. चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सी एच आई ए एल) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जी एम ए डी ए के माध्यम से पंजाब सरकार और हुडा के माध्यम से हरियाणा सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है जिनकी इस कंपनी में कुल शेयर होल्डिंग 51.00: 24.50: 24.50 के अनुपात में है।

13. संयुक्त उद्यम करार के अनुसार जी एम ए डी ए के माध्यम से पंजाब सरकार ने संयुक्त उद्यम कंपनी को 300 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है।

14. संयुक्त उद्यम करार के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मोहाली की तरफ में नव अधिग्रहित भूमि पर सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक नये एकीकृत यात्री टर्मिनल का निर्माण कर रहा है। इस कार्य का ठेका जुलाई 2012 में दिया गया तथा नया टर्मिनल भवन, एप्रन, लिंक टैक्सीवे आदि से युक्त संपूर्ण आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कार्य पूरा होने की निर्धारित तारीख जून, 2015 है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 452 करोड़ रुपये है जिसमें चारदीवारी की लागत शामिल नहीं है। इस परियोजना में चारदीवारी की लागत (लगभग 2.16 करोड़ रुपए) समेत अवसंरचना की लागत को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इक्विटी में गिना जाएगा जबकि भूमि की लागत लगभग 460.88 करोड़ रुपए को इस परियोजना में जी एम डी ए और हुडा की इक्विटी में गिना जाएगा।

    कंपनी की बोर्ड बैठकों में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के निदेशक मंडल को परियोजना की प्रगति के बारे में अवगत कराया जाता है।

15. जैसा कि कंपनी ने व्यवसाय आरंभ नहीं किया है अतः वर्ष के दौरान किए गए राजस्व खर्चों को पूर्व प्रचालन खर्चे में अंतरित किया गया है जिसे हवाई अडडे के आरंभ होने के पांच वर्षों मे परिशोधन किया जाएगा।

16. जैसा कि कंपनी ने व्यवसाय आरंभ नहीं किया है अतः पाइंट सं. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 एवं 14 वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान लागू नहीं होते है।

17. प्रतिबद्धता : पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदा की अनुमानित राशि शून्य है।

कृते सुभाष एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ता/–
(सी ए सुभाष बंसल)
मालिक
सदस्यता संख्या : 017035
पंजीकरण संख्या : 00825 एन

स्थान : चंड़ीगढ़
तारीख : 27.7.2015

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(अवनीत कौर)	(जे.बी. सैनी)	(एस.सुरेश)	(एस. रहेजा)
कंपनी सचिव	सी एफ ओ	निदेशक	अध्यक्ष

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के अंग के रूप में टिप्पणियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार राशि	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार राशि
टिप्पणी संख्या 2 : शेयर पूंजी		
(क) अधिकृत शेयर पूंजी		
120,00,00,000 10 रूपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर	1200,00,00,000	1200,00,00,000
(ख) सब्सक्राइब किए गए इश्यू तथा संदत्त शेयर पूंजी		
1,00,00,000 (पिछले वर्ष- 1,00,00,000) 10 रूपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर	10,00,00,000	10,00,00,000
कुल	**10,00,00,000**	**10,00,00,000**
(ग) प्रति शेयर समकक्ष मूल्य	**10**	**10**
(घ) बकाया शेयरों का सामंजस्य		
ओपनिंग	0	0
निर्गत एवं आबंटित	0	0
क्लोजिंग	0	0
(ङ) लाभांश का वितरण तथा पूंजी की पुन: अदायगी सहित कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है		
(च) होल्डिंग कंपनियों आदि द्वारा धारित शेयर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)	5,10,00,000	5,10,00,000
(छ) 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों की सूची		
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई)	5,10,00,000	5,10,00,000
ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलेपमैंट अथारिटी (जी एम ए डी ए)	**2,45,00,000**	**2,45,00,000**
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा)	**2,45,00,000**	**2,45,00,000**
(ज) आप्शन/तथा संविदा शेयरों की ब्रिक्री/विनिवेश के लिए प्रतिबद्धता के अंतर्गत इश्यू के लिए आरक्षित शेयर		
(झ) तुलन पत्र की तारीख से ठीक पहले की 5 वर्ष की अवधि के लिए		
(क)* नकद में भुगतान की प्राप्ति के बिना संविदा के अनुसरण में पूर्णत: संदत्त के रूप में आबंटित शेयर	**शून्य**	**शून्य**

* पूर्णत: संदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित शेयर : 2009-10	-	-
* पूर्णत: संदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित शेयर : 2010-11	-	-
* पूर्णत: संदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित शेयर : 2011-12	-	-
* पूर्णत: संदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित शेयर : 2012-13	-	-
* पूर्णत: संदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित शेयर : 2013-14 * पूर्णत: संदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित शेयर: 2014-15	-	-
* वापस खरीदे गए शेयर	शून्य	शून्य
(त्र) इक्विटी / तरजीही शेयरों में परिवर्तनीय कोई प्रतिभूति नहीं है	शून्य	शून्य
(ट) असंदत्त काल्स	शून्य	शून्य
(ड) जब्त शेयर (राशि मूल रुप से चुकता)	शून्य	शून्य

टिप्पणी सं.3:- रिजर्व एवं अधिशेष		
प्रारम्भिक शेष	4,293,415	
I. अन्य सोतों से राजस्व		
II. जमा-अन्य आय	4,869,319	4,293,415
III. कुल राजस्व (I+II)	9,162,734	4,293,415
टिप्पणी सं.4:- अन्य वर्तमान देयताएँ		
I. उत्पाद शुल्क एवं कर (टी डी एस)	34,155	
II. नित्यानंद सिंह एंड कंपनी को संदेय व्यावसायिक प्रभार	36,008	12,283
III. सांविधिक लेखा परीक्षकों को संदेय लेखा परीक्षा शुल्क	56,790	25,590
IV. संदेय टेलीफोन बिल	36,237	1,300
V. प्रशासनिक खर्चे	23,495	
VI. विज्ञापन एवं प्रचार खर्च	378,750	
VII. हाउकीपिंग खर्च	5,944	
VIII. मनोरंजन खर्च	18,292	
IX. वाहन किराए पर लेने संबंधी खर्च	113,816	
X. चिकित्सा खर्चे	16,280	
XI. समाचार पत्र खर्चे	1,417	
XII. कार्यालय खर्चे	2,500	
XIII. मुद्रण एवं लेखन सामग्री खर्च	15,571	
XIV. मरम्मत एवं अनुरक्षण खर्च	33,788	
XV. यात्रा एवं परिवहन	124,342	
XVI. भाविप्रा चंडीगढ कर्मचारी लागत	2,158,039	
XVII. कर्मचारी कल्याण खर्च	19,582	
कुल	3,075,006	39,173

टिप्पणी सं. 6:- अचल परिसम्पत्तियाँ											
परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवन के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड पर मूर्त परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास उपलब्ध कराया जाता है।											
कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार परिसम्पत्तियों के संशोधित उपयोगी जीवन का ब्यौरा निम्नलिखित है											
परिसम्पत्तियों की श्रेणी						उपयोगी जीवन (वर्ष)			मूल्य हास की दर %		
फर्नीचर एवं फिटिंग्स						10 वर्ष			10		
कम्प्यूटर, डेस्कटॉप एवं लैपटाप इत्यादि						03 वर्ष			33.33		
विद्युत संबंधी संस्थापन एवं उपकरण						10 वर्ष			10		
		सकल ब्लाक					मूल्य हास			शुद्ध ब्लाक	
मूल्यहास की दर		01.04.2014 को	वर्ष के दौरान खरीद टी आर एफ	वर्ष के दौरान बिक्री	31.03.2015 को	01.04.2014 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान समायोजित	31.03.2015 तक पूरा	31.03.2015 को	31.03.2015 को
फर्निचर एवं फिक्स्चर	10%	91,343	12,104		103,447	9,144	9,776		18,920	84,527	82,199
कम्प्यूटर/ लैपटॉप/ प्रिंटर्स	33.33%	57,400	296,501		353,901	11,320	115,497		126,817	227,084	46,080
विद्युत उपकरण	10%		180,820		180,820		17,178		17,178	163,642	
कुल		148743	489425	0	638168	20464	142451		162915	475253	128279

विद्यमान परिसम्पत्तियों के लिए मूल्यहास की गणना								
अचल परिसम्पत्तियाँ	मूल्यहास की दर	वास्तविक लागत	समाप्त जीवन	समाप्त जीवन के लिए संचित मूल्यहास	कैरिंग राशि	शेष उपयोगी जीवन	परिसम्पत्तियों की लागत के 5 % की दर से अवशिष्ट मूल्य	14-15 के लिए मूल्यहास
फर्निचर एवं फिक्स्चर	10%	91,343	1 वर्ष	9144	82199	9 वर्ष	4567	8626
कम्प्यूटर/ लैपटॉप/ प्रिंटर्स	33.33%	57,400	1 वर्ष	11320	46080	2 वर्ष	2870	21605
कुल		148743		20464				30231

वर्ष के दौरान जमा पर मूल्यहास की गणना								
अचल परिसम्पत्तियाँ	मूल्यहास की दर	14-15 के दौरान जमा	परिसम्पत्तियों का उपयोगी जीवन (वर्षों में)				परिसम्पत्तियों की लागत के 5 % की दर से अवशिष्ट मूल्य	14-15 के लिए मूल्यहास
फर्निचर एवं फिक्स्चर	10%	12104	10				605	1150
कम्प्यूटर/ लैपटॉप/ प्रिंटर्स	33.33%	296501	3				14825	93892
विद्युत उपकरण	10%	180820	10				9041	17178
कुल		489425						112,220

टिप्पणी सं.7:– अन्य गैर वर्तमान परिसम्पत्तियाँ (प्रचालन पूर्व खर्चे)		
प्रारम्भिक खर्चे (प्रारम्भिक शेष)	1,395,236	1,395,236
प्रचालन पूर्व खर्चे (प्रारम्भिक शेष)	482,986	
I. सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	34,200	95,506
II. बैंक प्रभार	234	550
III. प्रशासनिक खर्चे	91,337	
IV. व्यावसायिक प्रभार	425,743	303,368
V. यात्रा खर्चे	516,467	2,915
VI. आर ओ सी फाइलिंग शुल्क	23,388,200	26,300
VII. दूरभाष एव इंटरनेट खर्च	88,715	10,611
VIII. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	41,133	3,095
IX. होटल एवं बोर्डिंग	4,379	
X. मनोरंजन खर्च	45,686	1,325
XI. मूल्यह्रास	142,451	20,464
XII. बोर्ड बैठक व्यय	35,622	11,261
XIII. समाचार पत्र, पत्रिकाएँ एवं पुस्तकें	3,797	–
XIV. हाउस कीपिंग प्रभार	16,202	–
XV. विद्युत प्रभार	11,741	–
XVI. वाहन किराए पर लेने संबंधी खर्चे	502,681	–
XVII. बीमा खर्चे	398	–
XVIII. लीज किराया (कार्यालय का स्थान)	905,244	–
XIX. लीज किराया (रिहायशी आवास)	140,000	–
XX. चिकित्सा खर्चे	367,080	–
XXI. पोस्टेज एवं कुरियर खर्चे	1,035	–
XXII. मरम्मत एवं अनुरक्षण	187,541	–
XXIII. वेतन एवं मजदूरी खर्चे	1,708,535	–
XXIV. संगोष्ठी एवं सम्मेलन खर्चे	1,200	–
XXV. विज्ञापन एवं प्रचार खर्चे	429,488	–
XXVI. कर्मचारी कल्याण खर्च	32,977	–
XXVII. अन्य कार्यालय खर्चे	33,431	–
XXVIII. दरे एवं कर	7,500	–
XXIX. कानूनी खर्चे	5,000	–
कुल	31,041,860	1,878,222
टिप्पणी सं.8:– नगद एवं नगद समतुल्य		
I. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला चंड़ीगढ के पास शेष	1,677,820	391,864
II. एस बी ओ पी के साथ एस टी डी आर	72,000,000	99,899,660
कुल	73,677,820	100,291,524
टिप्पणी सं.9:–जमाएँ एवं अग्रिम		
I. एस टी डी आर पर उपार्जित व्यय	4,931,430	2,031,142
II. अग्रिम आय कर	1,480,000	1,302,000
III. वायल की ओर से काटा गया टीडीएस	703,308	621,341
IV. एम डी आई, गुड़गाँव	275,000	
कुल	7,389,738	3,954,483
टिप्पणी सं.10:– अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां		
I. वार्षिक रखरखाव के लिए संविदा हेतु सुरक्षित जमा	155,880	–
II. कार्यालय स्थान के लिए सुरक्षित जमा	1,454,880	–
III. इलेन्ट हेतु पार्किंग के लिए सुरक्षित जमा	1,200	–
IV. रिहायशी आवास के लिए सुरक्षित जमा	70,000	–
V. कर्मचारियों को अग्रिम	147,210	–
VI. पूर्व भुगतान किए गए बीमा खर्च	1,351	–
कुल	1,830,521	–
टिप्पणी सं.11:– अन्य आय		
एस टी डी आर पर ब्याज	7,046,771	6,213,335
कुल राजस्व	7,046,771	6,213,335

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

चण्डीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सदस्यों के प्रति

स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों पर प्रतिवेदन

हमने चण्डीगढ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2015 तक का तुलन पत्र, उस समय समाप्त वर्ष की लाभ–हानि विवरणी तथा नकद प्रवाह विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सम्मिलित है।

स्वयसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन का दायित्व

इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों जोकि भारत में सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाती है जिसमें कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पढे गए, नियम 7 एक्ट के सेक्शन 133 के तहत लेखा मानदण्ड शामिल है को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित कंपनी एक्ट 2013 (''एक्ट'') के सेक्शन 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। इस दायित्व में शामिल हैं कंपनी की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा अन्य अनियमितताओं व धोखाधड़ी का पता लगाने व रोकने हेतु एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षणः उचित लेखा नीतियों का चयन और प्रयोग, तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय तथा आकलन बनाना, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रचना, कार्यान्वयन व अनुरक्षण जोकि लेखा रिकाडों की शुद्धता व संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यशील थे, जोकि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुति करने में प्रासंगिक है जो मैटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे धोखे से हो या गलती से, से मुक्त होकर एक सही व निष्पक्ष चित्र दर्शाते हैं।

लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा दायित्व है कि हम इस लेखापरीक्षण के आधार पर इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों पर अपने विचार प्रस्तुत करें।

हमने एक्ट के प्रावधानों, लेखा व लेखापरीक्षक मानदण्डों तथा ऐसे मामलों जिन्हें एक्ट के प्रावधानों व उसमें अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक है, को ध्यान में रखा है।

हमने अपना लेखा परीक्षण, एक्ट के सेक्शन 143 (10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानदण्डों के अनुसार किया है। इन मानदण्डों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और लेखापरीक्षण की इस प्रकार योजना बनाएं और पूरा करें ताकि उचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणियां मैटरियल मिसस्टेटमेंट से मुक्त हैं।

एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में स्वीकृतियां और राशियों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं पूरी करना शामिल होता है। अपनाई गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती है। जिसमें वित्तीय विवरणियों की मैटेरियल मिसस्टेटमेंट चाहे धोखे से हो या गलती से, के जोखिमों का आकलन करना शामिल होता है। इन जोखिमों का आकलन करते समय, लेखापरीक्षक कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणी तैयार करने में प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को ध्यान में रखता है, जोकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रचना करने हेतु एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करती हैं, जो परिस्थितयों के अनुरूप हैं, परन्तु इस पर विचार देने के उद्देश्य से नहीं हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों की कार्यात्मक प्रभावशीलता क्या है। एक लेखापरीक्षा में, प्रयोग की गई लेखा नीतियों की औचित्यता तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए वित्तीय अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना शामिल होता है, साथ ही वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है।

हम यह विश्वास करते हैं कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे स्वतसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखापरीक्षा राय बनाने को आधार देने हेतु पर्याप्त एवं उचित हैं।

राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को अपेक्षित ढंग से प्रस्तुत करते हैं तथा भारत में आम तौर पर लेखाकरण के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित का सही एवं निष्पक्ष ब्यौरा प्रदान करते है:

(क) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति का

(ख) लाभ एवं हानि लेखा के मामले में, इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ / हानि का; और

(ग) नकद प्रवाह विवरण के मामले में, इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का।

अन्य वैधानिक व विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के संबंध में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2015 ("आदेश") की अपेक्षा के अनुसार हम इस आदेश के पैरा 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर अनुबंध में जहाँ तक लागू है, एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. आगे हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

   कंपनी द्वारा भूमि एवं चारदीवारी की लागत को पूंजीकृत नहीं किया गया है। कृपया लेखाओं के अंग के रुप में सलंग्न नोट की टिप्पणी संख्या 13 एवं 14 देखें।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार , हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

(ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की अपेक्षा के अनुसार समुचित लेखा बही रखी गई है, जहाँ तक इन बहियों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है;

(ग) कंपनी का कोई शाखा कार्यालय नहीं है। इसलिए कंपनी के किसी शाखा कार्यालय की लेखा संबंधी रिपोर्ट लागू नहीं है;

(घ) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरुप हैं;

(ङ) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण अधिनियम की धारा 133 कंपनी नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाला, के अंतर्गत विहित मानकों का अनुपालन करते हैं;

(च) वित्तीय लेन–देन या वित्तीय मामलों के संबंध में ऐसी कोई तथ्य या टिप्पणी ध्यान में नहीं आई जिसकी वजह से कंपनी के कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो;

(छ) 31 मार्च, 2015 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों, जिसे निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में लिया गया, के आधार पर अधिनियम की धारा 164(2) के संबंध में कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2015 को निदेशक के रुप में नियुक्त होने के लिए अपात्र नहीं है;

(ज) लेखों के रख–रखाव एवं इससे जुड़े अन्य मामलों के संबंध में कोई योग्यता, प्रतिबंध या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है;

(झ) कंपनीज (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले दूसरे मामलों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

   I. कंपनी पर ऐसी कोई मुकदमेबाजी लम्बित नहीं है जिससे इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े।

   II. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई ऐसी दीर्घकालीन संविदाएँ नहीं हैं जिसके लिए भौतिक हानियों का पूर्वानुमान किया जा सके।

   III. ऐसी कोई राशि विद्यमान नहीं है जिसे कंपनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित करना अपेक्षित हो।

कृते **सुभाष एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकर
(सी ए सुभाष बंसल)
मालिक
सदस्यता सं. 017035
एफ आर एन 000825 एन

स्थान: चंडीगढ
दिनांक: 27.07.2015

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट में कंपनी के सदस्यों को निर्दिष्ट अनुलग्नक, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

I. (क) कंपनी ने समुचित ढंग से रिकॉर्ड का रख–रखाव किया है और मात्रात्मक ब्यौरे एवं स्थिर परिसम्पत्तियों की स्थिति सहित पूरा ब्यौरा एवं स्थिर परिसम्पत्तियों की स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दर्शाया है।

(ख) अपनी स्थिर परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन करने का कंपनी के पास एक नियमित कार्यक्रम मौजूद है जिसके द्वारा तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध ढंग से स्थिर परिसम्पत्तियों का सत्यापन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान कुछ स्थिर परिसम्पत्तियों का सत्यापन किया गया तथा यह सत्यापन किए जाने के बाद कोई भौतिक कमी नहीं पाई गई। हमारी राय में भौतिक सत्यापन का यह आवर्तन कंपनी का आकार एवं इसकी परिसम्पत्तियों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत है।

II. यह कंपनी एक सेवा कंपनी है, प्राथमिक रूप से विमानन सेवाएँ प्रदान करने वाली कंपनी। तदनुसार इसके पास कोई भौतिक माल–सूची नहीं है। इस प्रकार आदेश का अनुच्छेद 3 (ii) लागू नहीं है।

III. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 189 के अंतर्गत मेंटेन किए जाने वाले रजिस्टर में उल्लिखित कंपनियों फर्मों अथवा दूसरी पार्टियों को इस कंपनी ने किसी प्रकार का सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया है।

IV. हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार तथा स्थिर सम्पत्तियों की खरीद एवं सेवाओं की बिक्री के संबंध में इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप वहाँ पर एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था विद्यमान है। कंपनी की गतिविधियों में माल की खरीद एवं वस्तुओं की बिक्री का कार्य शामिल नहीं है। लेखा परीक्षा किए जाने के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में हमने कोई बड़ी कमजोरी नहीं पाई।

V. कंपनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा स्वीकार नहीं की है।

VI. कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी प्रकार की सेवाओं के लिए अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने लागत रिकार्ड के रखरखाव का निर्धारण नहीं किया है।

VII. (क) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों की गई जाँच के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर बिक्री कर, सम्पत्ति कर सेवा कर, सीमा शुल्क, वैट व उपकर सहित विवाद रहित सांविधिक बकायों एवं अन्य भौतिक सांविधिक बकायों के संबंध में लेखा बही में कटौती की गई। उपार्जित राशि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान समुचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करवाई गई है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों की की गई जाँच के आधार पर कंपनी पर कर्मचारियों के राज्य बीमा तथा उत्पाद शुल्क या वैट अथवा उपकर के संबंध में कोई बकाया नहीं हैं।

(ग) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों की की गई जाँच के आधार पर कंपनी ने इन्वेस्टर एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन फंड में कोई राशि स्थानांतरित नहीं की है।

VIII. वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी को कोई संचित हानि नहीं हुई है तथा वित्त वर्ष में एवं उसके, बिलकुल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में, इसे कोई नकद हानि नहीं हुई है।

IX. वर्ष के दौरान कंपनी के पास वित्तीय संस्थानों, बैंकों अथवा ऋण पत्र धारकों का कोई बकाया देय नहीं है।

X. हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने दूसरों के द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी प्रदान नहीं की है।

XI. कंपनी पर वर्ष के दौरान कोई मियादी ऋण बकाया नहीं था।

XII. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा–परीक्षा के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी के द्वारा की गई किसी धोखाधड़ी की बात ध्यान में न तो आई और न ही रिपोर्ट की गई।

कृते **सुभाष एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकर
(सी ए सुभाष बंसल)
मालिक
सदस्यता सं. 017035
एफ आर एन 000825 एन

स्थानः चंडीगढ
दिनांकः 27.07.2015

संख्या / No. GAP/CHIAL/MCS/6-31/2014-15/452

गोपनीय

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–1
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1

दिनाँक/Dated 22/9/15

सेवा में,

अध्यक्ष,
चण्डीगढ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
कमरा नं०- 1, प्रोजेक्ट ऑफिस बिल्डिंग,,
चण्डीगढ एयरपोर्ट,
चण्डीगढ 160 003

विषयः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए चण्डीगढ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लेखाओं पर भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

महोदय,

इस पत्र के साथ चण्डीगढ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(a) के अन्तर्गत समीक्षा नही किये जाने का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाता हैं।

कृपया इस पत्र की पावती भेंजे ।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्त

22/9/2015

(विमलेन्द्र पटवर्धन)
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए–स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, New Delhi-110002.
दूरभाष/Tele. : 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432,011-23370871
e-mail : mabnewdelhi1@cag.gov.in

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग की रूपरेखा के अनुसरण में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी इस कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य 27 जुलाई, 2015 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए संपन्न किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखा परीक्षा न करने का निर्णय लिया है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत कोई टिप्पणी नहीं की जानी है।

कृते तथा की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(विमलेन्द्र पटवर्धन)
प्रधान निदेशक, वाणज्यि क लेखा परीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–1,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22 सितम्बर, 2015

श्री पी. अशोक गजपति राजू, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री एवं श्री वी.सोमासुन्दरन, सचिव (नागर विमानन) नागर विमानन मंत्रालय में ई–आफिस के कार्यान्वयन पर एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में ई–क्लीयरेंस (संचार मस्ट) पर ब्रोशर रिलीज करते हुए। चित्र में श्री जी अशोक कुमार, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, श्री एस. रहेजा, अध्यक्ष भा.वि.प्रा तथा श्री वी.सोमसुन्दर, सदस्य (एएनएस), भा.वि.प्रा तथा श्री आर जे एस कुशवाहा, एडवाइज़र, दूरसंचार भी दिखाई दे रहे हैं।

श्री अशोक लवासा, सचिव (नागर विमानन) तथा श्री अशोक सिन्हा, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय व अध्यक्ष, भा.वि.प्रा हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद; देश के 30 हवाईअड्डों पर 50 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की परिकल्पना है।

श्री आर. के. श्रीवास्तव, भा.प्र.से., अध्यक्ष, भा.वि.प्रा. ''नवोन्मेषी उत्पाद/सेवा'' का वर्ष 2015 का गोल्डन पीकॉक अवार्ड ग्रहव करते हुए। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रदान किया गया। श्री वी. सोमसुन्दरम, सदस्य (एएनएस), भा.वि.प्रा. ने दिनांक 20 अप्रैल 2015 को दुबई में आयोजित भव्य पुरस्कार समारोह में यह पुरस्कार ग्रहण किया; चित्र में भा.वि.प्रा. के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं।

सुश्री नीरा रावत, भा.पु.से., निदेशक (सुरक्षा) तथा सुश्री कल्पना जैन, हाई–टेक सिस्टम्स विधिक करार पर हस्ताक्षर करते हुए। इस अवसर पर श्री आर.के. श्रीवास्तव, भा.प्र.से., अध्यक्ष, श्री जी.के. चौकियाल, सदस्य (प्रचालन), भा.वि.प्रा. तथा बीसीएएस, एमओसीए, यूएसटीडीए व भा.वि.प्रा. के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

दिनांक 9 फरवरी, 2015 को भा.वि.प्रा. एवं आईएटीए के मध्य श्री अनुज अग्रवाल, सदस्य (मा.सं.) एवं श्री विक्टर डी बरेना, निदेशक, आईटीडीआई, आईएटीए द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री आर.के. श्रीवास्तव भा.प्र.से, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (मध्य) ने भा.वि.प्रा. के अधिकारियों की प्रशिक्षणआवश्यकताओं को पूरा करने ही जरूरत पर बल दिया तथा विमानन उद्योग की भावी चुनौतियों से निपटने के लिए विमानपत्तन एवं एएनएस पेशेवरों के एक पूल के गठन तथा विस्तार में निवेश की आवश्यकता जताई जो विमानपत्तन प्रचालन व प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त गंभीर वैश्विक विमानन मुद्दों पर सुप्रवीण हों।

भा.वि.प्रा. के अधिकारियों ने संगठन का नाम ऊँचा किया; सिओल में एसीआई जनरल असेम्बली में 96 प्रतिभागियों ने आईएपी स्टेटस प्राप्त किया जिसमें से 20 अधिकारी भारत से थे। भा.वि.प्रा.की आईएपी टीम को नेतृत्व की एक नए समूह के रूप में समझा जाता है जो भारत ने विमानन व्यापार को नई दिशा की ओर अग्रसर करने हेतु तैयार है और अंतरराष्ट्रीय विमानन व्यापार में अमिट छाप छोड़ सकती है।

श्री एस सुरेश, सदस्य (वित्त), भा.वि.प्रा, नई दिल्ली में आयोजित कार्पोरेट गवर्नेंस प्रशिक्षण के दौरान दीप प्रज्ज्वलित करते हुए। चित्र में श्री राजीव गोयल, निदेशक, भा.वि.प्रा तथा श्री जितेन्द्र दास, निदेशक, फोर भी दिखाई दे रहे हैं(बाएं से दाहिने)

श्री वी सोमसुदंरन, सचिव, एमओसीए, श्री जॉन मैककेसलिन, मिनिस्टर काउंसलर, यूएस एम्बेसी, श्री एस रहेजा, अध्यक्ष, भा.वि.प्रा, श्री जी.के चौकियाल,सदस्य (प्रचालन), सुश्री नीरा रावत, निदेशक (सुरक्षा) तथा एमओसीए, बीसीएएस और भा.वि.प्रा. के अन्य वरिष्ठ अधिकारी विमानन सुरक्षा उपस्कर जाँच व मूल्यांकन कार्यक्रम (एएसईटीपी) के विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारण व यूएस व्यापार एवं विकास एजेन्सी (यूएसटीडीए) के बीच करार पर हस्ताक्षर के दौरान।

जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल बिल्डिंग का दृश्य

श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल बिल्डिंग का दृश्य

अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आंतरिक टर्मिनल बिल्डिंग का दृश्य

औरंगाबाद हवाई अड्डा आंतरिक टर्मिनल बिल्डिंग का दृश्य

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन

संपर्कता के माध्यम से विकास

मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का एटीसी टॉवर

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

निगमित कार्यालय : राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग हवाई, अड्डा, नई दिल्ली–110003
www.aai.aero

Pamm Advertising & Marketing